चतुर्थ माला, खंड VII, अंक 41
Fourth Series, Vol.VII, No. 41

Thursday, 20 July, 1967

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Preservation Wing
Parliament Library

[खंड VII में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol.VII contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का अनुदित संस्करण

दिनांक 20-7-67 । 29 आषाढ़, 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
	अतारांकित प्रश्न संख्या 6190 के हिन्दी शीर्षक को `विदेशों को देय सेवा (व्याज) प्रभारों की दर` पढ़िये ।
	अतारांकित प्रश्न संख्या 6220 के हिन्दी शीर्षक को `नोटों का परिचालन` पढ़िये ।

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय–सूची / CONTENTS

अंक 44 गुरुवार, 20 जुलाई, 1967/29 आषाढ, 1889 (शक)

No 44–Thursday, July 20, 1967/Asadha 29, 1889 (Saka)

निधन सम्बन्धी उल्लेख OBITUARY RFFERENCE ... 5946

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subiect	पृष्ठ/Pages
1262	भारतीय तेल निगम	Indian Oil Corporation	5946-5950
1263	आदीवासी तथा अनुसूचित जातियां	Adivasis and Scheduled Castes	5950-5957
1264	दिल्ली विकास प्राधिकार की भूमि के अलाटमेंट के बारे में नीति	Land Allotment Policy of D. D. A. ...	5957-5960
1265	पिछड़े क्षत्र	Backward Areas ...	5960-5961

अल्प सूचना प्रश्न / S. N.Q.

32	दिल्ली में पंखा कालोनी में रह रहे अनधिवासी	Squa ters at Pankha Colony, Delhi	5961-5965

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS:

तारांकित प्रश्न संख्या /S. Q N s.

1266	भूतपूर्व वित्त सचिव श्री भूतलिंगम के विरुद्ध जाच	Enquiry against Shri Bhoothalingam, former Finance Secretary ..	5965-5966
1267	राज्यों की चौथी पंच-वर्षीय योजना	Fourth Plan of States	5966-5967
1268	योजना आयोग का पुन-र्गठन	Re-organisation of Planning Commission	5967-5968
1269	पश्चिम बंगाल को चौथी पचवर्षीय योजना में नियत की गई राशि	Fourth Plan Allocation to West Bengal ...	5968
1270	दो पैसे के सिक्के का दुरुपयोग	Misuse of Two Paise Coins	5968

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign+ marked above the name of a Member indicates that the question was agctually asked on the floor of the House by him,

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
1271	अंशों (शेयरों) में पूंजी विनियोजन	Investment in Shares	5968–5969
1272	दिल्ली नगर निगम	Delhi Municipal Corporation –	5969–5970
1273	मैंसर्स फाइजर लिमिटेड	Messers Pfizer Ltd	5970
1274	यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के यूनिट प्रमाणपत्र	Certificate of Unit Turst of India ...	5971
1275	इंडो–बर्मा पेट्रोलियम कंपनी की बिक्री आस्तियों की खरीद	Purchase of Indo-Burma Petroleum Co.'s Marketing Assets	5971
1276	बिहार राज्य को वित्तीय सहायता	Financial Help to Bihar State	5971–5972
1277	अन्तर्राज्यिक जल विवादों के लिये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण	National Turibunal for deciding Inter-State Water Disputes	5972
1278	मद्रास स्थित उर्वरक कारखाने में घेराव	'Gherao' at Fertilizer Plant, Madras ..	5972–5973
1279	पश्चिम कोसी परियोजना	Western Kosi Project	5973
1280	उद्योगों को बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों को चुकाने की मोहलत	Moratorium on Bank Loans to Industries ...	5973–5974
1281	पूंजीगत माल बनाने वाले उद्योग	Capital Goods Industry ..	5974
1282	बेकटेल कम्पनी के साथ सौदे	Deals with Bechtels	6974–6975
1283	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by O & N. G. C. Employees	5975–5976
1284	अशोक होटल लिमिटेड, नई दिल्ली	Ashoka Hotels Ltd., New Delhi	5976
1285	अशोधित प्रेट्रोलिमय के मूल्व	Price of Crude Petroleum	5976–5977

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

1286	अमरीका द्वारा नेपाल में प्रयुक्त भारतीय रुपया	Indian Rupee used by USA in Nepal ...	5977
1287	सहकारी बैंकों के कर्मचारी	Employees of Co-operative Banks	5977–5978
1288	बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत	Guidelines for giving loans to Banks ...	5978
1289	आर्थिक मन्दी	Economic Recession	5978–5979
1290	डाक्टरों का बड़ी संख्या में भारत से बाहर चले जाना	Doctors' Drain-out of India	5979

अतारांकित प्रश्न सं./U.S.Q.Nos.

6146	विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन	Violation of Foreign Exchange Regulations	5979–5980
6147	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता	Chittaranjan National Cancer Research Centre, Calcutta .. –	5980
6148	गुजरात में चिकित्सा शिक्षा तथा प्रशिक्षण योजना	Medical Education and Training Scheme in Gujarat	5980–5981
6149	गुजरात में सिंचाई के लिये अतिरिक्त निधियां	Additional Funds for Irrigation in Gujarat	5981
6150	गुजरात में अनुसूचित जातियों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes in Gujarat ...	5981–5982
6151	गुजरात के नवांगाम में तेल के कूंऐ	Navagam Oil Wells in Gujarat	5982
6152	गुजरात को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Gujarat	5982–5983
6153	मध्य प्रदेश के लिये नियतन	Allocotions to Madhya Pradesh	5983

अता. प्र संख्या/U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
	प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :		
6154	मध्य प्रदेश में कुष्ठ रोग उपचार केन्द्र	Leprosy Treatment Centres in Madhya Pradesh	5983-5984
6155	आयोगों तथा नियन्त्रण बोर्डों का स्थापित किया जाना	Setting up Commissions and Control Boards ..	5984
6156	अधिकारियों द्वारा विमान से यात्रा	Travel by Air by Officials	5984
6157	सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ी गयी आयातित वस्तुएं	Imported Goods Seized by customs Authorities	5984
6158	कुछ केन्द्रीय मन्त्रियों के टेलीफोनों आदि पर खर्च	Expenditure on Telephone etc, of certain Central Ministers	5985
6159	शीतल पेय (कोला ड्रिंक्स)	Cola Drinks ...	5985-5986
6160	स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में नि:संवर्ग पद	Ex-cadre Posts in Health and Family Planning Ministry	5986
6161	भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर	Governor, Reserve Bank of India	5986-5987
6162	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की सिफारिशों को क्रियान्वित करना	Implementation of Recommendations of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	5987
6163	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का संगठन	Organisation of Commissioner for Scheduled Castes and Tribes — ...	5987-5988
6164	सरकार द्वारा अधिग्रहित मकानों का अधिग्रहण समाप्त किया जाना	Derequisitioning of Houses Acquired by Government	5988-5989
6165	मंत्रियों के निवास स्थानों का नवीकरण	Renovation of Residences of Ministers ...	5989

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Cont.

अता. प्र. संख्या/U. S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6167	महाराष्ट्र में सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिये सहायता	Assistance for Irrigation and Power Projects in Maharashtra	5989
6168	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग	Oil and Natural Gas Commission	5990
6169	आदिवासियों की उन्नति	Uplift of Adivasis	5991
6170	अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ तथा अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग को सहायक अनु–दान	Grant in aid to all India Harijans Sevak Sangh and All India Depressed Class League	5992
6172	मध्य प्रदेश में नये उद्योगों के लिये चौथी योजना में नियतन	Plan Allocation for New Industries in M. P.	5992–5993
6173	पैट्रो–रासायनिक तकनी–शन	Petro-Chemical Technicians	5993–5994
6174	कृषि कार्यों के लिये बिजली	Power for Agricultural Purposes	5994–5995
6175	सरकारी अस्पतालों में ड्राइवरों तथा स्टाफ कार ड्राइवरों के वेतन–क्रम	Pay-Scale of Staff Car Drivers and Drivers in Government Hospital	5995
6176	दिल्ली में अवैध रूप से विदेशी मुद्रा का बेचा जाना	Illegal Sale of Foreign Exchange in Delhi	5995–5996
6177	नागार्जुनसागर बांध पर दुर्घटना	Accident at Nagarjunasagar Dam	5996
6178	सीमा शुल्क अधिकारियों की बर्खास्तगी	Dismissal of Customs Officials	5996
6179	नई दिल्ली में नबी करीम कब्रिस्तान	'Nabikarim' Graveyard, New Delhi	5996–5997
6180	हरियाना में कृषि कार्यों के लिये बिजली	Electricity for Agricultural purpose in Haryana	5997

अता. प्र संख्या/U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :

6154	मध्य प्रदेश में कुष्ठ रोग उपचार केन्द्र	Leprosy Treatment Centres in Madhya Pradesh ..	5983-5984
6155	आयोगों तथा नियन्त्रण बोर्डों का स्थापित किया जाना	Setting up Commissions and Control Boards	5984
6156	अधिकारियों द्वारा विमान से यात्रा	Travel by Air by Officials	5984
6157	सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ी गयी आयातित वस्तुएं	Imported Goods Seized by customs Authorities	5984
6158	कुछ केन्द्रीय मन्त्रियों के टेलीफोनों आदि पर खर्च	Expenditure on Telephone etc, of certain Central Ministers	5985
6159	शीतल पेय (कोला ड्रिक्स)	Cola Drinks ...	5985-5986
6160	स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में नि:संवर्ग पद	Ex-cadre Posts in Health and Family Planning Ministry	5986
6161	भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर	Governor, Reserve Bank of India	5986-5987
6162	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की सिफारिशों को क्रियान्वित करना	Implementation of Recommendations of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	5987
6163	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का संगठन	Organisation of Commissioner for Scheduled Castes and Tribes	5987-5988
6164	सरकार द्वारा अधिग्रहित मकानों का अधिग्रहण समाप्त किया जाना	Derequisitioning of Houses Acquired by Government	5988-5989
6165	मंत्रियों के निवास स्थानों का नवीकरण	Renovation of Residences of Ministers ...	5989

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Cont-

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6167	महाराष्ट्र में सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिये सहायता	Assistance for Irrigation and Power Projects in Maharashtra	5989
6168	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग	Oil and Natural Gas Commission	5990
6169	आदिवासियों की उन्नति	Uplift of Adivasis — ...	5991
6170	अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ तथा अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग को सहायक अनुदान	Grant in aid to all India Harijans Sevak Sangh and All India Depressed Class League	5992
6172	मध्य प्रदेश में नये उद्योगों के लिये चौथी योजना में नियतन	Plan Allocation for New Industries in M. P.	5992–5993
6173	पैट्रो–रासायनिक तकनीशन	Petro-Chemical Technicians	5993–5994
6174	कृषि कार्यों के लिये बिजली	Power for Agricultural Purposes	5994–5995
6175	सरकारी अस्पतालों में ड्राइवरों तथा स्टाफ कार ड्राइवरों के वेतन–क्रम	Pay-Scale of Staff Car Drivers and Drivers in Government Hospital	5995
6176	दिल्ली में अवैध रूप से विदेशी मुद्रा का बेचा जाना	Illegal Sale of Foreign Exchange in Delhi	5995–5996
6177	नागार्जुनसागर बांध पर दुर्घटना	Accident at Nagarjunasagar Dam	5996
6178	सीमा शुल्क अधिकारियों की बर्खास्तगी	Dismissal of Customs Officials	5996
6179	नई दिल्ली में नबी करीम कब्रिस्तान	'Nabikarim' Graveyard, New Delhi	5996–5997
6180	हरियाना में कृषि कार्यों के लिये बिजली	Electricity for Agricultural purpose in Haryana	5997

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

6181	सामान्य भविष्य निधि	General Provident Fund ...	5997-5998
6183	गंग नहर (राजस्थान)	Gang Canal (Rajasthan) ...	5998
6184	हैदराबाद में सोना पकड़ा जाना	Gold seized in Hyderabad	5998-5999
6185	उत्तर प्रदेश में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे	Raids by Income-tax Officers in U. P.	5999
6186	मैसर्स मोरारजी गोकुल-दास स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स लिमिटेड	M/s Morarjee Gokul Das Spinning & weaing Mills Ltd.	5999
6187	विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के मामले	Foreign Exchage Violation Cases ..	6000
6188	दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा प्लाटों की बिक्री	Sales of plots by D,D.A. ...	6000-6001
6189	क्षय रोग निरोधक औष-धियां	Anti T.B. Drugs	6001
6190	विदेशों को देय ब्याज की दर	Servicing Charges payable to Foreign countries ...	6001-6002
6191	आयोजन-कार्य में विदेशों द्वारा दी गई सहायता	Assistance given by Foreign countries in Planning Process ...	6003
6192	पाकिस्तान को पानी की सप्लाई	Supply of Water to Pakistan ...	6003
6193	विदेशी व्यापारियों/व्यापार कम्पनियों से आयकर	Income-Tax on Foreign Traders/Trading Companies — ..	6003
6194	कम्पनियों पर टैक्सों के प्रभाव का अध्ययन	Study of effect of Taxes on Companies ..	6004
6195	विदेशों में भारतीय बैंक	Indian Banks in Foreign Countries ...	6004
6196	आर्थिक विकास	Economic Development ..	6004-6005
6197	दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर अफीम पकड़ी जाना	Seizure of Opium on Delhi U. P, Border ..	6005

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

6198	राजधानी क्षेत्र में बस्तियों का विकास	Development of Colonies in Capital Region	6005–6006
6199	श्री चांदमल बाठिया की फर्मे	Firms owned by Shri Chandmall Batia ...	6006
6200	आयुर्वेदिक जड़ी–बूटियां उगाना	Plantation of Ayurvedic Herbs	6006–6007
6201	घड़ियों का बरामद किया जाना	Recovery of Watches — ...	6007
6202	अत्यावश्यक औषधियों सम्बन्धी समिति	Committee on Essential Drugs	6007
6203	आय, मजूरी और मूल्यों के सम्बन्ध में भारत के रिजर्व बैंक के कर्णधार दल का प्रतिवेदन	Reserve Bank of India Steering Group's Report on Incomes, Wages and Prices ..	6007–6008
6204	डा धर्म तेजा के सम्बंधियों द्वारा भूमि की खरीद	Purchase of Land by Dr. Dharma Taja's Relations	6008
6205	मैसर्स मैकेंजीज लिमिटेड	M/s MeChanizies Ltd.	6008–6009
6206	आदिम जातीय विकास खण्ड	Tribal Development Blocks	6009
6207	फर्टिलाइजर्स ऐंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, अलवाय (केरल) द्वारा प्रायोजित प्लेट और वैसल परियोजना	Plate and Vessel Project Sponsored by FACT, Alwaye, (Kerala)	6009
6208	आयकर विभाग द्वारा करों की राशि लौटाई जाना	Refund of Taxes by Income-Tax Department	6010
6209	विदेशी तेल कम्पनियां	Foreign owned Oil companies	6010–6011
6210	राष्ट्रीय नेताओं के स्मारक	Memorial for National Leaders	6011–6012

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6211	विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं में होम्योपैथिक डाक्टरों की नियुक्ति	Absorption of Homeopethic Practitioners in various Health Schemes	6012–6013
6212	होम्योपैथिक सलाहकार समिति	Homeopethic Advisory Committee	6013–6014
6213	केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद्	Central Homeopethic Council	6014
6214	इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन के एक अधिकारी के पास से अफीम पकड़ी जाना	Recovery of opium from an I.A.C. Officer	6014–6015
6215	भारतीय सिक्कों पर नेताओं की मूर्तियां अंकित करना	Embossing portratis of Leaders in Indian Coins	6015
6216	मध्य प्रदेश की योजना के लिये साधन	Resources for M. P. Plan	6015–6016
6217	दिल्ली में बंगलों में खाली भूमि में खेती	Cultivation of Vacant Land in Bungalows in Delhi	6016
6218	दिल्ली में चलते फिरते औषधालय	Mobile Dispensaries in Delhi	6016–6017
6219	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स, बम्बई के लिये क्लोरिन	Chlorine for Hindustan Organic Chemicals, Bombay	6017
6220	नोट	Currency notes in circulation	6017
6221	योजना लक्ष्यों का पुनर्निर्धारण	Rescheduling of Plan Targets ...	6018
6222	केन्द्र द्वारा प्रायोजित सिंचाई परियोजनाएं	Centrally sponsored Irrigation Projects	6018-6019
6223	विलिंग्डन अस्पताल (नई दिल्ली) में हृदय रोग के रोगियों को दाखिल करके चिकित्सा	Hospitalisation of Heart patients in Willingdon Hospital, N. Delhi	6019

U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	Page
6224	गांधी सागर बांध पर दुर्घटनाएं	Accidents at Gandhi Sagar Dam	6019-6020
6225	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये ग्रावास योजनाऐं	Housing Schemes for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	6020
6226	एक ओर छपे हुये नोटों का परिचालन	Circulation of currency notes printed on one side	6020
6227	ग्राम्य औद्योगिक परि-योजनाएं	Rural Industrial Projects	6021
6228	भारत की वित्तीय स्थिति के बारे में बैल मिशन की रिपोर्ट तथा विश्व बैंक द्वारा अध्ययन	Bell Mission Report and World Bank's Study of Financial Conditions of India	6021
6229	भूतपूर्व रियासतों के नरेशों की सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क	Estate Duty on the properties of erstwhile State Rulers	6021-6022
6230	नई दिल्ली में गोल मार्केट में स्थित टाइप चार के क्वार्टरों का दर्जा बढ़ाना	Upgradation of Type IV Quarters in Gole Market area, New-Delhi	6022
6231	दिल्ली में सार्वजनिक इमारतों पर नाम–पट्ट	Sign Boards on Public Buildings in Delhi	6022-6023
6232	महानदी डेल्टा सिंचाई योजना	Mahanadi Delta Irrigation Scheme	6023
6233	औषधियों का वर्गीकरण	Categorisation of Drugs	6023
6234	मालाबार का पेरुवननन समुदाय	Peruvanman Community of Malabar	6024
6235	केरल के दियासलाई निर्माताओं के अभ्या-वेदन	Representation from Match manufactures from Kerala	6024

6237	केरल में समुद्र से भूमि के कटाव को रोकना	Prevention of Sea Erosion in Kerala	6024–6025
6238	हैदराबाद में संश्लिष्ट औषध कारखाना	Synthetic Drugs plant at Hyderabad	6025
6240	लाल बहादुर शास्त्री की स्मृति में सिक्के	Lal Bahadur Shastri Commemorative coins	6026
6241	दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Accommodation for Government EmPloyees in Delhi	6026
6242	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में औषधियों की कमी	Shortage of Medicines in Primary Health Centres ...	6026–6027
6243	ग्रामीण गृह निर्माण योजनायें	Rural Housing Schemes ..	6027
6244	संसद् सदस्यों के कोटे के कुछ फ्लैट सरकारी कर्मचारियों के कब्जे में	Flat from M. Ps' Quota under occupation by Government Employees	6027–6028
6245	नई दिल्ली में रामकृष्ण–पुरम के बाजारों में दुकानें	Shops in Ramakrishna Puram Markets, New Delhi ..	6028
6246	ग्रामीण गृह – निर्माण योजनायें	Rural Housing Scheme ..	6028–6029
6247	रावी नदी पर बांध	Dam over River Ravi	6029
6248	देशीय चिकित्सा प्रणाली	Indigenous Systems of Medicine ..	6029–6030
6249	दिल्ली में भूमि का अर्जन	Land Acquisition in Delhi	6030
6250	कैफीन का आयात	Import of Caffeine ..	6030–6031
6251	चाय के अवशिष्ट से कैफीन बनाना	Manufacture of Caffeine from Tea Waste ...	6031–6032
6252	नेरियामयलम (केरल) में पादप (फाइटो) रसायन उद्योग	Phyto-Chemical Industry at Neriyamayalam (Kerala)	6032

6253	श्रीलका से व्यापार प्रतिनिधि मंडल	Trade Delegation from Ceylon ..	6032-6033
6254	मौलाना आजाद के मकबरे, शान्ति वन और विजय घाट पर व्यय किया गया धन	Expenditure Incurred on Maulana Azad Tomb, Shantivan and Vijayghat	6033
6255	पश्चिम कोसी नहर	Western Kosi Canal ..	6034
6256	परिवार नियोजन व बोनस योजना सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति	High Power Committee for Family Planning Bonus Scheme	6034-6036
6257	अशोक होटलस लिमिटेड, नई दिल्ली	Ashoka Hotels Ltd, New Delhi	6036-6037
6258	केन्द्रीय सरकार के ऋण जारी करना	Floating of Central Government Loans	6037
6260	उत्तर प्रदेश में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना	Removal of Slums in U. P.	6037
6261	महगाई भत्ते के बारे में गजेन्द्र गढ़कर आयोग का प्रतिवेदन	Gajendragadkar Commission's Report on D. A.	6037-6039
6262	भूमिगत चट्टानों से पेट्रोलियम निकालने के लिए अग्नि उत्तापन प्रणाली (फायर इग्निशन मेथड)	Fire ignition Method to to extract Petroleum from Underground Rocks	6039
6263	भारत के रिजर्व बैंक में कम्पाउण्डरों के वेतन क्रम	Pay Scale of Compounders in Reserve Bank of India	6039-6040
6264	चेय्यार नदी (आन्ध्र प्रदेश) पर थोगुरुपेट जलाशय	Thogurupet Reservior on Cheyyar River (Andhra Pradesh)	6040-6041
6265	तुंगभद्रा परियोजना	Tungabhadra Proj ct	6041
6266	बिहार में कुष्ठ रोगी	Leprosy Patients in Bihar	6041-6042

प्रश्नों के लिखत उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd

U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
6268	लद्दाखियों को अनुसूचित आदिम जाति के रूप में मान्यता प्रदान करना	Recognition of Ladakhis as a Scheduled Tribe ...	6042
6269	पुरी और कटक में रहस्य-मय रोग	Mysterious Disease at Puri and Cuttack ...	6042-6043
6270	नगरीय क्षेत्रों में अल्प लागत गृह – निर्माण योजनायें	Low cost Housing Schemes in Urban areas	6043
6271	व्यय-कर	Expenditure Tax ...	6044-6045
6272	गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा लाभ को व्यापार में लगाना	Ploughing back of profit by private sector	6045
6273	आयोजना के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफा-रिशें	Recommendations made by Administrative Reforms Commission on Planning ...	6045-6046
6274	गोहाटी में गैस टरबाइन	Gas Turbine at Gauhati ...	6046
6275	नामरूप और गोहाटी (आसाम) के लिये ग्रिड प्रणाली	Grid System for Namrup and Gauhati (Assam) ...	6046-6047
6276	पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य	Price of Petroleum Products	6047-6048
6277	विद्युत सर्वेक्षण समिति	Energy Survey Committee ...	6048
6278	विद्युत प्रशुल्क संबंधी वेंकटरमन समिति का प्रतिवेदन	Venkataraman Committee's Report on Power Tariff	6048-6050
6279	मौलाना आजाद मैडिकल कालेज तथा इरविन अस्पताल में पुनर्चेतना (होश में लाने का) केन्द्र	Resuscitation Centres at Maulana Azad Medical College and Irwin Hospital ..	6050

6280	ट्राम्बे उर्वरक कारखाने को क्षति	Damage to Trombay Fertilizer Eactory	6050
6281	इंजीनियर	Engineer	6051-6052
6282	अनुसूचित बैंकों के पूर्ण-कालिक अध्यक्ष	Who'e Time Chairmen of Scheduled Banks	6052
6283	चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में सुरम्य उद्यान	Ornamental Garden in Chankakyapurt, New Delhi ...	6052-6053
6284	बड़े परिवार वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against persons with large family ...	6053
6285	योजना आयोग में इस्पात का फर्नीचर	Steel Furniture in Planning Commission ...	6053
6286	फाल्टन में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सुविधायें	Amenities to Central Government Employees in Phaltan	6054
6287	अधिकारियों का सरकारी उपक्रमों को छोड़ कर गैर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में चला जाना	Flight of Personnel from Public Undertakings to private sector	6054-6055
6288	सर्जिकल इंस्ट्रूमेंटस प्लांट, मद्रास	Surgical Instruments Plant, Madras –	6055-6056
6289	सर्जिकल इंस्ट्रूमेंटस प्लांट, मद्रास	Surgical Instruments Plant, Madras	6056
6290	गर्भपात को वैद्य बनाना	Legalisation of Abortion ..	6056
6291	घागरा नदी की सिंचाई और विद्युत क्षमता	Irrigation and Power Potentialities of Ghagra River	6056-6057
6292	भूमिगत जल का पीने के पानी के रूप में उपयोग	Tapping of Underground Water for Drinking Purposes	6057-6058
6293	विश्व बैंक द्वारा भारतीय अर्थ-व्यवस्था की समीक्षा	World Bank's Review of Indian Economy	6058

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6295	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड, अल्वाय	Fertilizers and Chemicals Travancore, Ltd. Alwaye	6058-6059
6297	कुडम्बी समाजम को अनुसूचित जातियों में शामिल करना	Inclusion of Kudumbi Samajam in Scheduled Castes	6059
6298	त्रिपुनीथुरा (केरल) में एक चिकित्सा कालेज खोलना	Setting-up of a Medical College at Trippuni Theera (Kerala)	6059–6060
6299	मैसूर में सिंचाई परियोजनाओं के लिये वित्तीय व्यवस्था	Financing of Irrigation Project in Mysore	6060
6300	मैसूर में उपरि कृष्णा तथा मालप्रभा परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक से सहायता	World Bank Aid for Upper Krishna and Malaprabha Project in Mysore ...	6060
6301	मैसूर में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक द्वारा ऋण	World Bank Loan Major Irrigation Project in Mysore ...	6 60–6061
6302	भागलपुर (बिहार) में खारबार जाति	Kharwar Community in Bhagalpur (Bihar)	6061
6304	भारतीय फिल्म उद्योग में लेखा—बाह्य धन	Unaccounted Money in Indian Films Industry ...	6061–6062
6305	विश्व बैंक का दल	World Bank Team ...	6062
6306	गंडक परियोजना को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना	Taking over of Gandak Project	6062–6063
6307	चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में राज्यों के आय-व्ययक में प्रत्याशित घाटा	Anticipated Deficit in States, Budget during Fourth Plan Period	6063

6308	जीवन बीमा निगम द्वारा जारी की गई पालिसियां	Policies Issued by L.I.C.	60 .3-6064
6309	दवाइयों तथा शिशु आहार (बेबी फूड) का आयात	Import of Medicines and Baby Food	6064-6 65
6311	बरौनी तेल शोधक कारखाना	Barauni Oil Refinery ...	6065-6066
6312	रूबी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी	Ruby General Insurance Co.	6066
6313	मद्रास में सोने का तस्कर व्यापार	Gold Smuggling in Madras	6066-6067
6314	राजस्थान को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Rajasthan ...	6067-6068
6315	प्रगति के आधार पर विदेशी सहायता	Foreign Aid on Performance Basis ..	6068
6316	तन्दूरी भोजन	Tandoori Diet	6068-6069
	मध्य प्रदेश की घटनाओं के बारे में	Re. Development in Madhya Pradesh ..	6069
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ...	6070-6071
	गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Member's Bills and Resolutions	6072
	नौवां प्रतिवेदन	Ninth Report ...	6072
	जनेवा में समाप्त हुई टैरिफ सम्बन्धी कैनेडी वार्ता के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Kennedy Round of Tariff Negotiations concluded at Geneva	6072
	श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh ..	6072
	अनुदानों की मांगें (जारी)	Demands for Grants, 1967-68 Contd.)	6072
	श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय	Ministry of labour, Employment and Rehabilitation .. —	6072-6078
	श्री हाथी	Shri Hathi ..	6072

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय	Ministry of Industrial Development and Company Affairs ... —	6078
श्री चं. चु. देसाई	Shri C. C. Desai ..	6079
श्री मं रं. कृष्ण	Shri M. R. Krishna ..	6081
श्री कामेश्वर सिंह	Shri Kameshwar Singh ...	6082
श्री विद्याधर बाजपाई	Shri Vidya Dhar Bajpai	6083
श्री रमानी	Shri K. Ramani	6084
श्री दामानी	Shri S. R. Damani	6085
श्री कंडप्पन	Shri S. Kandappan	6086
श्री क॰नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	6087
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	6100
श्रीमती सुचेता कृपालानी	Shrimati Sucheta Kriplani ..	6118
अखबारी कागज पर उत्पादन-शुल्क समाप्त करने के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Abolition of Excise Duty on Newsprint ..	6100
श्री के, के. शाह	Shri K. K. Shah ...	6100
मध्य प्रदेश की घटनाओं के बारे में वक्तव्य	Statemnt Re Developments in Madhya Pradesh	6101
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	6101
स्थगन प्रस्ताव	Motion for Adjournment	6101
मध्य प्रदेश विधान सभा के सत्रावसान को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार की कथित असफलता	Alleged failure of Central Government to Prevent Prorogation of Madhya Pradesh Assembly	6101
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	6102
श्री गोविन्द मेनन	Shri P. G. Menon	6105
श्री रंगा	Shri Ranga	6106
श्री जी. भा. कृपालानी	Shri J. B. Kripalani ...	6107
श्री राम किशन	Shri Ram Kishan ..	6107

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	.. ...	6108
डा. गोविन्द दास	Dr. Govind Das	.. ...	6109
श्री कंडप्पन	Shri Kandappan	.. ...	6 109
श्री हनुमन्तैया	Shri Hanumanthaiya	... ...	6109
श्री ही. ना. मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	... ..	6110
श्री अ. कु. सेन	Shri A. K. Sen	.. ..	6110
श्री उमानाथ	Shri Umanath	... ...	6113
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	... ..	6113
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	... ...	6115
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	.. ..	6115

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरूवार, 20 जुलाई, 1967/ 29 आषाढ़, 1889 (शक)
Thursday, July 20, 1967/*Asadha* 29, 1889 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker ***in the Chair*** }

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को चौधरी श्रीचन्द के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है, जो 68 वर्ष की आयु में 19 जुलाई, 1967 को परलोक सिधार गये हैं। मृत्यु से पूर्व वह हरयाना विधान सभा के अध्यक्ष थे।

चौधरी श्रीचन्द 1946–47 में केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे।

अपने इस मित्र के निधन पर हम शोक प्रकट करते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि दुखी और संतप्त परिवार को शोक संदेश भेजने में सभा मेरा साथ देगी।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : किसान आन्दोलन के दौरान चौधरी श्रीचन्द के साथ कई वर्ष तक काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वह पंजाब के किसानों के सच्चे समर्थकों और नेताओं में से एक थे। वह स्वर्गीय श्री छोटूराम के कट्टर अनुगामी तथा पुराने पंजाब के किसानों के महान नेता थे। वह लोक सभा और राज्य विधान सभा के भी सदस्य रहे थे। उन्होंने संसदीय सचिव के रूप में भी कार्य किया और वह रोहतक के वकीलों के नेताओं में से एक थे। उन्होंने 20 वर्ष से अधिक समय तक पंजाब के लोक जीवन में प्रसंशनीय कार्य किया है। मैं भी उनकी मृत्यु पर आपके साथ शोक प्रकट करता हूँ।

Shri Balraj Madhok (Delhi-South) : Chaudhri Shri Chand was just like an institution in the public life of Haryana. He occupied a very prominent place in the public life of Haryana for about fifty years. He was a great supportor of Unionist ministry. When the Jan Sangh was organized after independence and the first convention of Bhartiya Jan-Sangh was called at Jullunder, he became the Member of Jan Sangh. Thereafter also he had been in close contact of our party and he had also been supporter of the ruling United Front, Which came into existence after the recent general elections.

Chaudhri Sahib belonged to an agriculturist family. He laid his life for the service of farmers and soldiers. Late Lal Bahadur Shastri gave a new slogan to the nation 'Jai Jawan Jai Kisan' and Chaudhri Sahib fought for both farmers and Jawans. I pay my homage to the departed soul.

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : श्रीमान्, हम दिवंगत समाज सेवी चौधरी श्रीचन्द को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारा शोक संदेश उनके परिवार तक पहुंचायें।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा शोक प्रकट करने हेतु थोड़ी देर के लिये मौन खड़ी हो जाये।

इसके पश्चात माननीय सदस्य थोड़ी देर के लिये मौन खड़े हुए।

The hon. Members then stood in silence for a shortwhile

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय तेल निगम

\+
*1262. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री यशपाल सिंह :**
श्री ह० प० चटर्जी : **श्री नंजा गौंडर :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से सरकारी तथा गैर-सरकारी उपक्रमों की यह शिकायत है कि उन्हें भारतीय तेल निगम द्वारा बतायी गयी वितरण सूचियों के अनुसार सप्लाई नहीं की जाती;

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) (1) स्नेहक पदार्थों (लुबरिकैन्ट्स) और भट्टी के तेल का कम मात्रा में सम्भरण और (2) निगम से लाभ उठाने वालों को भारतीय तेल निगम द्वारा दी जाने वाली तकनीकी सहायता की कमी के बारे में क्या कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो जांच के फलस्वरूप निकले परिणामों को ध्यान में रखते हुए और क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) (क) और (ख) : आयातित भट्टी के तेल और लुबीकैंटस की कम उपलब्धि के कारण पिछले वर्ष कुछ शिकायतें आई। सप्लाई की स्थिति में काफी सुधार हो गया है और अब शायद ही कोई शिकायत हो।

(ग) जी हां।

(घ) लुब्रीकेंटस और भट्टी के तेल के आयात के लिये विशेष आवटंन दिये गये। भट्टी के तेल के देशीय उत्पादन को बढ़ाने के कदम भी उठाये गये। यह उत्पाद अब देश में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। भारतीय तेल निगम के तकनीकी सहायता अनुभाग को भी उचित रूप में मज़बूत कर दिया गया है।

श्री स० चं० सामन्त : भारतीय तेल निगम कब स्थापित हुआ था ? उस समय यह निगम कितना तेल वितरित करता था और अब कितना तेज वितरित करता है ?

श्री रघुरामैया : भारतीय तेल निगम कुछ वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था। गत वर्ष तक हम भट्टी का तेल और हाई स्पीड डीजल तेल विदेशों से मंगाते रहे हैं। अब हम इन दोनों के बारे में आत्म निर्भर हो गये हैं। स्नेहक तेल का अब भी आयात किया जाता है। भारत में इसका भी उत्पादन करने के बारे में कई प्रस्ताव विचाराधीन हैं। जैसे ही ये तेल यहां बनने लगेंगे, इनके मामले में भी हम आत्म निर्भर हो जायेंगे।

श्री स० चं० सामन्त : उन तेल शोधक कारखानों के क्या नाम हैं, जो इस निगम को पैट्रोल से बने पदार्थ सप्लाई करते हैं ? क्या यह निगम इन कारखानों में तैयार सारा माल ले लेता है या कारखाने किसी और को भी अपना माल बेचते हैं।

श्री रघुरामैया : भारतीय तेल उद्योग की मंडी-व्यवस्था सुसंगठित है। भारतीय तेल निगम गैर-सरकारी कम्पनियों के माल को क्षेत्रवार बेचता है और अन्य क्षेत्रों में गैर सरकारी कम्पनियां भारतीय तेल निगम के माल को बेचती हैं। तेल शोधक कारखाने कोयली, बरौनी और गोहाटी में है। कोचीन तेल शोधक कारखाने में हमारे हिस्से हैं। तथा मद्रास और हल्दिया में तेल शोधक कारखाने लगाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

Shri Yashpal Singh : May I know whether the Indian Oil Corporation controls foreign oil companies and by what time it will replace the foreign oil companies ?

श्री रघुरामैया : तेल कम्पनियों का उत्पादन नियंत्रित होता है। वे बिना भारत सरकार की आज्ञा के अपना उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। ऐसी शर्त लगाई गई है कि कुछ समय तक इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा सकता।

श्री शशि रंजन : तेल उत्पादों की नियमित सप्लाई न होने का कारण इन उत्पादों का अभाव नहीं है, बल्कि इसका कारण यह है कि एक एक कम्पनी को बहुत बड़ा-बड़ा क्षेत्र वित-

रण के लिये दिया हुआ है, जहां पर उनका एकाधिकार बना हुआ है। क्या सरकार का विचार इस प्रकार के एकाधिकार को तोड़ने का है ताकि छोटे छोटे एककों को अवसर मिले और सप्लाई नियमित हो सके ?

श्री रघुरामैया : मुझे पता नहीं है कि माननीय सदस्य किस विशिष्ट कम्पनी की ओर इशारा कर रहे हैं। परन्तु वर्तमान प्रवृत्ति यही है कि छोटे छोटे एककों को सुविदा दी जाये।

श्री शशि रंजन : कलकत्ता की एक फर्म पूरे उत्तर भारत पर एकाधिकार जमाये हुए है।

डा० रानेन सेन : कुछ समय पहले समाचार पत्रों में यह खबर छपी थी कि भारतीय तेल निगम के कुछ अधिकारियों ने इस तरह से काम करने की एक चाल चली थी जिससे विदेशी कम्पनियों को उस समय लाभ पहुंचा था जब कि पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई कम थी। उस समय विदेशी तेल कम्पनियों ने आगे बढ़कर उन सरकारी और गैर-सरकारी कम्पनियों को जिनको तेल तथा अन्य उत्पादों की आवश्यकता थी, उन वस्तुओं की सप्लाई की। उस समाचार को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिये कोई जांच की थी कि वास्तविक स्थिति क्या है ?

श्री रघुरामैया : जो शिकायत माननीय सदस्य के मन में है मुझे उसकी जानकारी नहीं है। परन्तु यदि कोई शिकायत मंत्रालय के ध्यान में लाई जायेगी तो हम अवश्य ही उस पर ध्यान देंगे। मैं केवल यही कह सकता हूं कि वितरण प्रणाली एकीकृत है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं। जो निकटतम तेलशोधन कारखाने पर निर्भर करते हैं। और कुछ विपणन अभिकरणों के लिये निर्धारित किये गये है ?

Shri Achal Singh : May I know whether there is any possibility of supply of petroleum being in India on account of West Asian crisis ?

श्री रघुरामैया : कोई कमी नहीं हुई है।

श्री प० गोपालन : क्या सरकार को इस बात का पता है कि भारतीय तेल निगम और गैर-सरकारी तेल कम्पनियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने के कारण देश में एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है, अर्थात् कुछ स्थानों पर वितरण केन्द्र अधिक हो गये है, जबकि दूसरे स्थानों पर वितरण केन्द्र कम हो गये हैं। यदि हां, तो इसके लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ताकि समूचे देश में ऐसे केन्द्रों का वितरण युक्तिपूर्ण हो सके ?

श्री रघुरामैया : इन तेल कम्पनियों ने पहले ही अपने फुटकर डिपो खोल रखे हैं। जब कभी इन तेल कम्पनियों के पट्टे की अवधि पूरी हो जाती है हम उन्हें यथासम्भव अधिक से अधिक संख्या में लेने का प्रयास करते हैं।

श्री वासुदेवन नायर : प्रश्न कुछ पूछा गया था तथा उत्तर कुछ और ही दिया गया है।

श्री प० गोपालन : मैंने यही कहा था कि नई स्थिति उत्पन्न हो गई है। कुछ स्थानों पर तो वितरण केन्द्र बहुत हो गये हैं तथा कुछ स्थानों पर वे कम संख्या में हैं। मेरा प्रश्न यह था।

श्री रघुरामैया : मैं पहले ही बता चुका हूँ कि तेल कम्पनियों ने कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर फुटकर डिपो खोल लिये हैं। जैसे ही पट्टा पूरा होता जाता है हमें उन्हें लेने का प्रयत्न करते हैं। मैं पहले ही यह बता चुका हूं।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विश्व की स्थिति ऐसी हो गई है कि तेल पैदा करने वाले क्षेत्रों में संकट है तथा विदेशों में तेल न भेजने का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। तथा दूसरी ओर के माननीय सदस्यों द्वारा बताई गई कमियों और त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मन्त्री आवश्यक कार्यवाही करने, जैसे प्रशासन को ठीक करने के लिये सहमत है तथा क्या इस दिशा में कार्यवाही की जा रही है और सारे मामले पर विचार किया जा रहा है ?

श्री रघुरामैया : जहां तक कमी का सम्बन्ध है मैंने कहा है कि इस समय मिट्टी के तेल लुब्रिकेन्ट्स तरल पदार्थों और विमानों में प्रयोग में लाये जाने वाले कुछ किस्मों के गैसों की कमी है। जहां तक मिट्टी के तेल का सम्बन्ध है, हम मद्रास तेल शोधक कारखाने में उत्पादन आरम्भ होने पर, तथा हल्दिया योजना कार्यान्वित होने पर आत्म निर्भर हो जायेंगे। जहां तक लुब्रिकंट्स का सम्बन्ध हैं हमारे पास कई प्रस्ताव है। इस वर्ष बरौनी मे उत्पादन आरम्भ करने का हमारा विचार है। इसे लुबइण्डिया में भी बनाने का हमारा प्रस्ताव है। इसे कोचीन में बनाने की सम्भावना पर भी हम विचार कर रहे हैं, और यदि हल्दिया योजना कार्यान्वित हो जाती है तो वहां पर भी इसे बनाने का हमारा विचार है। जब ये सभी प्रस्ताव कार्यान्वित हो जायेंगे तो हमें आशा हैं कि इस देश में लुब्रिकेन्ट्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जायेंगे।

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : जो कुछ भी मेरे सहयोगी ने विभिन्न अशोधित तेलों के बारे में अर्थात अशोधित तेलों के उत्पादों के बारे में कहा है मैं उस पर कुछ और भी कहना चाहता हूं। जहां तथा अशोधित तेल का सम्बन्ध है, जैसाकि सभा को विदित ही है, हमें उसका काफी मात्रा में आयात करना पड़ता है।

S'ri Ramavtar Shastri : The hon. Minister has just now told than the position of oil has improved than before So I would like to know whether keeping in view the improvement in the position, Government is contemplating to make up the curtailment effected in the oil quota for Bihar so that the Government of their State may snpply the same in the flood areas before the blood, take place ?

श्री रघुरामैया : मुझे पता नहीं कि किस विशिष्ट उत्पाद का उन्होंने उल्लेख किया है परन्तु हमें किसी कमी की जानकारी नहीं है। हमने नियतन कर दिया है। और यदि कोई कठिनाई हुई तो हम अवश्य उस पर विचार करेंगे।

Shri Maharaj Singh Bharati The pumping sets, tractors and power taken for intensive cultivation are facing the same difficulty of petroleum as was of kerosene in villages. May I know whether apart from existing progress. Indian oil corporation have made proper arrangements for carring and snpplying oil in all the villages of the country just as there are agencies for distribution of kerosene oil in the village ?

श्री रघुरामैया : इसका वितरण फुटकर डिपो से किया जाता है। फुटकर डिपो स्थानीय वितरण की व्यवस्था करते हैं।

श्री दामानी : क्या मैं जान सकता हूँ कि भारतीय तेल निगम के कितने पेट्रोल पम्प अब तक खोले गये हैं तथा उनमें से कितने देहाती क्षेत्र में और कितने शहरी क्षेत्र में हैं ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि उन्हें तेल पेट्रोल ठीक तरह से सप्लाई किया जा रहा है।

श्री रघु रामैया : तत्काल आंकड़े देना कठिन है। हजारों फुटकर डिपो है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विदेशी तेल कम्पनियों ने मूल्य नियंत्रण समितियों बना रखी हैं जिससे भारत के सभी बड़े बड़े नगरों में व्यापार का विस्तार रुक गया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और दिल्ली आदि बड़े बड़े नगरों में कितने नये पैट्रोल पम्प खोले गये हैं तथा कितने गैर–सरकारी कम्पनियों के हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कोई भी ये आंकड़े तत्काल कैसे बता सकता है ? मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि माननीय मन्त्री उत्तर दे सकते हैं।

श्री रघुरामैया : तत्काल आंकड़े देना बहुत कठिन है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि वह सही सही तस्वीर खेंच दे तो इससे पता लग जायेगा कि हमारे व्यापार का विस्तार नहीं हो रहा है क्योंकि विदेशी तेल मूल्य नियंत्रण समितियां हमारे व्यापार के विस्तार को रोक रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से सहमत हूँ। परन्तु पृथक नोटिस दिया जाना चाहिये। अन्यथा कोई भी नहीं बता सकेगा कि कितने नये पम्प खोले गये हैं।

आदीवासी तथा अनुसूचित जातियां

\+

***1263. श्री मधु लिमये** : **डा० राम मनोहर लोहिया** :
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री जार्ज फरनेन्डीज** :

क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के विभिन्न प्रतिवेदनों को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने आदिवासियों तथा अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में अपनी नीतियों का पुनर्विलोकन किया है ;

(ख) क्या बस्तर की घटनाओं के बारे में पाण्डे आयोग के प्रतिवेदन की उपपत्तियों को भी ध्यान में रखा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मोटी मोटी बातें क्या हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फुलरेणु गुह) : (क) समस्याओं के बहुत आवश्यक और बदलते रूप को ध्यान में रखते हुए पिछड़े वर्गों के कल्याण-कार्यक्रम सम्बन्धी नीतियां और प्राथमिकताएं निश्चित करते समय सरकार विभिन्न एजेंसियों द्वारा दी गई राय और परामर्श ध्यान में रखती है ; अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का आयुक्त भी इसमें शामिल हैं।

(ख) और (ग) आयोग के निष्कर्ष 25 और 26 मार्च, 1966, को जगदलपुर में हुए झगड़े-फिसादों तक ही सीमित हैं ; इस मामले में राज्य सरकार कुछ और कार्यवाही कर रही है।

Shri Madhu Limaye : I want to draw the attention of the hon. Minister to one sentence of the fresh report submitted by the Commissioner regarding Adivasis and Harijans. That is as follows ;

"1-1-65 की स्थिति को देखने से पता चलेगा कि प्रथम श्रेणी में अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता 1.59, द्वितीय श्रेणी में 2.51 और तृतीय श्रेणी में 8.61 थी। यह प्रतिशतता अखिल भारतीय प्रतिशतता से कम थी जो 12½ प्रतिशतता होती है। उसी प्रकार अनुसूचित आदिम जातियों के मामले में 1-1-65 को इस प्रकार थी, स्थिति प्रथम श्रेणी में 0.53 प्रतिशत द्वितीय श्रेणी में 0.28 प्रतिशत और तृतोय श्रेणी में 1.11 प्रतिशत थी। यह प्रतिशतता भी अखिल भारतीय सेवाओं के लिये निर्धारित 5 प्रतिशत से कम थी।

अध्यक्ष महोदय : कल माननीग सदस्य उपस्थित थे तथा कार्य मन्त्रणा समिति ने इन प्रतिवेदनों पर चर्चा करने के लिये 7 घंटे निर्धारित किये थे।

Shri Madhu Limaye : I want to know one thing for my information. You are getting every year the report of Commissioner and in some years the percentage was reduced e. g. in 1561, the percentage secured by Harjans in 1961 was 1.44 while the next year it was i. e. it became 1.27 similarly, the percentage secured by Advivasis was .27 per cent a· in 1962 whieh was reduced to ·23 per cent in 1963, The hon. Minister has not mentioned the steps Government is taking to improve the situation. He should divulge this information as discussion is likely to take place. I am taking about percentage have also given two examples than the percentage of Harijans and Adivasis has decreased,

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याणमन्त्री (श्री अशोक मेहता) : जहां तक सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रति निधान का सम्बन्ध है यह काम गृह-कार्य मन्त्रालय का है तथा इसका सही सही उत्तर वह मंत्रालय ही दे सकता है। जहां तक हमारे विभाग का सम्बन्ध है हमने गृह-कार्य मंत्रालय के साथ तथा गृह-कार्य मंत्री के साथ भी विस्तार से बातचीत की थी। मैंने स्वयं विस्तार से बातचीत की थी। इस मामले पर विस्तार पूर्वक विचार करने के उद्देश्य से हमने एक संयुक्त दल बनाया है। वह दल

ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा जिससे इस मामले में सुधार किया जा सके। जैसा कि सभा को विदित ही है अपने विभाग की ओर से हम कुछ स्कूल चला रहे हैं जिनमें उन लोगों को जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, विशेष शिक्षा सुविधायें प्रदान की जाती हैं। हम इस मामले पर इस उद्देश्य से भी विचार कर रहे हैं कि ये सुविधाएं कितनी बढ़ाई जा सकती हैं।

Shri Madhu Limaye : There are some complaints regarding de-reservation of some temporary posts. The reason given for de-reservation is the non-availability of scheduled caste candidates. He has said that there have been case. Where even posts of lower Division Clerks have been de-reserved and instead persons belonging to casts other than scheduled casts have been taken on these posts, In this connection the Commissioner has reported that there were about 25000 matriculates and 1800 graduates belonging to Harijans and Adivases registered in Employment Exchanges.

श्री अशोक मेहता : माननीय सदस्य के प्रश्न को समझना बहुत ही कठिन है। मैं यह बता चुका हूँ कि यह विषय गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन हैं।

Shri Madhu Limaye : I am not concerned with all these things, whether it is under the Jurisdiction of Home Ministry or Finance Ministry. I am entitled to get the answer. Moreover I respectfully submit that the Parliamentary system is being put to an end. I think the hon. Prime Minister has become habituated of being absent from the House. She is not here even now. Even if she is here she does not reply. Ministers are in the habit of evading the answers by saying that the matter is under the jurisdiction of another Ministry. All the concerned Ministers should be persent in the House. I do not know who is conducting the Government.

संसद-कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : प्रधान मन्त्री इस समय किसी अन्य बैठक में भाग ले रही हैं। उसके बाद वह यहां आयेंगी।

Shri Madhu Limaye : If a matter is a concern of two or three Ministries, which of the Ministries should be finally responsible for that ? In this respect I have written to you also.

अध्यक्ष महोदय : शान्त, शान्त। प्रश्न काल के दौरान इस समस्या को नहीं सुलझाया जा सकता। यदि माननीय सदस्य प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं होते, तो अन्य उत्तम उपाय यही है कि उस विषय पर वाद विवाद किया जाये। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य क्या उपाय सुझा सकता है। इस प्रतिवेदन पर चर्चा के लिये।

Shri Madhu Limye : Kindly give your ruling on my point. It is one of the fundamentals of parliamentary system,

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर चर्चा के लिये आपके पास 7 घन्टे हैं। यदि आप इस प्रश्न पर और अधिक समय दिया गया तो शेष प्रश्नों के लिये समय न बच पायेगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : बात तो आपकी बिल्कुल सत्य है, परन्तु सम्बन्धित मन्त्री को अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों से भी जानकारी एकत्र कर लेनी चाहिये या कोई अन्य तरीका इसके लिये होना चाहिये, जैसे प्रधान मन्त्री इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : सामान्यतः ऐसा ही किया जाता है । यदि किसी प्रश्न का सम्बन्ध दो या तीन विभागों से होता है तो सभी से जानकारी एकत्र की जाती है । परन्तु कोई भी मंत्री इतने पर भी पूरा ब्यौरा नहीं दे सकता क्योंकि उसका सम्बन्ध सब फाइलों से नहीं होता । मेरा ऐसा अनुभव है । अब श्री अशोक मेहता से मेरा यह निवेदन है कि मधु लिमये के प्रश्न के उत्तर में उतनी जानकारी दें जितनी उन्हें गृह मंत्रालय से मिली है ।

श्री मं० रं० कृष्ण : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का प्रतिनिधित्व केन्द्रीय सरकार का विषय है और उनके कल्याण का दायित्व भी उसी पर है । अतः सम्बन्धित मंत्री को यह नहीं कहना चाहिये कि उसके पास जानकारी नहीं है, क्योंकि केन्द्रीय मंत्री होने के नाते अपेक्षित जानकारी एकत्र करना उसके लिये कठिन नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय : यह नीति का मामला है ।

श्री अशोक मेहता : यदि माननीय सदस्य के प्रश्न में कोई विशेष जानकारी पूछी गई होती तो मैं तत्सम्बन्धी जानकारी एकत्र करके उन्हें अवश्य उत्तर देता । यह प्रश्न आयुक्त द्वारा अब तक दिये गये प्रतिवेदनों और उनमें उल्लिखित सुझावों के बारे में पूछा गया है। उन सब सुझावों और प्रतिवेदनों से सम्बन्धित सभी जानकारी एकत्र करना मेरे लिये सम्भव नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : The notice of the question was given in April and three months May, June and July have passed since then.

श्री अशोक मेहता : माननीय सदस्य यह अनुपूरक प्रश्न में पूछ रहे हैं जबकि यह विशेष जानकारी उन्हें मूल प्रश्न में पूछनी चाहिये थी । माननीय सदस्य सामान्य प्रश्न पूछते हैं और हर सम्भव अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में वे विशिष्ट जानकारी की अपेक्षा करते हैं । यह सम्भव नहीं होता । इसके लिये उन्हें अलग से सूचना देनी होगी ।

श्री रंगा : ऐसे प्रश्न के सम्बन्ध में यह अपेक्षा की जाती है कि मंत्री महोदय उत्तर में एक ब्यौरेवार विवरण देते जिसमें आयुक्त द्वारा दी गई सिफारिशों और उनकी क्रियान्विति के लिये की गई कार्यवाहियों का सविस्तार उल्लेख होता । यदि ऐसा किया जाता तो सभा में यह विवाद ही खड़ा न होता । मंत्री महोदय याद बेशक न रखें परन्तु उनकी फाइल में तो पूरी जानकारी होनी चाहिये ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह सभा पटल पर रखा जा सके ।

श्री अशोक मेहता : हमें आयुक्त के प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर ही ध्यान नहीं देना होता । बल्कि जो परामर्श समितियां, अनुसूचित जातियों की मंत्रणा समितियां अन्य उप-समितियां और राज्य सरकारें कहती हैं उन पर भी विचार करना होता है। जैसा कि आपने कहा है कि इस विषय के लिये सात घन्टे नियुक्त किये गये हैं, इस समय इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिये हम तैयार है । परन्तु प्रश्न काल के दौरान सामान्य प्रश्न का विशिष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

श्री रंगा : अब मेरा यह सुझाव है कि इस विषय पर सामान्य चर्चा होने से पूर्व मंत्री महोदय आयुक्त द्वारा दी गई विशेष सिफारिशों और उनकी क्रियान्विति के सम्बन्ध में की गई कार्यवाहियों का एक विवरण तैयार करके सदस्यों के लाभ के लिये उसे सभा पटल पर रख दें।

डा० राम सुभग सिंह : प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में कोई कठिनाई नहीं है।

Dr. Ram Manohar Lohia : Is Minister of Social Welfare aware of the fact that 20% of posts are reserved for Harijans and Adivasis but in services they are not more than two or three percent ? The reason for it is the lack of qualifications. On the basis of the qualifications their percentage in services will not increase. So has the Minister considered about adopting the basis of opportunity rather than the basis of qualifications for recruitment of Harijans and Advasis into services so that the quota of 20% of seats may be occupied by them; if not, why ?

Shri Asoka Mehta : As I have already said there some institutions which train these people for different competitive examinations and make their deficiency in qualifications. Now we are considering to provide more training facilities to them (Interruptions)

Mr. Speaker I am unable to understand whether you or these hon. Members are controlling the House. It has been asked whether the Government are prepared to recruit these people on the basis of reserved percentage ignoring their qualifications. In this respect I said that training facilities are being given to them so that they may make up their deficiency in qualifications and pass the examinations easily to fill their full quota in services.

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, I raise a point of order. The Minister has not reptied my question.

Mr. Speaker : It has already been decided that no point of Order should by raised during Question Hour.

Dr. Ram Manohar Lohia : My question has heen misunderstood by the Hon. Minister. I want to make it clear that the Government should give up the criteria of qualifications and instead adopt the criteria of opportunity alone so that even unqualified Harijans and Adivasis may occuply all the 20% posts reserved for them. You should help me in this respect.

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तरों से सन्तुष्ट नहीं है तो मन्त्री महोदय फिर से उत्तर दे सकते हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अशोक मेहता : मैंने संतोषपूर्ण उत्तर दिया है। मैंने बताया है कि यह परीक्षा के लिये जो वो कह रहे हैं हम उसमें सहमत नहीं हैं। हम यह चाहते हैं कि उन्हें हर तरीके की सुविधाएं प्रदान की जायें ताकि पास होने के लियें उनमें आवश्यक प्रतियोगिता हो सकें; चाहे वह कोई परीक्षाएं हो या पदोन्नति की आवश्यकताएं। वे उच्च पद पर हीनता की भावना के बिना ही पहुंच सकें (बाधाएं)

Shri Madhu Limaye : All that have been done by the Government is before the public.

श्री अशोक मेहता : वे प्रश्न पूछते है, जानकारी मांगते हैं, मैं उन्हें स्पष्ट उत्तर देता हूं। यदि वह उत्तर से संन्तुष्ट नहीं होत तो उन्हें शोर नहीं करना चाहिये।

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, I protest against it.

Shri Sheo Narain : Scheduled caste students are still unemployed even passing M. A., the highest degree of the University, and securing 55% marks in science. I want to know whether there is some technical difficulty in providing employment to them.

Shri Ashok Mehta : For instance an M.P. has written me that a scheduled caste student who has passed M. A. with good marks should get a post of a lecturer in a Delhi College. It is not a Government College, but it is a private College aided by Government. I have discussed with the Home Minister that we should place a condition to the aided institutions that they should have to employ a particular percentage from the qualified scheduled caste and scheduled tribes condidates. We are trying to provide them employment wherever possible by imposing conditions like that.

Shri Sheo Narain : I am concerned with this question, but you are not givingme an opportunity to ask a question.

Shri Hukam Chand Kachwal : Whether it is a fact that the reason for not fulfilling the quota even if sufficient trained schedule caste candidates available, is this that the officers do not want to employ them. They want to employ their own men. They do not want to keep scheduled caste candidates with them and the pressure is placed from their side in this regard.

Shri Ashok Mehta : Proper care has been taken that there may not be any irregularity from the side of the officers.

Shri Kanwar Lal Gupta : What actions have been taken by the Goverment to stop irregularities done by the officers and thereby employment may be provided for the scheduled caste and scheduled tribes candidates ?

Shri Ashok Mehta : So far as class two or class three,are concerned, the complaints are very negligable in this regard. There are quite a good number of complaints with regard to class one and class two. As it has already been told that they have been given full facilities giving training for class one or class two employees.

I have also stated that there are several other appointments in addition to Government appointments. There are number of appointments in public or private sectors, plenty of them in private colleges for which we give some grants. We are trying to impose certain conditions on those who receive grants from us regarding these appointments. We also like to put some pressure even on those who do not get grant from us to employ scheduled caste and scheduled tribes candidates.

श्री कार्तिक ओराओ : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह उसकी जानकारी में है कि उड़ीसा सरकार ने स्वतन्त्रता से पहले एक विज्ञप्ति जारी की थी जिसके अनुसार अनुसूचित जाति के सदस्य बनने का तरीका यह होगा कि केवल वही लोग जो

आदिम जाति के होंगे वही अनुसूचित जाति के सदस्य माने जायेंगे और जो लोग अनुसूचित आदिम जाति से इसाई धर्म स्वीकार कर लेंगे उन्हें अन्य पिछड़े वर्ग के लोग समझा जायेगा और उनकी गणना अनुसूचित आदिम जाति में की जायेगी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को यह विदित है कि पश्चिमी बंगाल के सदस्य श्री हैनरी एलेक्जेन्डर वैस्टर विच और रांची के दूसरे सदस्य श्री पोल दयाल ने विधान सभाओं के सुरक्षित स्थानों के लिये इस आधार पर चुनाव लड़ा था कि वे इसाई थे और वे आदिम जाति के नहीं थे। अतः अनुसूचित आदिम जाति के सदस्य बनने के लिये इसाई बनना सबसे अधिक आवश्यक है। क्या यह तर्क सरकार की जानकारी में है ? मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह विज्ञप्ति सरकारी जानकारी में है और क्या लोग इसलिये ही विधान सभा में सुरक्षित स्थान से वापिस आये है क्योंकि वे इसाई थे ?

Shri Shiv Charan Lal : I want to know whether the facilities like education, housing, employment etc. are provided mostly to congress people and not to Balmika, Kanwar, Washerman, Passi, Koli etc. Even twetny years after the independence, the Balmiki carried night soil. I want to know whether some Balmiki, Washerman, Dhanuk etc. is a judge of High Court or a Governor or an ambassador ? It is only a show that something is being done for the scheduled castes.

Shri S. M. Joshi : To clarify Dr. Lohia's question on education, I want to ask how many vacancies we have been able to fill. Suppose there are hundred vacancies and you got twelve candidates. But if out of them twenty persons-have the minimum qualifications then whether you would or you would not try to fill up the back log by providing a chance to those twenty persons.

Shri Asoka Mehta : We would try to fill up the back log.

श्री मं० र० कृष्ण : आयुक्त की रिपोर्ट के अतिरिक्त और बहुत सी समितियों—जय प्रकाश नारायण, रेनूका रे और मलकानी, ने अपनी रिपोर्ट इस वर्ष सरकार को प्रस्तुत की हैं। पिछले 16 वर्षों में लगभग प्रत्येक दिन ही कोई न कोई समिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के कल्याण के सम्बन्ध में जांच करती रही है। स्वर्गीय गृह मन्त्री ने इसी सभा में यह कहा था कि हरिजनों को उनका भाग न केवल कल्याण सेवा विभाग में ही मिलेगा बल्कि अन्य विभागों में भी।

मैं यह विशेषतौर पर जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत वह इन लोगों को लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में लगाने का विचार रखती है ? जहां तक मुझे ज्ञात है इन दो संस्थाओं का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है और ना ही उन्होंने उनके कल्याण के लिये कोई धनराशि अलग रखी है।

श्री अशोक मेहता : राज्य सरकारों पर लगातार यह जोर डाला जा रहा है कि वे अपने सामान्य कार्यक्रम में अनुसूचित जातिओं और अनुसूचित आदिम जातियों को उनका उचित भाग दें और उनको दिये जाने वाले विशेष भाग में और सहायता करें और उसका प्रतिस्थापन न करें। हम भी इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि लघु उद्योगों के सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है और अनुसूचित जाति के लाभ के लिये किस औसत से सुरक्षित स्थान रखे जा सकते हैं।

श्री कन्डप्पन : आदिवासियों और अनुसूचित जातियों की मुख्य कठिनाई गैर सरकारी मालिकों की भूमि सम्बन्धी समझौता है। मुझे अन्य राज्यों के विषय में तो कोई जानकारी नहीं है, परन्तु मद्रास में बहुत से मामलो में जहां गैर सरकारी मालिकों की भूमि है, वहां वे जाति विचार के उच्च जाति के लोगों के ऊपर निर्भर हैं। क्या सरकार के पास इस भूमि को प्राप्त करने का विशेष कार्यक्रम है ताकि ये लोग अपनी भूमि पर रह सकें ?

श्री अशोक मेहता : मेरे विचार से प्रस्ताव यह है कि वे भूमि आवास स्थान के लिये प्राप्त की जायेगी। इसके लिये योजना में कार्यक्रम बनाये गये हैं और इस सम्बन्ध में राज्य सरकारें यथा सम्भव कार्य कर रही हैं।

श्री कन्डप्पन : उनको कितनी सहायता दी जा रही है ?

श्री अशोक मेहता : मेरे पास इस समय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यदि वह मुझे लिखेंगे तो मैं प्रस्तुत करूंगा।

दिल्ली विकास प्राधिकार की भूमि के अलाटमेंट के बारे में नीति

+
***1264. श्री म० सुदर्शनम :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री यज्ञदत शर्मा :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकारी की भूमि अलाटमेंट (रिहायशी प्लाट) नीति को बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) नीति में किस दिशा में परिवर्तन करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) (ख) और (ग) बिल्डिंग प्लाटों के आवंटन में उदारता के कुछ प्रस्ताव विचाराधीन है। जब निर्णय ले लिया जायेगा तब सदन को सूचित कर दिया जायेगा।

श्री म० सुदर्शनम : दिल्ली विकास प्राधिकार सभी मकानों के निर्माण के लिये क्या वार्षिक लक्ष्य रखा गया है और यह लक्ष्य वास्तविक आवश्यकता के मुकाबिले में कैसा है ?

श्री इकबाल सिंह : किराया खरीद के आधार पर मकानों के निर्माण के हेतु दिल्ली विकास प्राधिकार के लिये हमने हाल ही में एक नई योजना मंजूर की है। यह अभी आरंभ हुई है।

Shri Yaspal Singh : What measures have been contemplated by the Government to amend the policy under which land was acquired at the rate of Rs. 5.00 per sq. yard and later sold at the rate of Rs. 350 per sq. yard without giving any share in the excess profit to the former owners of those lands ?

Shri Iqbal Singh : The peasants are duly compensated for the land acquired from them and if they are not satisfied with the quantum of compensation they can move the court to get it enhanced. As regards the selling of lands, they have been sold at the rate of Rs. 25,30 and Rs. 40 per sq. yard and it covers many incidental charges also.........

Shri Yaspal Singh : This is not my question. Government has given protection to those who have formed cooperatives. They acquired the lands at Rs. 5.00 per sq. yard and sold them at Rs. 50/- per sq. yard without allowing any share of profit to the peasants. When are you going to change this policy ?

Shri Iqbal Singh : As regards cooperatives, they are given lands at the rate of Rs. 8/- per sq. yard. If the hon. Member cites some specific instance, that can be enquired into.

श्री स० चं० सामन्त : उत्तर प्रदेश में सुधार न्यास के द्वारा जो नीति अपनाई जाती है उसके मुकाबिले में दिल्ली विकास प्राधिकार की भूमि आवंटन नीति कैसी है ?

श्री इकबाल सिंह : दिल्ली की भूमि आवंटन की नीति निश्चय है पड़ौस के राज्यों की नीति से भिन्न हैं। निजी स्वामियों द्वारा निर्मित नई बस्तियों पर अधिक नियन्त्रण नहीं है। परन्तु उच्च शक्ति प्राप्त समिति को दिल्ली और पड़ौस के राज्यों के लिये समान नीति अपनाने और व्यापक नियन्त्रण रखने के लिये कह रहे हैं।

Shri N. S. Sharma : Will the Ministry conduct on enquiry into the profiteering indulged in by the cooperative societies by purchasing lands at rock-bottom prices and selling them at exorbitant rates ?

Shri Iqbal Singh : Cooperative societies formed before 1960-61 are alloted lands and no land is alloted to the societies formed after 1960.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या मध्य वर्ग के लोगों को अपने मकान बनाने के लिये पैसा देने के लिये कोई कोई वित्त निगम है ?

श्री इकबाल सिंह : निम्न आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत उनको ऋण दिया जाता है।

Shri Balraj Madhok : In view of the fact that present Master Plan of Delhi cannot obviously meet the needs of the alarmingly multiplying population of Delhi as is evidenced from the fact that in the beginning it was expected that by 1980 the population of Delhi would reach the figure of 30 lakh, but this figure has already been crossed, may I know whether there is any proposal to review the Master Plan or whether lands will be alloted to the people for housing purposes ?

Shri Iqbal Singh : The Master Plan of Delhi was framed some six years back after careful deliberation. I admit that the population of Delhi is increasing at an alarm-

ing rate. At present we are considering whether some modifications can be effected in the Master Plan as also in the zonal plans. The Master Plan was framed with the idea of making Delhi an ideal and beautiful city.

Shri Dhuleshwar Meena : Are Government contemplating to allot lands to the House Building Cooperative Society of Members of Parliament ?

Shri Iqbal Singh : At present there is no such proposal before the Government ; if any such proposal comes, we shall certainly examine it.

Shri Prakash Vir Shastri : Have Government taken into confidence the Governments of Haryana and Uttar Pradesh regarding its development programmes so that uniform development can be brought about on the periphery of Delhi and the bordering lands of those States ?

Shri Iqbal Singh : Yes, Sir, there is a high-powered Committee which is comprised of the Chief Ministers of Uttar Pradesh and Haryana, Lt. Governor of Delhi, Chief Executive Councillor of Delhi, the Minister of this Minister and the Home Minister as its Chairman. This Committee sees that the schemes, policies etc. are uniform. One National Plan for National Capital Region is being drafted and we shall request the States to have their development plans conforming to that.

श्री म० ला० सोंधी : दिल्ली में उच्च आय वर्ग के लोगों की अपेक्षा निम्न आय वर्ग के लोगों को कितने प्रतिशत भूमि दी गई है ?

Shri Iqbal Singh : I require notice for this question.

Shri P. L. Barupal : Government under consideration any scheme for the construction of multi-storeyed building in Delhi to solve the housing problem of the citizens of Delhi ?

Shri Iqbal Singh : Yes, Sir, Two types of houses will be built. One area will be high density area or commercial area and the other residential area and we shall also have an area where 10-15 storeyed buildings will be constructed for residential purposes.

Shri Kanwar Lal Gupta : It was envisaged in the Master Plan that after 1981 there will be no slums in Delhi and even normally 30,000 new tenements are required annually to cope with the need of increasing population. In the Third Five Year Plan we were short of 60,000 tenements and now this figure has increased by 150,000. In view of this what steps are being taken to speed up the housing programme ? Will consider the proposal to allow construction of houses in those areas also where there is no electricity and sewer facilities ?

Shri Iqbal Singh : I concede that during the Third Five Year Plan we could not adhere to the housing programmes due to paucity of funds. Now the Government is again considering to advance loans to the people for house building purposes. The details in this regeard will be given in a few days.

Shri Kanwal Lal Gupta : My point is that the construction targets are not being adhered. What concrete steps are being taken for going apace in this regard ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : दो महीने पहले माननीय सदस्य, दिल्ली के संसद सदस्य, उप-राज्यपाल, मुख्य कार्यकारी पर्षद और अन्य लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी, दिल्ली में मकानों की समस्या एक विकट समस्या है। अतः दिल्ली प्रशासन को एक प्रस्ताव भेजा गया था कि क्या अर्धविकसित प्लाटों को दिया जा सकता है। वह प्रस्ताव विचाराधीन है और आशा है कि उस पर शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा।

Shri Sarjoo Pandey : Several hon. Members have pointed out that the House Building Societies indulge in excessive black marketing of lands. It was reported in the press that an hon. Member of the House, Shri Brahm Prakash is also involved in these societies. I want to know whether an enquiry has been made in this regard and what action has been taken.

Shri Iqbal Singh : As I stated we are allotting lands only to those societies which were formed before 1960. The land is allotted for the Members of this society and it is incumbent on the societies to distribute it only among the members thereof. Action is taken against the defaulting societies on receipt of complaints against them. If the hon. Member has any specific care, he should inform us about that and we shall consider that,

पिछड़े क्षेत्र

***1265 श्री दामानी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी क्षेत्र को "पिछड़े क्षेत्रों" की सूची में रखने के लिये सरकार ने कुछ सिद्धान्त निर्धारित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या है ; और

(ग) तदनुसार किन-किन क्षेत्रों को "पिछड़े क्षेत्रों" की सूची में रखा गया है ?

योजना पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। जनवरी, 1965 में राज्य सरकारों से निवेदन किया गया था कि वे विकास के कतिपय सूचकों के आधार पर पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण करे। इन सूचकों की एक प्रति सभा-पटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखी गई : देखिये संख्या एल० टी० 1118/67]**

(ग) दिनांक 6 जुलाई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 968 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है। तब से इस विषय में कोई और सूचना उपलब्ध नहीं हुई है।

श्री दामानी : क्या वेनकेट्चलम समिति ने उद्योगों के विस्तार और पिछड़े क्षेत्रों के लिये नये लाइसेंस देने के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन दे दिया है और क्या सरकार ने उसपर विचार कर लिया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री अशोक मेहता : इस विषय पर मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री दामानी : क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से नान्देद, परमानी, उसमानाबाद, भिड़ और चन्दा के पिछड़े क्षेत्रों के सम्बन्ध में सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं और यदि हां, तो क्या प्रस्तावों में उस क्षेत्र में शिक्षा सम्बन्धी और चिकित्सीय सुविधाओं का दिया जाना भी शामिल है ?

श्री अशोक मेहता : महाराष्ट्र सरकार से अभी विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या यह सच नहीं है कि मिजो का पहाड़ी जिला उत्तर कछार और मिकिर पहाड़ियां पिछड़े छेत्रों में आते हैं, यदि हां, तो वहां पर अब तक क्या विकास कार्य किया गया है ?

श्री अशोक मेहता : आसाम के पहाड़ी जिलों की एक पृथक विकास योजना है और मुझे विश्वास है कि चतुर्थ योजनावधि में उनके विकास पर 50 करोड़ रु० व्यय किये जायेंगे।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

दिल्ली के पंखा कालोनी में रह रहे अनधिवासी

अ. सू. प्र. सं. *32. श्री वासुदेवन नायर : **श्री अदिचन :**
श्री श्री०अ० डांगे : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री जनार्दनन : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारी वर्षा के कारण दिल्ली में पंखा कालोनी में बसाये गये सैकड़ों अनधिवासी परिवारों की दयनीय स्थिति की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन लोगों को संरक्षण देने तथा जीवन की न्यूनतम अपेक्षित सुविधायें प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) वांछित सूचना का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

27 जून तथा 30 जून, 1967 को झुग्गी-झोंपड़ी हटाने की योजना के अन्तर्गत सामान्य सफाई के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में क्रमशः, पटेल नगर क्षेत्र से (316) तथा मौलाना

आजाद मेडिकल कालेज के निकट मीरदर्द रोड पर महन्दीयान कब्रिस्तान से (502) 818 अनधिवासी परिवारों को हटाया गया। इनमें से योजना के अन्तर्गत वैकल्पिक वास पाने के लिये केवल 116 परिवार पात्र थे क्योंकि वे सरकारी जमीन पर 31 जुलाई, 1960 से पूर्व अनधिवास कर रहे थे। इन्हें इस योजना के अन्तर्गत राजौरी गार्डन तथा पांडव नगर के निकट नियमित बस्तियों में वैकल्पिक विकसित प्लाट आवंटित कर दिये थे। शेष 702 परिवार सरकारी भूमि पर 31 जुलाई, 1960 के बाद अनधिवास करने के कारण अपात्र अनधिवासी थे अतएव इस योजना के अन्तर्गत वे वैकल्पिक वास के अधिकारी नहीं थे। फिर भी, मानवीय आधार पर इन अपात्र अनधिवासी परिवारों को नजफगढ़ क्षेत्र में पंखा रोड के निकट हस्टसाल ग्राम में भेज दिया गया था। यह स्थान लगभग वैसा ही है तथा सड़क से बड़ी सुगमता से पहुँचा जा सकता है। अपने सामान को जिसमें भवन सामग्री आदि भी शामिल है, हस्तसाल ग्राम में नये स्थान पर ले जाने के लिए जहां उन्होंने अपनी झोंपड़ियां बना ली हैं, परिवहन (ट्राम्सपोर्ट) की निःशुल्क व्यवस्था कर दी गई थी। पानी की सप्लाई के लिए, वहां पहले ही से मौजूद दो कुओं के अतिरिक्त, 14 हैन्ड पम्प लगा दिये गये हैं। आश्रय के लिए सिरकी जैसी आवश्यकतायें सप्लाई कर दी गई हैं। सूखे शौचालयों के तीन खन्ड भी बना दिये गये हैं।

बस्ती में राशन कार्ड जारी करने तथा राशन की वस्तुओं की बिक्री के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है।

उस क्षेत्र को साफ रखने तथा बीमारियों से दूर रखने के लिए दिल्ली नगर निगम ने भी व्यवस्था कर दी हैं। हस्तसाल बस्ती में एक चल-औषधालय (मोबाइल मेडीकल डिसपैन्सरी) भी दिन में दो बार आती है। दिल्ली परिवहन उपक्रम (दिल्ली ट्रान्सपोर्ट अन्डर-टेकिंग) से भी यह अनुरोध किया गया है कि कैंपिंग साइट से शहर को तथा फिर वापसी के लिए शटल बस सेवा की व्यवस्था करें।

श्री वासुदेवन नायर : विवरण में सरकार ने इन 500 परिवारों का बहुत सुन्दर चित्र खींचने का प्रयत्न किया है। 5 जुलाई के "टाइम्स आफ इण्डिया" से 2-3 पंक्तियां उद्धरित करना चाहता हूँ जो इस प्रकार है :—

> "पंखा कालोनी में 30 जून तक, जबकि वहां अधिवासी आए, पीने का पानी उपलब्ध नहीं था ; वहां पर जो दो कुएं थे उन्हें जब से वे खुदे थे कभी साफ नहीं किया गया था। अधिवासियों ने शिकायत की कि उन्होंने कुएं से निकाले हुए पानी में उन्होंने सांप और मैडक पाये हैं। आसपास राशन की कोई दुकान न थी और उन्हें भुने हुए चने और गुड़ खा कर गुजारा करना पड़ा था।"

मैं जानना चाहता हूं कि इन गरीब लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है। जब वर्षा आ रही थी तो उन्हें अपने घरों से क्यों निकाला गया? इन परिवारों को फिर से बसाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

श्री इकबाल सिंह : दो प्रकार के अधिवासियों को हटाया गया है : पात्र तथा अपात्र। माननीय सदस्य "अपात्र" अधिवासियों के बारे में कह रहे हैं। योजना के अनुसार वे किसी आवास के लिये हकदार न थे, परन्तु फिर भी हमने उन्हें जगह दे दी है और वहां पर हैंडपम्प लगाये गये हैं और कुंओं में दवाइयां डाली गई हैं। वहां पर राशन की दुकान भी है। फिर भी योजना के अन्तर्गत जो सुविधायें दी जा सकती थी हमने उन्हें देने का प्रयत्न किया है।

श्री वासुदेवन नायर : 31 जुलाई 1960 में से सरकार ने तिथि के आधार पर यह श्रेणीकरण किया था। क्या यह सच नहीं है कि इस शहर में हजारों व्यक्ति आकर बस गये हैं और उनके पास इस तिथि से पहले कोई आवास नहीं था? क्या सारी स्थिति का पुर्नविलोकन करने का कोई विचार है ताकि इस कार्यक्रम में अधिक जातियों को शामिल किया जा सके।

श्री इकबाल सिंह : यह योजना 1960 में चालू की गई थी और उस समय कुल 50,000 अधिवासी परिवार थे। पात्र व्यक्तियों के लिए 10 करोड़ रु० की एक योजना मंजूर की गई थी। यदि हम बाद में आने वाले व्यक्तियों के लिये भी प्रबन्ध करते जायेंगे तो सरकारी भूमि पर अधिकाधिक लोग आकर बसने लगेंगे। जिन व्यक्तियों को 80 गज भूमि आवंटित की गई थी वे भी अपनी भूमि बेच कर दुबारा सरकारी भूमि पर आ बसे हैं। इसलिये उनमें 'पात्र' और 'अपात्र' का भेद किया गया है। जो उस तिथि के बाद आये हैं वे अपात्र हैं परन्तु फिर भी उन्हें न्यूनतम सुविधायें दी गई हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : How many cases of such alienation of allotted lands have come to the notice of the Government. Do Government propose to make an announcement holding the transfer of such lands as illegal. Originally Government had contemplated to give 80 yds plot but now this has been cut down to 25 yds. How can they do in such a small accommodation ?

Shri Iqbal Singh : The eligible squatters are allotted the 25 yds. plots in the first instance and they are later moved to 80 yds. plots. The inaligible squatters are taken to Hastal village.

Shri Hukam Chand Kachwai My question has not been answered. The Government had announced that it would allot 80 yds. plot, but now it wants to resile from it. Is it not a fact that Government is allotting 25 yds. Pots whereas it stood committed to allot 80 yds plot ? What is this after all ?

Shri Iqbal Singh : Plots of 80 sq. yards each were given to 348 men and tenements were given to 167 men. As far as the plots of 25 square yards are concerned, they were given to 18000 persons,

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know the number of people who were first given plots of 25 yards and later on given the plots of 80 yards ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको दो बार अवसर दिया है। मैं समझता हूं आपको संतुष्ट करने में मंत्री महोदय असमर्थ है।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : कुछ ही समय में सर्दियां आने वाली है उस समय पटड़ी वालों की क्या दशा होगी ?

अध्यक्ष महोदय : सर्दी आने से पहले अभी एक सत्र और होगा जिसमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है ।

Shri Kanwarlal Gupta : Delhi Municipal Corporation and Delhi Administration have written to the Government that the problem of Jhuggi-Jhopri Scheme is a big one, which should receive the serious consideration. What facilities have been given to eligible and ineligible squatters ?

Shri Iqbal Singh : To eligible squatters the plots of 25 yards and 80 yards have been given and the case of ineligible squatters is considered on humanitarian ground. On the completion of the scheme 5000 persons will get tenements, 14 thousand will get the plots of 80 yards each and the plots of 25 yards will be given to 30 thousand persons.

श्री म० ला० सोंधी : जिस ढंग से लोगों को हटाया जा रहा है और उन्हें बसाया जा रहा है उसके प्रति लोगों में भारी रोष है विदेशी टेलीविजन कम्पनियों ने उन लोगों की फिल्म तैयार की है, जो विदेशों में दिखाई जायेगी, इससे भारत की प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा । क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है ।

निर्माण आवास तथा सम्भरण मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : यह एक विशाल समस्या है जो दिल्ली में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है । इसलिये इसके लिये 31 जुलाई 1960 की अवधि रखी है और उस समय तक के अनधिकृत झुग्गी झोपड़ी वालों को वैकल्पिक आवास के लिये अधिकारी माना जायेगा । यह सम्भव नहीं है कि उन सब लोगों को प्लोट दिये जायें जो 31 जुलाई 1960 से बाद के बसे हुए अनधिवासी है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मुख्य सुविधाएं क्या दी जा रही है ?

श्री जगन्नाथ राव : पानी की सप्लाई और सार्वजनिक शोचालय आदि ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या अनधिवासियों की समस्या दिल्ली पर एक धब्बा नहीं हैं । क्या दिल्ली के मस्तक से यह धब्बा हटाया जायेगा और अनधिवासियों को सुविधाएं दी जायेंगी ?

श्री जगन्नाथ राव : हम यह प्रयास कर रहे है कि भविष्य में दिल्ली में अनधिवासियों की संख्या न बढ़ने पाये । जहां तक उन्हें सुविधा देने की बात है, हमारे पास वित्त सीमित है जबकि यह समस्या बहुत बड़ी है ।

श्री हि० ना० मुकर्जी : जो लोग सरकारी भवनों के निर्माण में लगे हुए होते हैं और जो जगह जगह पर अपनी झोपड़ी डाल लेते हैं उनके बारे में सरकार क्या व्यवस्था करेगी ? दूसरे उप राज्यपाल ने यह सुझाव दिया है कि जो लोग वैकल्पिक स्थान पाने के अधिकारी नहीं है, उन्हें अस्थायी शिविरों में भेज दिया जाये । क्या सरकार इस सुझाव पर अमल करेगी ?

श्री जगन्नाथ राव : इन मजदूरों के आवास की व्यवस्था के लिये वे ठेकेदार जिम्मेदार हैं जो उन्हें काम पर लगाते हैं। जिन लोगों को इन शिविरों में भेजा जाता है उन्हें आवश्यक सुविधाएं दी जाती है।

Shri Balraj Madhok : The responsibility of uprooting and rehabilitating the squatters is divided now, while this responsibility should be united and it should be entrusted to one authority whosoever it may be. Lt. Governor of Delhi has also suggested the same thing. May I know whether the Government have taken decision in this respect ?

श्री जगन्नाथ राव : हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि यह काम दिल्ली नगर निगम को दिया जाये या दिल्ली प्रशासन को। वैसे यह निश्चित है कि यह कार्य किसी एक एजेन्सी को सौंपा जायेगा। इस सम्बन्ध में निर्णय शीघ्र ही लिया जायेगा।

Shri Balraj Madhok : The number of squatters in Delhi is increasing rapidly. The Government is making arrangements for 15 thousand while they are two lakhs in number now. Will the Government adhere to the 1961 policy or do something for all two lakh squatters ?

Shri Jagannath Rao : It is not possible for the Government to give amenities to two lakh squatters ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWER TO QUESTION

भूतपूर्व वित्त-सचिव श्री भूतलिंगम के विरुद्ध जांच

***1266. श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व वित्त सचिव, श्री एस० भूतलिंगम को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् का महा निदेशक नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अमी चन्द प्यारे लाल फर्म के मामले में उनके विरुद्ध की जा रही जांच पूरी हो चुकी है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें इस पद पर नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि श्री एस० भूतलिंगम के विरुद्ध किसी तरह की जांच शुरू नहीं की गई है, इसलिए मेरा ख्याल है कि यह जिक्र उस समिति के बारे में जो लोह और इस्पात मंत्रालय

से सम्बन्धित उन लेनदेनों की, जिनका उल्लेख लोक लेखा समिति की पचासवीं और छप्पनवीं रिपोर्टों में किया गया था, और उन अन्य पार्टियों से सम्बन्धित लेनदेनों की भी, जांच के लिये नियुक्त की गई थी जिन्हें 1951-52 में और उसके बाद लाइसेंस परमिट दिये गये थे। समिति ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं की है।

(ग) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक गवेषणा परिषद् एक गैर-सरकारी संस्था है और इसे अपने ज्ञापन और नियमों के अनुसार अपने पदाधिकारी, जिनमें महानिदेशक भी शामिल है, नियुक्त करने का अधिकार है।

राज्यों की चौथी पंचवर्षीय योजना

***1267. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री चं० चु० देसाई :
श्री ग० चं० दीक्षित :
श्री दी चं० शर्मा :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों ने चौथी पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी परिव्यय को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य के प्रत्येक परिव्यय का मोटा ब्यौरा क्या-क्या है ?

योजना. पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। नवम्बर दिसम्बर, 1966 में राज्यों की चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर विचार विनिमय किया गया था और पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों के सम्बन्ध में अस्थायी आधार पर योजना परिव्ययों और केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में सम्मत निर्णय ले लिए गये हैं। इन विचार विनिमयों में सम्मत योजना परिव्ययों को दर्शाते हुए एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

राज्यों की चौथी पंचवर्षीय योजना का आगे और पर्यवेक्षण किया जा रहा है और इसे अन्तिमरुप देते समय राज्यों के चौथी योजना परिव्ययों के बारे में अन्तिम रुप से निर्णय किया जायेगा।

चौथी पंचवर्षीय योजना-राज्य

राज्य	(करोड़ रुपये) योजना परिव्यय
1. आंध्र प्रदेश	522
2. असम	190
3. बिहार	545
4. गुजरात	446

5. हरियाना	168
6. जम्मु तथा कशमीर	126
7. केरल	293
8. मध्य प्रदेश	458
9. मद्रास	564
10, महाराष्ट्र	951
11. मैसूर	429
12. उड़ीसा	300
13. पंजाब	280
14. राजस्थान	313
15. उत्तर प्रदेश	926
16. पश्चिम बंगाल	×
17. नागालैंड	30

× अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

योजना आयोग का पुनर्गठन

***1268. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री रा० बरुआ :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री धीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री देवव्रत बरुआ :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री पार्थसारथी :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या योजना मंत्री 25 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 313 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजना आयोग के पुनर्गठन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

योजना पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) योजना आयोग से सम्बन्धित प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफ़ारिशों

के बारे में सरकार के निर्णयों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने लोक सभा में 17 जुलाई 1967 को जो वक्तव्य दिया है, उसकी ओर ध्यान दिलाया जाता है।

पश्चिम बंगाल को चौथी पंचवर्षीय योजना में नियत की गई राशि

*1269. **श्री कं० हाल्दार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में पश्चिम बंगाल को नियत की गई दस करोड़ रुपये की राशि का अब तक भुगतान नहीं किया है जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Misuse of Two Paise Coins

*1270. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Raguvir Singh Shastri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Nardeo Snatak :
Dr. Surya Prakash Puri :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government are aware that 2 paise coins are being used in the country for soldering purposes;

(b) whether any investigation has been made in this regard ?

(c) if so, the result thereof and the action taken against the persons concerned; and

(d) whether Government propose to change this coin with a view to check its misuse ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : (a) No such report has been received by Government so far. It may, however, be added that for soldering low melting alloys are generally used whereas the alloys of which the coins in circulation are made have relatively high melting points.

अंशों (शेयरों) में पूंजी विनियोजन

*1271. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री बृज राज सिंह :
श्री सु० क० तापड़िया :
श्री क० कृ० नायर :
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंशों (शेयरों) में पूंजी लगाने वाले लोगों को पिछले कुछ वर्षों में काफी हानि उठानी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) मई 1962 के मध्य से बाजार में सामान्य (इक्विटी) शेयरों के मूल्यों में आम तौर से गिरावट आ जाने से यह सम्भव है कि शेयरों में रुपया लगाने वाले कुछ व्यक्तियों को हानि हुई हो लेकिन 1958-61 की अवधि में, गरम बाजारी के दिनों (बूमपीरियड) में शेयरों के मूल्यों में तेजी आने के कारण जो सम्पूर्ण लाभ हुआ था वह पूरा का पूरा समाप्त नहीं हुआ हैं। 1966-67 में शेयरों के मूल्यों का स्तर, गरम बाजारी के दिनों से ठीक एक वर्ष पहले अर्थात् 1957-58 के शेयरों के मूल्यों के स्तर से 21.7 प्रतिशत ऊंचा था।

(ख) विदेशी मुद्रा की बिगड़ती हुई स्थिति के बाद मई 1962 से शेयरों के मूल्यों में गिरावट आने की प्रवृति, भारत की सीमाओं पर लगातार दो लड़ाइयां होने के कारण भी बढ़ गयी और परिणामत: देश की अर्थव्यवस्था पर भी उसका दबाव पड़ा।

(ग) सरकार शेयरों के मूल्यों की प्रवृतियों पर बराबर नजर रखे हुए हैं और देश में पूंजी लगाने के वातावरण को सुधारने के लिए उपाय भी कर रही है।

दिल्ली नगर निगम

***1272. श्री प० ला० बारुपाल :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री शंकरानन्द :
श्री भोला नाथ :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री राज देव सिंह :
श्री जु० रामपति राव :
श्री गा० शं० मिश्र :
श्री शशि रंजन :
श्री कृ० गु० देशमुख :
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री काशी नाथ पांडे :
श्री चन्द्र जीत यादव :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बूटा सिंह :
श्री कार्तिक ओराओं :
श्री गु० सि० ढिल्लो :
श्री गार्डिलिंगन गोड़ :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री प्रेम चन्द वर्मा :
श्री सीताराम केसरी :
श्री अ० वि० पाटिल :
श्री द० ब० राजू :
श्री हरि कृष्ण :
श्री ओंकार लाल बेरवा ;
श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा :
श्री दामानी :
श्री रानचन्द्र वीरप्पा :

क्या निर्माण. आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने अपनी आमदनी बढ़ाने और दिल्ली को दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा स्वीकृत बृहद् योजना के अन्तर्गत योजनाबद्ध नगर बनाने के लिये क्षेत्रिय योजनाएं तैयार की है; और

(ख) यदि नहीं, तो नगर निगम ने दरिया गंज तथा उसके साथ लगते हुए अन्य क्षेत्रों में, जो क्षेत्रिय योजनाओं के अन्तर्गत आते हैं, क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करने और उनको कार्य-रूप देने के लिये क्या कार्यवाही की है और इनको क्रियान्वित करने में उन्हें कितना समय लगेगा।

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) दिल्ली डवलपमेंट आथरटी एक्ट, 1957 के अनुसार क्षेत्रीय विकास आयोजना (जोनल डवलपमेंट प्लान) तैयार करने का उत्तरदायित्व दिल्ली विकास प्राधिकरण (दिल्ली डवलपमेंट आथरटी) का है न कि दिल्ली नगर निगम का। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दरियागंज क्षेत्र के लिए अभी तक क्षेत्रिय विकास आयोजना तैयार नहीं की है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा जब आयोजना तैयार हो जायेगी तथा वह सरकार के द्वारा जब अनुमोदित हो जायेगी तब उसके क्रियान्वितीकरण (एक्जीक्यूशन) का उत्तरदायित्व दिल्ली नगर निगम का होगा।

मैसर्स फाइजर लिमिटेड

1273. श्री उमानाथ :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री नम्बियार :
श्री नायनार :
श्री अनिरूद्धन :
श्री गणेश घोष :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विचार किया है कि मैसर्स फाइजर लिमिटेड को कितना लाभ हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय मान के अनुसार अनुमानतः लाभ अधिक है; और

(ग) इस कम्पनी के उत्पादों के मूल्य कम कराने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

योजना पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) सरकार को मैसर्स फाइजर के लाभ का सामान्यतः पता है।

(ख) जी हां; किन्तु लाभ धीरे धीरे कम हो रहा है।

(ग) 1-4-1963 से लागू किसी विशेष कम्पनी के उत्पादों के मूल्यों को कम करने में विशेष कदम उठाने के लिये सरकार के पास अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। क्योंकि औषध-मूल्यों के प्रश्न का विस्तृत संदर्भ में विचार करना है, सरकार ने टेरिफ आयोग से लागत ढांचे एवं कई आवश्यक औषधियों के मूल्यों पर एक रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के यूनिट प्रमाणपत्र

*1274. **श्री राममूर्ति :** **श्री अनिरुद्धन :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री नायनार : **श्री उमानाथ :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के यूनिटों का पुनःक्रय मूल्य 1967 में कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने यूनिट ट्रस्ट की प्राप्तियों का मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) और (घ) यूनिट ट्रस्ट 1 जुलाई, 1964 को स्थापित किया गया था और गत वर्षों में इसने जो प्रगति की है वह असंतोषजनक नहीं है।

इंडो बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी की बिक्री आस्तियों की खरीद

*1275. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कम्पनी के लिये इंडो–बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी की बिक्री वाली आस्तियों की खरीद के सौदे में कोई प्रगति हुई है;

(ख) विदेशी मुद्रा के प्रेषण के रूप में इन आस्तियों का मूल्य कितना होगा; और

(ग) उस विदेशी फर्म का ब्योरा क्या है जो इंडों-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी में अपने नियंत्रक हितों को बेचना चाहती है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी नहीं।

(ख) आस्तियों के अर्जन के लिए सहमत मूल्य की अग्रिम स्थिति नहीं बताइ जा सकती।

(ग) मेसर्स स्टील ब्रादर्स एण्ड कम्पनी, लण्डन।

Financial Help to Bihar

*1276. **Shri Ramavtar Shastri :**
Shri K. M. Madhukar :
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the Planning Adviser for Bihar has sent a report to the Central Government on famine conditions in Bihar advising therein to incur expenditure not exceeding Rs. 30 crores on relief work;

(b) whether the Government of Bihar have spent more than Rs. 33 crores so far on relief work and has asked for more funds from the Central Government;

(c) if so, the amount asked for by the Government of Bihar; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : (a) No, Sir.

(b) The expenditure on relief measures estimated to have been incurred upto the 7th July, 1967 is about Rs. 26.06 crores.

(c) The State Government had requested for assistance of Rs. 10 crores, in addition to the amounts sanctioned already.

(d) Loans to the extent of Rs. 10 crores have been sanctioned.

अन्तर्राज्यिक जल विवादों के लिये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण

*1277. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे कोई सुझाव मिले है कि नदियों के पानी के उपयोग के संबंध में विभिन्न राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिये एक राष्ट्रीय न्यायधिकरण की स्थापना की जाये ताकि राज्यों के बीच ऐसे विवाद न होने पाये जिनसे प्रान्तीय तथा प्रादेशिक भावनायें उत्तेजित होती हैं;

(ख) यदि हां, तो इन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार इन सुझावों को कार्यरूप देने के लिये सहमत हो गई है और यदि हां, तो इनकी क्रियान्विति में कितना समय लगने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) नदियों के जल के उपयोग के सम्बन्ध में राज्यों के बीच झगड़ों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय न्यायधिकरण स्थापित करने के संबंध में सरकार को कोई विशेष सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु कुछ राज्यों ने प्रार्थना की थी कि अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के अन्तर्गत न्यायधिकरण स्थापित किया जाए।

(ख) से (घ) सरकार का विचार है कि इन झगड़ों का निपटारा बात-चीत और लिखा पढ़ी से करना अच्छा रहेगा। कई अन्तर्राज्यीय झगड़े इस भान्ति निपटाए जा चुके हैं और अन्य झगड़ों को भी इसी प्रकार की कोशिश की जा रही है।

'Gherao' at Fertilizer Plant, Madras

*1278. **Shri Rabi Ray :**
Shri S. M. Joshi :
Shri A. B. Vajpayee :
Shri Madhu Limaye :
Shri George Fernandes :

Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

(a) whether the attention of Government nas been drawn to the 'Gherao' of the Fertilizer Plant in Madras;

(b) whether it is a fact that an American technician was a victim of the said 'gherao';

(c) whether it is also a fact that after the said incident, 20 American technicians have left the plant and gone back; and

(d) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Minister of Planing, Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Ashok Mehta): (a) A 'Gherao' took place at the Fertilizer project at Visakhapatnam and not at Madras.

(b) Yes, actually two American Techinicians were involved.

(c) Eighteen Americans have left.

(d) Government are much concerned over the delay that is occurring in commissioning the fertilizer plant following the dislocation of work that has taken place.

पश्चिम कोसी परियोजना

*1279. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धन की कमी के कारण पश्चिम कोसी परियोजना के निष्पादन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या बिहार के सिंचाई और विद्युत मन्त्री ने केन्द्रीय सरकार से इस परियोजना को अपने हाथ में लेने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामल में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) इस समय नेपाली क्षेत्र में सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य प्रगति कर रहा है और निर्माण कार्य अभी आरंभ नहीं हुआ है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उद्योगों को बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों को चुकाने की मोहलत

*1280. **श्री मु० कु० तापड़िया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंकों तथा अन्य वित्तीय निगमों द्वारा बड़े उद्योगों को दिये जाने वाले और ऋणों को चुकाने की मोहलत देने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उद्योगों के अग्रेत्तर विस्तार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पूंजीगत माल बनाने वाले उद्योग

***1281. श्री रा० की० अमीन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवमूल्यन को हमारे देश में योजनाबद्ध अर्थ व्यवस्था के दौरान पूंजीगत माल बनाने वाले हमारे उद्योगों में स्थापित हुई फालतू क्षमता को घटाने का एक उपाय समझा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या फालतू क्षमता को कम करने में अवमूल्यन से सहायता मिली है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सरकार ने औद्योगिक एककों को लाइसेंस शुदा क्षमता के 25 प्रतिशत की सीमा तक, उद्योग (विकास और विनिमय) अधिनियम के अधीन लाइसेंस लिये बिना, उत्पादन में विविधता लाने की अनुमति दे दी है । औद्योगिक एककों को निर्यात बढ़ाने और इस प्रकार अपनी क्षमता का अपेक्षाकृत अधिक पूर्णता से उपयोग करने के लिये बढ़ावा दिया जा रहा है देश में उपलब्ध क्षमता का उपयोग बढ़ाने और इस प्रकार आयोजना-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेश में बनी वस्तुओं की जगह देश में वैसी ही वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न किया जा रहा है । थोड़े अरसे की मौजूदा कठिनाइयों को कम करने के लिए किसी अन्य उपाय को अपनाने की सम्भावना पर भी विचार किया जा रहा है ।

बेकटेल कम्पनी के साथ सौदे

***1282. श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेकटेल कम्पनी के साथ कितने सौदे हुए है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इन सौदों में सरकार को भारी घाटा उठाना पड़ा है;

(ग) क्या यह भी सच हैं कि सरकार के प्रतिनिधियों ने इन करारों की ठीक प्रकार से तथा पूरी तरह से जाच नहीं की; और

(घ) क्या इन सौदों के बारे में किसी अधिकारी के विरूद्ध जिन्होंने इस कम्पनी के साथ ये सौदे किये, लापरवाही, पक्षपात और भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मिली हैं ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) (1) गौहाटी–सिल्ली गुड़ी उत्पाद पाइपलाइन के बारे में भारतीय शोधनशालाएं लि० (जो अब भारतीय तेल निगम के साथ मिला दी गई) और बेकटेल के बीच डिजाइन एवं इंजीनियरिंग प्रबन्ध सम्बन्धी सेवाओं के लिए 1962 का करार।

(2) हल्दिया बरौनी-कानपुर उत्पाद पाइप लाइन के बारे में भारतीय शोधनशालाएं लि० तथा बेकटेल के बीच तकनीकी के बीच तकनीकी परामर्श एवं इंजीनियरिंग प्रबन्ध सेवाओं के लिए 1963-64 में हुआ करार।

(3) संयुक्त उद्यम के रूप में इन्जीनियरज इण्डिया लि० की स्थापना के लिए सरकार और बेकटेल के बीच 1964 में करार।

(4) उपर्युक्त (3) का अनुसरण करते हुए तकनीकी सेवाओं के लिए इन्जीनियरस इण्डिया लि0 और बेकटेल के बीच 1965 में करार।

(5) मद्रास शोधनशाला के प्रक्रिया रुपांकन कार्य के लिए 1965 में इन्जीनियर्स इण्डिया लि० द्वारा बेकटेल को उप ठेका देना।

(ख) जी नहीं। किन्तु हल्दिया बरौनी पाइपलाइन के बारे में (जिसमें बेकटेल और दूसरे विदेशी ठेकेदार सम्मिलित थे) कुछ संशोधन आवश्यक थे; जिसमें पर्याप्त अतिरिक्त व्यय आवश्यक दिखाई देता है।

(ग) पूरा तथा उचित विचार करने के बाद करार किये गये थे और जहां पर आवश्यक था, उनका सरकार द्वारा यथासमय अनुमोदन किया गया था।

(घ) जी नहीं।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*1283. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री धीरेन्द्रनाथ :
श्री म० माझी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारी संघ ने जुलाई, 1967 से तीसरे सप्ताह से आम हड़ताल करने का नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारी संघ, पूर्वी सर्कल, शिवसागर ने ऐसी हड़ताल करने का नोटिस दिया है ।

(ख) 72 मांगों जैसे संघ की मान्यता, वेतन-मानों का पुनरीक्षण, बोनस की अदायगी निवास स्थानों की व्यवस्था आदि को स्वीकार करवाने के लिए दबाव ।

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 12 जुलाई, 1967 को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारी संघ शिवसागर को मान्यता दे दी है और प्रोजेक्ट मैनेजर को तदनुसार संघ को सूचित करने के लिये कह दिया गया है, अन्य मांगों में अधिक मात्रा में वित्तिय कठिनाइयां है और आयोग इन पर सावधानी से विचार कर रहा हैं ।

अशोक होटल लिमिटेड, नई दिल्ली

***1284. श्री वेदव्रत बरुआ :**
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री न० कु० सांघी :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षता और सेना का स्तर ऊंचा उठाने के उद्देश्य से अशोक होटल के लिये कुछ आधुनिक उपकरण खरीदने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो नये उपकरणों की लागत क्या है; और

(ग) नये उपकरणों से कार्यकुशलता कितनी बढ़ेगी ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) (क) जी हां ।

(ख) लगभग 17 लाख ।

(ग) आशा की जाती है कि अतिरिक्त सुविधा से होटल की कार्यकुशलता बढ़ेगी तथा होटल आधुनिक सुविधायें दे सकेगा ।

अशोधित पैट्रोलियम के मूल्य

1285. श्री गा० शं० मिश्र :
श्री ब० ना० भार्गव :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) मध्य पूर्व के देश अशोधित पैट्रोलियम तथा तेल उत्पाद किस मूल्य पर भेजते है ;

(ख) मध्य पूर्व देशों की तेल कम्पनियां भारत को कितनी छूट देती हैं ; और

(ग) 1965-66 तथा 1966-67 में इस छूट के कारण देश ने कितनी विदेशी मुद्रा की बचत की ?

योजना, पेंट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1119/67**]

अमरीका द्वारा नेपाल में प्रयुक्त भारतीय रुपया

1286. श्री यशपाल सिंह : **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री मरंडी : **श्री वेदव्रत बरुआ :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका सरकार को नेपाल में स्थानीय खर्च के लिये भारतीय रूपये का प्रयोग बन्द करने को कहा है ; और

(ख) इस के सम्बन्ध में अमरीकी की सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उप प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार भारत सरकार की सहमति से, पी० एल० 480 सम्बन्धी अपनी रुपया राशियों के एक हिस्से का इस्तेमाल 1960 से नेपाल में अपने सहायता कार्यक्रमों पर कर रही है। इन रुपयों का इस्तेमाल कुछ तो, भारत से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करने और कुछ नेपाल में स्थानीय खर्च को पूरा करने के लिए किया जाता है। भारत सरकार ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ इस प्रश्न पर बातचीत की है कि क्या नेपाल में स्थानीय खर्च की वित्त व्यवस्था करने के लिये भारतीय रुपयों का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए और यदि हां तो किस हद तक। संयुक्त राज्य अमेरीका की सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है और अगले महीनों में इस बारे में और भी विचार विमर्श किया जायगा।

सहकारी बैंकों के कर्मचारी

***1287. श्री जार्ज फरनेन्डीज :** **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये : **श्री राम सेवक यादव :**
श्री जे० एच० पटेल :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी बैंकों के कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले वेतन तथा उनकी सेवा की शर्तें वही है ; जो कि देसाई पंचाट की शर्तों के अनुसार अन्य बैंकों के कर्मचारियों की हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो सहकारी बैंकों के कर्मचारियों को राहत देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सहकारी बैंकों के प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच बात-चीत का विषय है। यदि दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता न हो सके तो सम्बन्ध राज्य सरकार, इस मामले को, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अनुसार निपटा सकती है।

बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त

***1288. श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री मधु लिमये :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक ने ऋण तथा अग्रिम राशियां देने में गैर-सरकारी बैंकों द्वारा पालन किये जाने के लिये कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या छोटे पैमाने के उद्योगपतियों तथा कृषकों को बैंकों से आसानी से ऋण उपलब्ध कराने की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) रिजर्व बैंक विद्यमान वित्तीय तथा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए समय समय पर व्यस्त तथा मन्दी के काल के लिये बैंकों के लिये सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करता है और चुनी हुई वस्तुओं के लिये बैंकों द्वारा दी जाने वाली अग्रिम राशियों के लिये उधार की सीमा तथा सीमान्त प्रतिबन्ध भी निर्धारित करता है।

(ग) और (घ) छोटे पैमाने के उद्योगों को आसानी से अग्रिम धनराशियां उपलब्ध कराने सम्बन्धी एक योजना 1 जुलाई, 1960 से चालू है। उस योजना की मुख्य बातें दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1120/67**] वाणिज्यक बैंकों के कृषि ऋण में अधिक भाग लेने का प्रश्न विचाराधीन है।

आर्थिक मंदी

1289. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने उन कारणों का विश्लेषण अथवा अध्ययन किया है जिनके परिणामस्वरूप इस समय आर्थिक मन्दी आई है ;

(ख) यदि हां, तो ये कारण क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रयत्न किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जी हां। कुछ उद्योगों में मंदी की जो हालत है उसके मुख्य कारण ये हैं—(क) लगातार दो वर्ष सूखा पड़ना, (ख) कर आदि देने के बाद बची हुई आमदनी कम होने और अन्न आदि अधिक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें ज्यादा होने के कारण उद्योगों द्वारा तैयार की जाने वाली कुछ वस्तुओं के लिये उपभोक्ताओं की मांग में कुछ कमी होना, (ग) कृषि और कृषि पर आधारित उद्योगों के उत्पादन के स्तरों में अपेक्षाकृत कमी होने के कारण परिवहन (ट्रांसपोर्ट) आदि की मांग का कम पड़ना और (घ) परिणामतः पूंजीगत वस्तुओं (केपिटल गुड्स) तथा सहायक वस्तुओं की मांग में कमी होना।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक्टरों की बड़ी संख्या में भारत से बाहर चले जाना

1290. श्री शिवचंद्र झा : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने अमरीका को अमरीकी अस्पतालों में काम करने के लिये भारतीय डाक्टरों के भर्ती करने के लिये नाममात्र की परीक्षा लेने से रोक दिया है, जिसके कारण बड़ी संख्या में डाक्टर भारत से बाहर चले जाते थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत सरकार ने पुनः अमरीका को भारत में यह परीक्षा लेने की अनुमति दे दी है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चंद्र शेखर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारत में इस परीक्षा का आयोजन करने वाले अधिकारियों ने अनुरोध किया है कि क्योंकि अर्जियां एकत्र की जा चुकी है तथा प्रत्याशियों ने पहले से ही परीक्षा शुल्क भर दिया है। अतः उन्हें आगे परीक्षा लेने की अनुमति दे दी जाय। फलस्वरूप पूर्व निर्णय में छूट देकर भारत सरकार सितम्बर 1966 तथा फरवरी 1967 में परीक्षा लेने की बात पर इस शर्त पर सहमत हो गई कि आगे परीक्षा की अनुमति नहीं दी जायेगी।

विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

6146. श्री बाबूराव पटेल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के राशि की मात्रा के अनुसार प्रथम सौ उल्लंघनकर्ताओं के नाम क्या हैं ;

(ख) इन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : "(क) विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 के उलंघनकर्ताओं" शब्दों का अर्थ उन व्यक्तियों से लगाया गया है जिनके विषय में उक्त अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन न्यायनिर्णय सम्बन्धी कार्यवाही में वास्तव में सिद्ध हो चुका हो। एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1121/67]** जिसमें उन पहले 100 व्यक्तियों के नाम गये हैं जिनके बारे में प्रवर्तन निदेशक ने पाया है कि उन्होंने 1966 में विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम 1947 के उपबन्धों का उल्लंघन किया था। ये नाम प्रत्येक मामले में ग्रस्त रकम के क्रम के अनुसार दिये गये हैं। इन मामलों में वास्तविक उल्लंघन 1966 अथवा उससे पहले हुए हो सकते हैं। लेकिन ये 1966 में हुई न्याय निर्णय सम्बन्धी कार्यवाही में सिद्ध हुए हैं।

(ख) प्रवर्तन निदेशक के न्याय निर्णय के अनुसार इन मामलों में कुल 14,31,670 रुपये का जुर्माना किया गया है। 1,36,125 रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा और 11,70,244 रुपये के मूल्य को भारतीय मुद्रा जब्त की गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता

6147. श्री गणेश घोष : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल 1963 में जब से वर्तमान निदेशक नियुक्त हुए हैं, चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता में काम करने वाले वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों को न तो अनुसन्धान कार्य के लिये सुविधायें ही प्रदान नहीं की जाती हैं, अपितु उन्हें प्रायः साधारण पर्यवेक्षण काम पर लगाया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री चन्द्र शेखर) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में "चिकित्सा शिक्षा तथा प्रशिक्षण" योजना

6148. श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में "चिकित्सा शिक्षा तथा प्रशिक्षण" शीर्ष के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिये गुजरात राज्य को कुल कितनी राशि दी गई थी ; और

(ख) उक्त अवधि में इस राज्य द्वारा इस राशि का उपयोग किस तरह किया गया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री चन्द्र शेखर) : (क) 1966-67 में "चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण" शीर्ष के अधीन केन्द्र समर्थित योजना पर गुजरात सरकार द्वारा किये गये खर्च की पूर्ति के लिये उस सरकार को अस्थाई आधार पर 4.25 लाख रुपये का एक सहाय्यानुदान मन्जूर किया गया। इसकी मंजूरी इस शर्त पर दी गई थी कि चालू वित्तीय वर्ष में जो खर्च होगा राज्य सरकार से उसके जांचे गये आंकड़े प्राप्त होने पर उन्हीं के अनुसार इस रकम का हिसाब किताब बिठाया जायेगा।

(ख) यह धन राज्य सरकार ने राज्य चिकित्सा संस्थाओं के चार विभागों के उन्नयन पर खर्च किया।

गुजरात में सिंचाई के लिये अतिरिक्त निधियां

6149. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में खाद्य की भारी कमी को ध्यान में रखते हुये चालू वर्ष में उस राज्य में सिंचाई कार्यों के अतिरिक्त निधियां नियत की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इनकी राशि कितनी है ?

सिंचाई और बिजली मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में अनुसूचित जातियों का कल्याण

6150. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में 1967-68 में अनुसूचित जातियों के कल्याण कार्य पर कितना धन व्यय करने का विचार है ; और

(ख) इस धन को किन-किन मदों पर व्यय करने का विचार है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) गुजरात में 1967-68 में अनुसूचित जातियों की कल्याण योजनाओं के लिये 35.33 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है।

(ख) मुख्य मद इस प्रकार हैं :—

शिक्षा : मैट्रिक-पूर्व और उपरान्त की छात्रवृत्तियां, छात्रवासों को अनुदान, कन्या छात्रावासों का निर्माण, तथा पढ़ाई और परीक्षा-शुल्क की छूट ।

आर्थिक उत्थान : कुटीर उद्योग, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र ।

अन्य योजनायें ; बाल बाड़ियों, कानूनी सहायता, आवास और मकानों की भूमियां भंगियों और मेहतरों की कार्य दशाओं का सुधार ।

गुजरात के नवांगाम में तेल के कुएं

6151. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में नवांगाम में (अहमदाबाद के निकट) तेल के कुओं से तेल की बजाय पानी अधिक निकल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल के कुओं में पम्पिंग का काम फिलहाल बन्द कर दिया गया है ;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) जी हां ।

(ख) यहां पर तेल को पम्प करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस समय कुएं स्वयं-प्रवाही हैं । किन्तु उत्पादन थोड़े समय के लिए स्थगित किया गया है ।

(ग) और (घ) मामले की अभी तकनीकी जांच की जा रही है ।

गुजरात को केन्द्रीय सहायता

6152. **श्री नरेंद्र सिंह महीडा :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967–68 के लिये दी गई 98 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता में से गुजरात सरकार को कितनी राशि दी गई है ;

(ख) यह अतिरिक्त राशि किन योजनाओं पर व्यय की जायेगी ; और

(न) उनका व्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) संसद में पेश किये गये केन्द्रीय बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन के परिशिष्ट में जैसा बताया गया है, 98 करोड़ रुपये की रकम, राज्य की योजनाओं के लिये 55 करोड़ रुपये, अकालग्रस्त राज्यों को सहायता देने के लिये 38 करोड़ रुपये, और कोआपरेटिव लैण्ड मार्टगेज बैंकों के ऋण पत्र खरीदने के लिये 5 करोड़ रुपये की रकम को लेकर बनी है ।

55 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता से 2 करोड़ रुपये गुजरात राज्य को दिये गये हैं। दुर्भिक्ष से राहत के लिये सहायता समय समय पर उपस्थित होने वाली आवश्यकता के अनुसार दी जायगी और उसका पहले से ही राज्यवार बंटवारा नहीं किया जा सकता। जहां तक लैण्ड मार्टगेज बैंकों के ऋण पत्रों के लिये 5 करोड़ रुपये की रकम का सम्बन्ध है अभी तक कोई राज्यवार बंटवारा नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) योजना सम्बन्धी 2 करोड़ रुपये की उपर्युक्त अतिरिक्त सहायता राज्य की एकन्दर योजना के लिये है तथा इसका सम्बन्ध किन्हीं विशिष्ट योजनाओं से नहीं हैं।

Allocations to Madhya Pradesh

6153. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the amount of allotcaions made for Madhya Pradesh during the first year of the Fourth Five Year Plan for implementation of the schemes under the said Plan; and

(b) the amount actually paid to Madhya Pradesh out of this allotation during the above period ?

The Minister of Planing, Petroleum and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : (a) Rs. 46.72 crores.

(a) Information is being collected and will be placed on the Table of the House as soon as this is available.

Leprosy Treatment Centres in Madhya Pradesh

6154. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of Leprosy Treatment Centres functioning at present in Madhya Pradesh;

(b) the number of patients which can be accommodated in these Centres; and

(c) the amount of grants or loans given by Government to these Centres during 1966-67 ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandra Sekhar) : (a) 6 Leprosy Control Units and 40 Survey, Education and Treatment Centres are functioning in Madhya Pradesh under the National Leprosy Control Programme. In addition, there is one Leprosy Control Unit run by the Visarjan Ashram, Anda, with financial assistance from the Government of India.

(b) Each Unit in Madhya Pradesh is expected to detect and provide treament for about 1200 to 1500 laprosy cases.

(c) A total grant of Rs. 60.92 lakhs was released by the Government of India to the Government of Madhya Pradesh during 1966-67 for the various health schemes implemented in the State including the Leprosy Control Programme. It is not possible to indicate the amount of assistance utilised by the State Government for the leprosy centres specifically, as according to the existing procedure, assistance to the State Governments is not released scheme-wise but in lump for all the schemes.

A grant-in-aid of Rs. 12.800.00 has been paid during 1966-67 to the Visarjan Ashram, Anda for one Leprosy Control Unit.

Setting up Commissions and Control Boards

6155. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of new Commissions and control boards for the setting up of which sanction was accorded by his Ministry to various Ministries during the last five years; and

(b) the expenditure incurred as a result thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Travel by Air by Officials

6156. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether a Minister of Cabinet rank is empowered to grant permission to travel by air at Government expense to such officers who are not entitled to do so under the rules;

(b) if so, the number of those officers who were so permitted by the Ministers to travel by air during the last three years; and

(c) the amount of extra expenditure incurred as a result thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) In respect of officers who are not entitled to travel by air on tour at their discretion, such travel is permissible whenever a competent authority certifies that air travel is urgent and necessary in the public interest. The Ministries of the Government of India have been delegated the power to sanction travel by air in such cases.

(b) and (c) Information is being collected from the Ministries/Departments of the Government of India and will be laid on the Table of the House as soon as available.

Imported Goods Seized by Customs Authorities

6157. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the value of imported goods seized by the customs authorities in Bombay, Madras, Calcutta and Delhi during 1965-66 and 1966-67;

(b) the period for which these goods were detained by the customs authorities;

(c) the value of these goods at the time of their delivery to the respective owners;

(d) whether Government propose to pay compensation to the owners who suffered a loss as a result of fall in the price of goods during that period; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The value of imported goods seized by the Customs authorities in Bombay, Madras, Culcutta and Delhi during the year 1965-66 and 1966-67 is as under :—

	1965-66 Rs. (Approx.)	1966-67 Rs. (Approx.)
Bombay	2,29,95,000	4,13,01,000
Madras	39,49,000	88,69,000
Calcutta	33,80,000	50,47,000
Delhi	39,78,000	30,04,000

(b) The period of detention of goods by the Customs authorities varies from seizure to seizure depending on the time taken for finlisation of adjudication and/or prosecution proceedings. The number of seizures in Bombay, Calcutta, Madras and Delhi normally is of the order of a few thousands every year. I would not, therefore, be possible to compile, without entailing disproportionate expenditure of time and labour, the information as to the period for which the goods involved in each case of seizure were detained.

(c) to (e) In cases where the goods seized are returned to the parties, their value, as distinct from the value at the time of seizure, is not appraised. Further. the detention of goods by the Customs authorities is in exercise of the legal powers vested in them under the provisions of the Customs Act, 1962. The question of payment of any compensation to the woners who suffered a loos a a result of fall in the price of the goods during the period of detention by the customs authorities would not, therefore, arise.

Expenditure on Telephone, Etc. of Certain Central Ministers

6158. Shri Ram Sewak Yadav :
Shri George Fernandes :
Shri Molahu Prasad :
Shri Rabi Ray :
Shri Maharaj Singh Bharati :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state the expenditure incurred on the telephone. electricity and furniture of Minister of External Affairs, Commerce and Home Affairs, since the formation of the new Cabinet to date ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) The material is being collected and will be laid on the Table of the house.

शीतल पेय (कोला ड्रिंक्स)

6159. श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्रनाथ :
श्री म० माझी :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने प्रकार के अधिकृत शीतल पेय (कोला ड्रिंक्स) तैयार किये जा रहे हैं;

(ख) क्या इन अधिकृत शीतलपेयों (कोला ड्रिंक्स) के निर्माताओं ने पेयजल (ड्रिंक्स) को बाजार में बिक्री के लिये भेजने से पहले उनके फार्मूले का परीक्षण करने के लिये योग्यता प्राप्त रसायनज्ञ (कैमिस्ट) रख रखे हैं;

(ग) क्या सरकार भी यह सुनिश्चित करने के लिये, कि लोगों पर उनका हानिकारक प्रभाव न पड़े, इन फार्मूलों का परीक्षण करती है;

(घ) क्या कोई अनधिकृत शीतल पेय (कोला ड्रिंक्स) भी बनाये जा रहे हैं और बाजार में बेचे जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने धोखा देने वाले ऐसे पेय बनाने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय में नि:संवर्ग पद

6160. श्री राम चरण : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में (31 मार्च, 1967 तक) उनके मन्त्रालय, सम्बद्ध कार्यालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी एक, दो और तीन के कितने नि:संवर्ग पद मंजूर किये गये तथा कितने पदों पर नियुक्तियां की गई;

(ख) इन पदों में से कितने पदों पर सीधी भर्ती, विभागीय पदोन्नतियों तथा अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करके, अलग-अलग नियुक्तियां की गई; और

(ग) इनमें से कितने पदों पर अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के व्यक्ति नियुक्त किये गये ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर

6161. श्री शिव चन्द्र झा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर को इस समय कितना वेतन मिलता है; और

(ख) उन्हें अन्य क्या-क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 4500 रुपये प्रति मास जिस पर आयकर लगता है और कोई सेवानिवृत्ति उपदान नहीं मिलता (यदि कोई पेंशन मिलती हो तो वह भी रोक ली जाती है ।

(ख) नियुक्ति की अन्य महत्वपूर्ण शर्तें ये हैं :—

(एक) बैंक द्वारा वेतन के 8⅓ प्रतिशत तक भविष्य निधि में अंशदान बशर्ते कि गवर्नर द्वारा भी उतना ही अंशदान किया जाता हो;

(दो) बम्बई में मुफ्त सुसज्जित मकान और कलकत्ता में उपयुक्त आवास;

(तीन) सरकारी कार्य के लिए बैंक की कार का निःशुल्क प्रयोग;

(चार) अपने तथा अपने परिवार के लिये उतनी ही चिकित्सा सुविधायें जो कि बैंक के उच्चतम अधिकारी को उपलब्ध होती है;

(पांच) पांच वर्ष की अवधि में कुल 4 मास का अवकाश—बकाया अवकाश को सेवा-निवृत्ति की तिथि के पश्चात् काम में लाया जा सकता है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की सिफारिशों को क्रियान्वित करना

6162. **श्री सिद्दय्या : क्या समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा वर्ष 1962-63 की अपनी रिपोर्ट में की गई अनेक सिफारिशों में से मैसूर सरकार ने कुछ सिफारिशें क्रियान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1967 तक उनमें से कितनी सिफारिशें क्रियान्वित की जाती है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये मैसूर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही अथवा की जाने वाली कार्यवाही का विवरण सभा पटल पर रखने का है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और एक सूची सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का संगठन

6163. **श्री सिद्दय्या : क्या समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के संगठन का हाल ही में पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयुक्त ने उन्हीं आधार पर पुनर्गठन के लिये सिफारिश की है; और

(घ) क्या इसके परिणाम स्वरूप खर्च में कोई बचत होगी।

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) हां।

(ख) ब्यौरा का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1122/63**]

(ग) पुनर्गठन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की सलाह से किया जा रहा है।

(घ) पुनर्गठन के कारण 50,000 रुपये (लगभग) की वार्षिक बचत होने का अनुमान है।

सरकार द्वारा अधिगृहित मकानों का अधिग्रहण समाप्त किया जाना

6164. श्री चं० चु० देसाई : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (1) बम्बई तथा (2) दिल्ली में युद्ध के समय अधिगृहीत किये गये फ्लैटों तथा मकानों का, जो तब से ही अधिगृहित चले आ रहे हैं, अधिग्रहण किन सिद्धान्तों के अनुसार समाप्त किया जाता है;

(ख) कितने फ्लैट अधिगृहित हैं तथा किस किस तिथि से अधिगृहीत हैं और प्रत्येक का कितना कितना किराया दिया जाता है;

(ग) क्या 1965, 1966 तथा 1967 में (अब तक) दिल्ली तथा बम्बई में किन्हीं ऐसे फ्लैटों का अधिग्रहण समाप्त किया गया है और किस आधार पर तथा कारण से ऐसा किया गया है और क्या फ्लैटों के मालिकों के साथ कोई ऐसा करार किया गया था कि जब अधिग्रहण समाप्त किया जायेगा तो वह उस मकान को मन्त्रालय की सिफारिश पर किसी किरायेदार को देगा; और

(घ) दिल्ली तथा बम्बई में शेष फ्लैटों का अधिग्रहण कब समाप्त करने और उन्हें उनके वैध मालकों को, जो उन फ्लैटों से होने वाले उन लाभों से वंचित किये गये हैं, जिनको वे मकानों पर पूंजीं लगाने के कारण सामान्यता पाने के हकदार बनते हैं, कब वापिस लौटा देने का सरकार का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) (क) क्योंकि रिहायशी वास की बड़ी कमी है एतएव अधिग्रहित वास को केवल अपवाद स्वरूप तभी छोड़ा जाता है जब कि वास के स्वामी को वास्तव में अत्यधिक आवश्यकता होती है।

जहां तक कार्यालय वास का सम्बन्ध है, अधिग्रहित भवन वैकल्पिक कार्यालय वास उपलब्ध होते ही छोड़ दिया जाता है।

(ख) इस समय दिल्ली में 47 फ्लैट/यूनिट तथा बम्बई में 217 फ्लैट/यूनिट हैं जो कि अधिग्रहण में हैं। इन्हें किस तारीख से अधिग्रहित किया गया तथा इन फ्लैटों यूनिटों के सम्बन्ध में कितना मुआवजा दिया जाता है इसकी सूचना बड़ी विस्तृत है एतएव इसे एकत्रित करने में जितना परिश्रम लगेगा उसके अनुरूप लाभ नहीं होगा।

(ग) दिल्ली तथा बम्बई दोनों स्थानों में 1965-66 में तथा जनवरी, 1967 से आज तक 96 फ्लैटों/यूनिटों को अधिग्रहण से मुक्त किया गया। इनका ब्यौरा निम्नांकित है:-

	1965	1966	1967 से आज तक
दिल्ली	9	18	8
बम्बई	5	49	7

फ्लैटों/यूनिटों को, धीरे-धीरे अधिग्रहण से मुक्त करने की सरकार का सामान्य नीति के अनुसार अधिग्रहण से मुक्त किया गया था। सरकार ने वास के स्वामियों से ऐसा कोई समझौता अथवा शर्त नहीं की गई कि फ्लैटों/यूनिटों को अधिग्रहण से मुक्त करने पर वे (स्वामी) उन्हें मन्त्रालय द्वारा सिफारिश किये गये किरायेदार को किरायेदारी पर दे दें।

(घ) कोई विशेष समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

मन्त्रियों के निवास स्थानों का नवीकरण

6165. श्री चं० चु० देसाई : क्या निर्माण आवास तथा पूर्ति मन्त्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें नये मंत्रिमंडल द्वारा कार्य-भार सभाल लिये जाने के बाद से प्रत्येक मंत्री के मकान के नवीकरण, उसमें नये उपकरण लगाये जाने तथा उसकी फिर से साज-सजावट की जाने पर किया गया व्यय दिखाया गया हो उसमें मंत्री की ओर से प्रत्येक मंत्री का नाम अलग-अलग दर्शाया जाये, तथा उसमें मंत्री की ओर से अथवा उसके कहने पर किया गया व्यय भी दिलाया गया हो ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

Assistance for Irrigation and Power Projects in Maharashtra

6167. Shri D. S. Patil : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the amount of assistance being given by the Central Government to the State of Maharashtra for the implementation of their irrigation and power projects under the Fourth Five Year Plan; and

(b) the details of the projects for which the assistance is being given ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b) The Fourth Five Year Plan is yet to be finalised. So far as Maharashtra is concerned, earmarked loan assistance is being given only for Koyna Project, A loan of Rs. 88 lakhs was given for Koyna Project during 1966-67 and a provision of Rs. 1 crore has been proposed for 1967-68. The expenditure on other irrigation and power projects is met from the overall resources available for execution of plan schemes—resources of the State Government supplemented by Central assistance for plan schemes as a whole.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग

6168. श्री द० रा० परमार :
श्री रा० की० अमीन :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात राज्य में अपने कार्यालयों में नियुक्ति में गुजराती उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने के लिए गुजरात राज्य को कुछ आश्वासन दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात राज्य में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधीन पदों पर भर्ती करते समय गुजराती उम्मीदवारों को यह प्राथमिकता दी जा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) गुजरात राज्य में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यालयों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के कुल कितने कर्मचारी हैं तथा उनमें से प्रत्येक श्रेणी में कितने गुजराती कर्मचारी हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन योजना तथा समाज कयाण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में श्रेणी–3 और 4 पदों को विकेन्द्रीयित (Decentralised) आधार पर रखा जाता है और इन पदों पर प्रादेशिक अधिकारियों द्वारा स्थानीय नौकरी दिलाने वाले दफ्तरों में रजिस्टर्ड हुए व्यक्तियों में से भर्ती होती है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के श्रेणी–1 और श्रेणी–2 सेवाओं के कर्मचारियों को देश में किसी भी स्थान पर नौकरी करनी पड़ती है, अतः इन दो श्रेणियों के पदों की भर्ती किसी विशेष राज्य के उम्मीदवारों तक सीमित नहीं रखी जाती।

(ख) गुजरात राज्य में स्थित तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के दफ्तरों में विभिन्न श्रेणियों में कर्मचारियों की कुल संख्या और गुजराती कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है:–

	कर्मचारियों की कुल संख्या	गुजराती कर्मचारी
श्रेणी—1	448	34
श्रेणी—2	37	1
श्रेणी—3	5819	2041
श्रेणी—4	2509	1841

आदिवासियों की उन्नति

6119. श्री झा सुन्दरलाल : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में सामान्य रूप से आदिवासियों की तथा विशेष रूप से आदिवासियों की शिक्षा, उन्नति तथा उधार के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां. तो उसका व्यौरा क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) योजना-बद्ध राष्ट्रीय विकास के आरम्भ से ही भारत में अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा और कल्याण सम्बन्धी योजनायें चल रही हैं; इसमें बस्तर जिला भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ समय पूर्व एक विशेष दस वर्षीय कार्यक्रम के सुझाव भेजे हैं और ये विचाराधीन हैं।

(ख) बस्तर जिले के आदिवासियों के कल्याण के लिये विचाराधीन अतिरिक्त योजनायें निम्न हैं:—

शिक्षा

1. प्राइमरी स्कूल।

2. मिडिल स्कूल।

2. उच्चतर माध्यमिक स्कूल।

4. छात्रावास।

5. लड़कों और लड़कियों के लिए आश्रम।

आर्थिक उत्पादन

1. सहकारिता।

2. कृषि।

3. उद्योग।

स्वास्थ्य, आवास और अन्य योजनाएं

पीने के पानी के कुएं।

अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ तथा अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग को सहायक अनुदान

6170. श्री द० रा० परमार : क्या समाज कल्याण मंत्री 6 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4689 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ तथा अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग को केन्द्रीय सरकार ने जो सहायक अनुदान दिया था उसमें से प्रत्येक राज्य में इन संस्थाओं ने कितनी धन राशि खर्च की;

(ख) क्या इन संस्थाओं द्वारा धन का वितरण किये जाने पर सरकार कोई नियंत्रण रखती है जिससे इस धन का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो सरकार किस प्रकार से नियत्रण रखती है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) जानकारी शीघ्र प्राप्य नहीं है। 1964-65 से 1966-67 तक के वर्षों के सम्बद्ध में अनुदान प्राप्त करने वालों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) और (ग) लेखा-निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण किये गये लेखा की छानबीन द्वारा राशियों के उचित उपयोग पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है। इन संस्थाओं की व्यवस्था-समितियों में सरकार द्वारा नामजद एक व्यक्ति है।

Plan Allocation for New Industries in M. P.

6172. **Shri Ramchandra Veerappa :**
Shri J. Sundar Lal :
Shri G. C. Dixit :

Wili the Minister of Planning be pleased to State ;

(a) the amount earmarked by Government in the Fourth Five Year Plan for starting new industries in Madhya Pradesh;

(b) the names of those industries; and

(c) the names of Planuing where they are porposed to be started ?

Petroleum and Chemicals and Social Welfare

The Ministsr of Planning Petrolium and Chemicals and Socialwelfare (ShriAsokaMehta). (a) to (c) : No specific amount has been earmarkcd by the Government of India in the Fourth Five Year Plan for starting new industrils in Madhya Pradesh. A number of projects in the central sector are, however, proposed to be implemented is Madhya Pradesh during the Fourth Plan. The names of these projcets alongwith their location and the outlay provided in the Draft Outline of the Fourth Five Year Plan are mentioned below :

Name of the Project and its location	Outlay Provided in the Draft outline of the IV Five Year Plan (By crores)
1. Expansion of Bhilai Steel Plant, Bhilai	110.50

2.	Exoansion of Heavy Electrical Project, Bhopal.	27.55
3.	Expansion of Nepa Mills, Nepanagar,	6.00
4.	Security Paper Mills, Hoshangabad	6.00
5.	Korba Aluminium Project, Korba	42.54
6.	New Alkaloid Factory, Neemuch	0.60
7.	Cement Factory, Mandhar	Not yet finalised

In addition, in the Fourth Plan of Madhya Pradesh an outlay of Rs, I0.35 crores has been provided for large and medium industries and Rs. 7 crores for village and small industries. A part of this outlay is expected to be utilised for promoting and assesting new industries in th e

पेट्रो-रासायनिक तकनीशन

6173. श्री द० रा० परमार : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में पेट्रो-रासायनिक तथा तकनीशनों की बहुत कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में पेट्रो-रसायन संस्थाएं स्थापित की है;

(ग) यदि हां, तो कहां;

(घ) क्या सरकार का विचार गुजरात राज्य में एक पेट्रो-रसायन संस्था स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया): (क) पेट्रो-रसायन उद्योगों में यान्त्रिक इन्जीनियरों, वैद्युत-इन्जीनियरों, रसायन इंजीनियरों, उपकरण इंजीनियरों सिविल इंजीनियरों और औद्योगिकीविज्ञों की आवश्यकता है। ऐसे इंजीनियरों और औद्योगिकी विज्ञों की कोई विशेष कमी नहीं है किन्तु पेट्रो-रसायन तैयार करने में पर्याप्त अनुभव वाले इंजीनियरों की कमी है।

(ख) और (ग) भारतीय पेट्रोलियम संस्था, देहरादून ने, जो शिक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला है, संयुक्त-राष्ट्र की सहायता से एक पेट्रो–रसायन प्रभाग स्थापित किया है। यह प्रभाग पेट्रो–रसायन में देशीय जानकारी एवं तकनीकी को विकसित करने में लगेगा तथा विशिष्ट इंजीनियरों एवं औद्योगिकी विज्ञों को प्रशिक्षण देगा। उक्त संस्था पेट्रो-रसायन क्षेत्र में इंजीनियरों तथा औद्योगिकी विज्ञों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करती है।

पेट्रो-रसायन निर्माताओं ने बड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू भी कर दिया है।

बम्बई और कानपुर में भारतीय तकनीकी संस्थाओं ने पेट्रो-रसायन के निर्माण के विशेष महत्वपूर्ण पहलुओं में पाठ्य कोर्स की व्यवस्था की है।

प्लास्टिक तथा अन्य उद्योगों के लिए ओजार डाई (die) और सांचे में ढालने में परामर्श सेवाओं के लिए सरकार एक संस्था मद्रास में कायम कर रही है, जहां पर इस प्रकार की संस्था को शीघ्र स्थापित करने को कई सुविधाएं तत्काल उपलब्ध हैं। यह संस्था तकनीशनों एवं औद्योगिकी विज्ञों को प्लास्टिक में प्रशिक्षण देगी।

इसके अलावा कुछ विश्वविद्यालय तथा तकनीकी संस्थाएं पेट्रो रसायन इन्टरमीडियेटस के निर्माण के विशेष महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तथा इन इण्टरमीडियेटस की विक्रय योग्य पदार्थों की प्रक्रिया में इंजीनियरों तथा औद्योगिकी विज्ञों के प्रशिक्षण के लिए नियमित पाठ्यक्रम की व्यवस्था करती हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर में बनाई गई सुविधाओं को दृष्टि में रखते हुए गुजरात में एक अलग पेट्रो-रसायन संस्था को स्थापित करने की इस समय आवश्यकता नहीं है।

कृषि कार्यों के लिये बिजली

6174. श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लौहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भविष्य में बिजली के उत्पादन का 50 प्रतिशत या इससे अधिक भाग कृषि कार्यों के लिये निर्धारित करने हेतु राज्यों के विचारार्थ कोई योजना बनाई है;

(ख) क्या कृषि के लिये सप्लाई की जाने वाली बिजली की दर कम करने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर नकरात्मक हो तो इसके क्या कारण है?

सिंचाई व बिजली मन्त्री (डा० क० ल० राव) : (क) जबकि किसी कोटे को रिजर्व नहीं रखा जाता, राज्य सरकारें कृषि सम्बन्धी बिजली मांगों को पूरा करने के लिए उच्च प्राथमिकता देती हैं। बहुत से राज्यों में बिजली की कमी कृषि उद्देश्यों के लिए कनेक्शन देने में रुकावट नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जब किसी खास उद्देश्य के लिए बिजली का आरक्षण करना होता है, तो उसके साथ आरक्षण तिथि से अदायगी करने की गारन्टी भी ली जाती है तदनुसार इस प्रकार के अप्रयुक्त कोटे से अन्य हितों को हानि होती है और समस्त आर्थिक प्रबन्ध को नुकसान होता है। प्रारम्भ में 1966-67 से 3 वर्षों के लिए कृषि सम्बन्धी उद्देश्यों के लिए बिजली के उन पर दरों पर उपदान देने का प्रस्ताव पहले से ही स्वीकार कर लिया गया हैं जो 12 पैसे प्रति यूनिट से अधिक हो; 12 पैसे के दर से अधिक दर को केन्द्र और सम्बन्धित राज्यों में बराबर विभक्त किया जाता है।

Pay Scale of Staff Car Drivers and Drivers in Government Hospitals

6175. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2317 on the 24th November, 1966 and state :

(a) whether it is a fact that the cars used in the Ministry come under the category of light vehicles whereas the drivers of these cars are given the grade of drivers of heavy vehicles, namely Rs. 100 to Rs. 180/ ;

(b) whether it is also a fact that the ambulance used in the central hospitals also come under the category of light vehicles and the drivers of these ambulances are given the grade of light vehicles, namely Rs. 110 to 139/

(c) if so, the reasons for having two grades in the same Ministry; and

(d) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) Yes, but the grade is Rs. 110 to 180.

(b) Yes.

(c) and (d) : The scale of pay of the driver of a light vehicle was fixed in accordance with the recommendation of the Second Pay Commission. The staff car drivers in the Ministries and Departments of the Government of India have, however, been given the higher scale with effect from 12th June, 1964, in view of the higher responsibilities attached to these posts in the various Ministeries of the Central Government,

Illegai Sale of Foreign Exchange in Delhi

6176. Shri Hukam Chand Kacnwai :
Ssri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No, 27 on the 23rd March, 1967 and state :

(a) whether the invastigations regarding arrest of persons dealing in the illegal sale of foreign exchange in Delhi have since been completed; and

(b) if so, the detils thereof; and

(c) the action taken by Governmeut in the matter ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Moriji Desai) : (a) Investigations by the Central Bureau of investigation are not yet complete.

(b) and (c) : Do not arise.

Accident at Nagarjuna sagar Dam

6177. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to ferer to the reply given to Unstarred question No. 25 on the 23rd March. 1967 and state :

(a) whether compensation has since been paid to the families of the deceased and injured persons in the accident at Negarjunasagar Dam;

(b) if so, the amount of compensation paid; and

(c) if not, the time likely to be taken in the payment of the compensation ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) (a) to (c) : The State Government have reported that out of 10 fatal cases compensation in respect of six cases has been fixed but not yet paid. Compensation payable in respect of the remaining four cases has still to be fixed by the Commissioner for workmen's Compensation. Out of the 53 nonfatal cases maintenance wages were fixed in respcct of the 47 cases and part amounts amounting to Rs, 692.23 have been paid. Compensation in respect of the five cases is not payable as the persons had come to seek employment on the date of [accident, of their own accord. Compensation in respect of the remaining one case has still to be fixed by the Commissioner for workmen's Compensation.

Dismissal of Customs Officials

6178. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the two officials Inpector and Assistant Inspector of Customs Department posted at Mahua port have been dismissed from service on the charge of corruption in March, 1967;

(b) the action taken against the persons involved; and

(c) the amount of misappropriated money recovered from them so far ?

The Deputy Prime Minister and Financc Minister (Shri Morarji Desai) (a) and (b) : Two officials viz., Inspeetor and Sub-Inspector, posted at Mahua were dismissed from sarvice in January, 1967, as a result of disciplinary proceedings instituted against them for misconduct and lack of integrity.

(c) Since no misappropriation of Government money by the officers was involved the question of recovery does not arise.

Nabikarim Graveyard, New Delhi

6179. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of work Housing and Supply be pleased to state :

(a) whether Government are awere that about ten thousand families are residing at the Nabikarim graveyard of Paharganj, New Delhi;

(b) if so, whether any scheme has been proposed by Government to rehabilitate them ; and

(c) the time by which these families will be rahabilitated ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) (a) There are several grave yards Nabi Karim area of the Qadam Sharif Estate. According to a survey carried out in 1959, there were about 2500 families squatting on such lands. Some more families have encroached upon these areas after 1959.

(b) and (c) : There is no special scheme for the rebhailitaion of these families. As the land squatted upon in Nabi Karim area belongs to the Government, the families squatting there will be dealt with under the Jhuggis and Jhopris Removal Schame in Delhi. Under the Scheme, those persons, who squatted on Government and public lands prior to the 31st July, 1960, are eligible for alternative accommodation on rental basis.

हरियाना में कृषि कार्यों के लिये बिजली

6180. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या सिचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में कृषि कार्यों के हेतु बिजली की सप्लाई करने के लिये हरयाना सरकार को कितनी राज सहायता दी गई थी; और

(ख) राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये इसका कितना उपयोग किया गया ?

सिचाई और बिजली मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : ग्राम विद्युत स्कीमों के लिए कोई उपदान नहीं दिया जा रहा है। किन्तु संघटित पंजाब राज्य को ग्राम विद्युत मशीनों के लिए 1966-67 के वर्ष के लिए 216 लाख रुपये दिये गये जिसमें से 80.74 लाख रुपये हरियाणा को दिए गए हैं। पहली नवम्बर, 1966, जब हरियाणा राज्य बना, के बाद हरियाणा सरकार को ग्राम विद्युत स्कीमों के लिए 140.5 लाख रुपये का ऋण केन्द्रीय सहायता के रूप में दिया गया।

(ख) 1966-67 के वर्ष के दौरान, उठान सिंचाई के लिए 5,672 पम्पों/नलकूपों को ऊर्जित किया गया।

General Provident Fund

6181. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of Finance be pleased to state ;

(a) the total amount deposited in the General Frovident Fund account during 1965-66;

(b) the number of employees contributing towards this Fund; and

(c) the way in which the Fund has been invested ?

The Dupty Prime Minister and Minirter of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The gross depositsin the General Provident Fund including interest of Rs, 4.28 crores, amounted to Rs. 29.54 crores. Withdrawals from the Fund during the year were Rs. 13.94 crores, giving a net deposit of Rs. 15.60 crores.

(b) The inforation is not readily avilable. It is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) Moneys contributed to the General Provident Fund are not invested separately but remain merged in Government's balances and are reckoned as a resource for financing the Development Plans.

गंग नहर (राजस्थान)

6183. डा० कर्ण सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गंग नहर (राजस्थान) में अक्सर पानी की कमी होती रहती है; और

(ख) यदि हां, तो गंग नहर में जल की पूरी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सिंचाई और बिजली मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) सरकार को इस बात का पता है कि नदी में पानी की कम मात्रा होने के कारण गंग नहर में इस वर्ष बहुत कम पानी रहा, जो कि 8 मई से 5 जून तक लगभग एक महीने की इसकी समस्त आयश्यकताओं से काफी कम था।

(ख) किन्तु गंग नहर को 1 अप्रैल से 7 मई तक, जबकि राजस्थान फीडर बंद कर दिया गया था, लगभग पूरी मात्रा में पानी मिला और उसको 6 जून के बाद निरन्तर पूरी मात्रा में पानी मिल रहा है।

Gold Seized in Hyderabad

6184. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 100 tolas of gold worth Rs. 15,000 bearing foreign markings was seized at Gowaliguda Bus Station in Hyderabad during the Second half of April. 1967;

(b) if so, the place from where this gold was brought; and

(c) the action taken by Government in the matter ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) On 19th April, 1967 the Central Excise officers seized 5 slabs of gold, two of them bearing "Johnson Matthey-London" markings and the other three bearing "National Bank of India" markings, weighing in all 100 tolas and valued of Rs. 9,842/-at the international rate from passenger at Gowaliguda Bus Station Hyderabad.

(b) and (c) : The preson, from whom the gold was seized, stated that he had purchased the gold from an unknown person in Hyderabad. The Matter is under investigation. The person was arrested and ssubsegently released on bail.

उत्तर प्रदेश में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे

6185. **श्री मधु लिमये :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

क्या **वित्त** मन्त्री 1 दिसम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2028 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में आयकर अधिकारियों द्वारा मारे गये छापों में पकड़ी गई भारी लेखा पुस्तकों की जांच पड़ताल इस बीच पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्ध पक्षों के विरुद्ध सरकार का क्या कानूनी कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसर्स मोरारजी गोकुलदास स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड

6186. **श्री मधु लिमये :** **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री स० मो० बनर्जी : **डा० राम मनोहर लोहिया :**

क्या **वित्त** मंत्री 1 दिसम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 799 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय लेनदेन के बारे में मैसर्स मोरारजी गोकुलदास स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड तथा उसके साथ समूह (ग्रुप) के दस्तावेजों पर आधारित आरोप की इस बीच जांच कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इन आरोपों की आंशिक जांच की गई है और आगे जांच-पड़ताल जारी है।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता फिर भी जांच पड़ताल की सुविधा के लिए इस समूह के मामले, एक ही आयकर अधिकारी के पास केन्द्रित कर दिये गये हैं।

विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के मामले

6187. **श्री एस० एम० जोशी :**
श्री मधु लिमये :

क्या वित्त मन्त्री 6 अप्रेल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 634 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के 2660 मामलों के बारे में सरकार ने क्या जानकारी एकत्र की है;

(ख) इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के नाम तथा धनराशि कितनी है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 6 अप्रैल 1967 को अतारांकित प्रश्न संख्या 634 के भाग (ख) से (ड) तक के दिये गये उत्तर के सिलसिले में सरकार द्वारा जो सूचना इकट्ठी की जा रही है उसका सम्बन्ध उसी प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित 'पहले एक सौ उल्लंघन कर्ताओं' से है और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा वर्ष 1966 में पकड़े गये विदेशी मुद्रा विनिमय के उल्लंघनों के 2660 मामलों से नहीं है ।

(ख) और (ग) वर्ष 1966 में विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमों के उल्लंघनों के पहले 100 मामलों में सम्बन्धित व्यक्तिओं के नाम, ग्रस्त रकम तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना अतारांकित प्रश्न संख्या 634 के उत्तर में 6 अप्रैल 1967 को दिये गये आश्वासन को पूरा करते समय अलग से दी जायगी ।

दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा प्लाटों की बिक्री

6188. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री ओंकार सिंह :
श्री शारदा नन्द :
श्री राम सिंह आयरवाल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री ना० स्व० शर्मा :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रहने वाले निम्न तथा माध्यम आय वर्ग के लोगों को 'न लाभ और न हानि' के आधार पर विकसित रिहायशी प्लाटों की बिक्री के लिये दिल्ली विकास प्राधिकार ने कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या प्लाटों का अलाटमेंट लाटरी डाल कर किया जायेगा ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) इस समय पूर्वनिर्धारित दरों पर तथा लाटरी के द्वारा प्लाटों का आवंटन केवल निम्न आय वर्ग के लोगों को किया जाता है। तथापि, यह योजना समीक्षाधीन है।

क्षय रोग निरोधक औषधियां

6180. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी योजना में विभिन्न राज्यों को क्षय रोग-निरोधक औषधियां निःशुल्क दी जायेंगी;

(ख) क्या क्षय रोग के उन्मूलन के लिये राज्यों को निःशुल्क औषधियों के अतिरिक्त कुछ वित्तीय सहायता भी दी जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो चौथी योजना में इसके लिये कितनी राशि दी गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्र शेखर) : (क) से (ग) जी, हां। 1966-67 में राज्यों को क्षय-निरोधी औषधियां तथा आर्थिक सहायता दी गई। 1967-68 में भी ऐसी सहायता के लिये व्यवस्था की गई है। चौथी योजना के बाकी समय में ऐसी सहायता को चालू रखने का विचार है। चौथी योजना में कुल कितना नियतन किया जायेगा इसका निश्चय नहीं किया गया।

विदेशों को देय ब्याज की दर

6190. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1950 से 1966 तक सम्बन्धित देशों को देय ब्याज आदि की दर क्या है;

(ख) 1955 से 1966 तक विभिन्न देशों को ब्याज आदि के रूप में प्रति वर्ष कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) भारत द्वारा ब्याज आदि की दर कम करने के लिये सम्बन्धित देशों को की गई प्रार्थना का क्या परिणाम निकला ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सम्बद्ध देशों द्वारा 1950 से 1966 तक सरकार के लिए मंजूर किए गये ऋणों पर उन्हें दिये जाने वाले सेवा (ब्याज) प्रभारों की वार्षिक दर, शून्य से $6\frac{3}{4}$ प्रतिशत तक है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। संख्या एल० टी० 1123/67]**

(ग) ऋणों की शर्तें नरम रखने का जो परिवर्तन हाल के वर्षों में आया है, वह इस प्रकार है :—

क. निम्नलिखित देशों के मामले में, हाल के वर्षों में ऋणों की शर्तें और नरम हो गई हैं :—

1. **ब्रिटेन**--अक्टूबर 1965 से ब्रिटेन द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर कोई ब्याज या सेवा प्रभार नहीं लगता ।

2. **कनाडा**—1966-67 में कनाडा ने एक नयी तरह के सरकारी ऋण देना शुरू किया जिन्हें चुकाने की अवधि, दस वर्ष की रियायती अवधि सहित 50 वर्ष है और जिन पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता । इनमें से पहले ऋण पर जिसके करार पर अप्रैल 1966 में हस्ताक्षर किये गये थे, ऋण निर्धारण प्रभार $\frac{3}{4}$ प्रतिशत था । लेकिन बाद के करारों में यह भी हटा दिया गया है ।

3. **नीदरलैण्ड**---जनवरी 1966 से जिन ऋण-करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं, उन पर केवल 3 प्रतिशत की दर से ब्याज लगता है जबकि इससे पहले $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से ब्याज लगता था ।

ख. निम्नलिखित देशों ने जो ब्याज की विभिन्न दरों पर कई प्रकार के ऋण देते हैं, हाल के वर्षों में, भारत को दिये जाने वाले ऋणों का अधिकतर भाग नरम शर्तों वाली सहायता के रूप में दिया है ।

1. **संयुक्त राज्य अमेरिका**--संयुक्त राज्य अमेरिका से जो सहायता प्राप्त होती है उसका अधिकतर भाग अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (एजेंसी फार इण्टरनेशनल डेवलपमेंट) द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के रूप में प्राप्त होता है, जिन्हें चुकाने की अवधि, दस वर्ष की रियायती अवधि सहित, 40 वर्ष होती है और जिनके ब्याज की दर पहले दस वर्षों में एक प्रतिशत और बाकी 30 वर्षों में $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत है ।

विश्व बैंक--बैंक से जो सहायता प्राप्त होती है उसका अधिकतर भाग अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (इण्टरनेशनल डेवलपमेंट एसोसियेशन) की मार्फत प्राप्त होता है जिसके ऋणों को चुकाने की अवधि दस वर्ष की रियायती अवधि सहित 50 वर्ष होती है और उन पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता, लेकिन $\frac{3}{4}$ प्रतिशत के हिसाब से सेवा प्रभार ही देना पड़ता है ।

1. **पश्चिमी जर्मनी**--पश्चिम जर्मनी ने 1966-67 में प्राप्त हुए अधिकतर ऋण जर्मन ऋणों पर लागू होने वाली शर्तों में से नरम शर्तों पर प्राप्त हुए हैं, जिनके अनुसार ऋणों के ब्याज की दर 3 प्रतिशत होती है और उसकी वापसी की अवधि, सात वर्ष की रियायती अवधि सहित, 25 वर्ष होती है ।

आयोजन-कार्य में विदेशों द्वारा दी गई सहायता

6191. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयोजन-कार्य में क्रमश: अमरीका और रूस ने किसी भी अवस्था पर योजना आयोग की सहायता की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या योजना आयोग को किसी अन्य देश, एजेंसी अथवा संगठन से ऐसी सहायता प्राप्त हुई है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ग) विदेशों के (अमरीका तथा रूस सहित) जो उक्त पदाधिकारी और विशेषज्ञ समय समय पर भारत आते हैं, वे योजना आयोग के सदस्यों तथा वरिष्ठ अधिकारियों से आयोजन के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में विचार-विनिमय करते हैं और अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं।

पाकिस्तान को पानी की सप्लाई

6192. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिन्धु जल संधि की तिथि से लेकर 31 मार्च 1967 तक भारतीय नदियों से पाकिस्तान को कितना पानी दिया गया ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : सतलुज, व्यास और रावी नदियों से पाकिस्तान को । अप्रैल, 1960 से लेकर 31 मार्च, 1967 तक कुल 1150 लाख एकड़ फुट पानी दिया गया ।

विदेशी व्यापारियों/व्यापार कम्पनियों से आय-कर

6193. श्री दामानी : क्या वित्त मन्त्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे :

(क) जिसमें वर्ष 1966-67 में भारत में विदेशी व्यापारियों व्यापार कम्पनियों से ली गई आय-कर की राशि दिखाई गई हो; और

(ख) क्या ये आंकड़े 1965-66 की तुलना में अधिक हैं अथवा कम ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। भारत में जिन विदेशी व्यापारियों/व्यापार कम्पनियों का आय-कर के निमित्त निर्धारण किया जाता है उनके मामले में निर्धारण-वर्ष 1965-66 तथा 1966-67 में जारी की गई आय-कर सम्बन्धी मांग की रकम के बारे में सूचना मंगाई जा रही है और उसे यथा संभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दिया जायगा ।

कम्पनियों पर टैक्सों के प्रभाव का अध्ययन

6914. **श्री दामानी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच लाख रुपये से अनधिक प्रदत्त पूंजी वाली ऐसी कम्पनियों पर जो आपस में एक दूसरे से पूर्णतया सम्बद्ध हैं कर की उच्चतर भेदात्मक (डिफरेंशल) दरों के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो गई है कि, अधिनियंत्रित कम्पनियों पर कर की उच्चतर अनुवर्ती दर का उनकी रचना अथवा विकास की गति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

विदेशों में भारतीय बैंक

6195. **श्री दामानी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों में विभिन्न भारतीय बैंकों की कितनी शाखायें काम कर रही हैं; और

(ख) क्या उन देशों में उनके सामान्य व्यवसाय पर कोई पाबन्दी है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया : देखिये संख्या एल० टी०1124/67]**

(ख) पूंजी, तरल आस्तियों को बनाये रखने और विनिमय नियंत्रण सम्बन्धी कुछ कानूनी आवश्यकताओं को छोड़ कर, जो सभी विदेशी बैंकों पर लागू हैं विदेशों में भारतीय बैंकों के कार्यालयों के सामान्य संचालन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। फिर भी लंका में सभी विदेशी बैंकों में खाता खोलने पर कुछ प्रतिबन्ध है। इन प्रतिबन्धों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया : देखिये संख्या एल० टी० 1125/67]**

पाकिस्तान में इन बैंकों की शाखाओं के बारे में पाकिस्तान सरकार ने सभी भारतीय व्यापार गृहों जिनमें बैंक भी शामिल हैं 8 सितम्बर, 1965 को कारोबार बन्द करने का निदेश दिया है और पाकिस्तान रक्षा नियमों के अन्तर्गत इन सभी संस्थाओं का नियन्त्रण शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक को सौंप दिया गया है।

आर्थिक विकास

6196. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या आर्थिक विकास में बाधा डालने वाले तथ्यों का योजना आयोग ने अध्ययन किया है;

(ख) वर्तमान सामाजिक तथा राजनैतिक स्थिति की दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि उन्हें किस प्रकार की परिस्थितियां जमा लेनी चाहिये जिनके अन्तर्गत चौथी पंच वर्षीय योजना को सफलता पूर्वक क्रियान्वित किया जा सके; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और यदि उत्तर नकारामक हो, तो उसके क्या कारण है।

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ग) इस विषय तथा इसकी मुख्य-मुख्य बातों पर, चौथी पंचवर्षीय योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा के अध्याय–1 चौथी पंचवर्षीय योजना का मार्ग-निर्धारण 'अध्याय–2' आत्म निर्भरता और विकास के लिए व्यापक दृष्टि' और अध्याय–10' चौथी योजना का कार्यान्वयन' में विचार किया गया है। इस सम्बन्ध में अधिक विशेष रूप से विचार सम्बद्ध नीतियां और कार्यक्रमों के अध्यायों (अध्याय 5 से 25) में किया गया हैं। आर्थिक सर्वेक्षण, 1966-67 और उप-प्रधान मंत्री के बजट भाषण में भी इस विषय पर विचार किया गया है।

Seizure of Opium on Delhi-U.P. Border

6197. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given ta Unstarred Question No. 686 on 6th April, 1967 and state :

(a) whether the inquiry into the case of seizure of opium worth Rs. 8,800 on the Delhi-U.P. border on the 19th March, 1967 has since been completed;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the further time likely to be taken in that regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) All the four persons arrested in this case have been challanged under the Opium Act.

राजधानी क्षेत्र में बस्तियों का विकास

6198. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी क्षेत्र में बस्तियों के विकास के प्रश्न पर विचार करने के लिये गृह-कार्य मंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक हाल में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में क्या-क्या निर्णय किये गये; और

(ग) उन निर्णयों को क्रियान्वित करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां। किन्तु उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बैठक में भाग नहीं ले सके।

(ख) और (ग) यह तय किया गया कि भविष्य में रिहायशी तथा औद्योगिक बस्तियों की वृद्धि को रोका व नियमित किया जाये ताकि क्षेत्र का योजनाबद्ध विकास संकट में न पड़े। उपनगरों सहित नगर, अनवरत नगरीय अव्यवस्थित विस्तार तथा राजपथ (हाईवे) के साथ-साथ रिबन डवलपमेंट को बचाने में लिए यह आवश्यक था कि दिल्ली की नगरीय सीमा तथा हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के वृत्त नगरों (रिंग टाउन्स) के मध्य एक अलंघ्य "हरी पट्टी" को सुरक्षित रखा जाये।

Firms Owned by Shri Chandmall Batia

6199. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 709 on the 6th April, 1967 and state :

(a) whether Government have since completed investigations in regard to complaints of financial irregularities committed by certain Calcutta firms owned by Shri Chandmall Batia;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) The investigations under the Income-tax Act are still in progress. Prosecution under the Company Law has been launched against one company viz. Kallinagar and Kheral Tea Co. Ltd. for failure to file the balance sheet as required by law.

(c) The transactions to be verified are numerous and detailed and intensive investigations are necessary.

आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां उगाना

6200. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री 25 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 380 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों को उगाने की योजना के बारे में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) इसमें कितनी धन राशि लगाई जाने की सम्भावना है और उससे कितना लाभ होने की आशा है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) यह मामला अभी विचाराधीन है ।

घड़ियों का बरामद किया जाना

6201. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या वित्त मंत्री 25 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 381 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 11 मार्च, 1967 को एक कार से 41 लाख रुपये के मूल्य की घड़ियां बरामद की जाने के मामले की जांच इस बीच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) जांच-पड़ताल से पता चला है कि पकड़ी गई कार के मालिक के जो पते बम्बई तथा अहमदाबाद के परिवहन अधिकारियों के पास रजिस्टर किये गये थे, वे गलत थे । किसी भी व्यक्ति ने यह दावा नहीं किया है कि पकड़ी गई कार अथवा घड़ियां उसकी हैं । मामले का विभागीय न्याय-निर्णय किया जा रहा है ।

अत्यावश्यक औषधियों सम्बन्धी समिति

6202: **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री 25 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 456 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यावश्यक औषधियों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

आय, मजूरी और मूल्यों के सम्बन्ध में भारत के रिज़र्व बैंक के कर्णधार दल का प्रतिवेदन

6203. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या वित्त मंत्री 25 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 338 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय, मजूरी तथा मूल्यों के बारे में भारत के रिजर्व बैंक के कर्णधार दल के प्रतिवेदन पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) रिपोर्ट पर अभी विचार किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डा० धर्म तेजा के सम्बन्धियों द्वारा भूमि की खरीद

6204. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या वित्त मंत्री 25 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 343 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० धर्म तेजा के सम्बन्धियों द्वारा खरीदी गई भूमि के सौदों के बारे में जांच इस बीच पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैसर्स मैकेंजीज़ लिमिटेड

6205. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री विश्ननाथ पाण्डेय :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या वित्त मंत्री 25 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 297 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स मकेंज़ीज़ लिमिटेड द्वारा अपने संतुलन-पत्र में बढ़ा-चढ़ा कर दिखाये गये आंकड़ों की जांच इस बीच पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस कम्पनी ने विभिन्न मदों में क्या-क्या आंकड़े दिखाये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं और इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कर-निर्धारण वर्ष 1962–63 के सम्बन्ध में पूरी की गयी जांच-पड़ताल से यह जाहिर नहीं होता कि उस वर्ष के तलपट में कोई आंकड़े बढ़ा-चढ़ा कर दिखाये गये हैं । अन्य वर्षों के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल चल रही है ।

(ख) कर-निर्धारण वर्ष 1962–63 के सम्बन्ध में, कम्पनी द्वारा तलपट में विभिन्न शीर्षकों के अधीन दिखाये गये आंकड़ों का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1126/67**]

(ग) विस्तृत जांच-पड़ताल कई वर्षों के सम्बन्ध में आवश्यक है। जांच-पड़ताल यथा सम्भव शीघ्र पूरी की जायेगी।

आदिम जातीय विकास खंड

6206. श्री रा० बरुग्रा : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में आसाम राज्य को आदिम जातीय विकास खण्डों के लिये कुल 217.84 लाख रुपए दिये गये थे; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस पूरी राशि का उपयोग किया गया था तथा किस प्रकार ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) अनुमोदित व्यवस्था 207.25 लाख रुपये थी। राज्य सरकार द्वारा 140.20 लाख रुपये का उपयोग किया गया।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, अलवाय (केरल) द्वारा प्रायोजित प्लेट और वैसल परियोजना

6207. श्री वासुदेवन नायर : **श्री अ० क० गोपालन :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री चक्रपाणि :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकौर लिमिटेड ने विदेशी सहयोग के साथ प्लेट तथा वैसल परियोजना प्रायोजित की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव की जांच की है और क्या कोई निर्णय कर लिया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) और (ख) एक विदेशी फर्म के साथ सांझी उद्यम में मैसर्स फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड ने दवावसह वैसल और ताप विनिमय-यंत्रों के निर्माण के लिये एक परियोजना की स्थापना के प्रस्ताव को प्रायोजित किया था किन्तु विदेशी फर्म ने साम्या साझेदारी के रूप में उद्यम में सहयोग देने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। मैसर्स फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड अब परियोजना को बनाने से सम्बन्धित अन्य संभावनाओं की जांच कर रहा है।

Refund of Taxes by Income-Tax Department

6208. Shri Brahmanandji :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Uustarred Question No. 276 on the 25th May, 1967 and state :

(a) whether cases pending for the refund of taxes with the Income-tax Department have since been finalised;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the further time li ely to be taken thereon ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The previous question No. 276 was put on 25th May, 1967. Out of pending refund cases as on that date, a number of cases have since been finalised.

(b) A statement showing the number of refund cases as on 25th May, 1967, disposals out of these cases up to 30th June, 1967 and the balance pending as on 1st July, 1967 in respect of 16 Income-tax Commissioners' charges is laid on the Table of the House [Placed in Library See. No. LT-1127/67]. In respect of the remaining 11 charges, the particulars have not yet been received. On receipt, the information in respect of these charges will be laid on the Table of the House, in due course.

(c) It is not possible to state any specific date by which the pending refund cases will be disposed of, since this will depend on various factors such as the furnishing of the required particulars by the assessnees and necessity for enquiry,etc. In some of the pending cases, full particulars have not been produced by the assessees in support of the refund claims and in others enquiries have been found to be necessary. However, it is expected that the bulk cf the pendency will be cleared soon.

विदेशी तेल कम्पनियां

6209. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी तेल कम्पनियां अपनी विनियोजित पूंजी पर प्रति वर्ष कितना मुनाफा कमाती है;

(ख) क्या सरकार मुनाफे की इस दर को उचित समझती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है कि ये तेल कम्पनियाँ अधिक मुनाफा न कमा सकें ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) हमारे देश में बर्मा शैल, एस्सो, काल्टेक्स, बी० ओ० सी० ग्रुप कम्पनियों के संयुक्त शोधन और वितरण कार्यों से सम्बन्धित वर्ष 1964 और 1965 की अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :

रुपये मिलियन

तेल कम्पनी का नाम	1964 लगाई गई पूजी	(ब्याज और टेक्स से पहले) ब्याज और टेक्स से पहले लाभ	लाभ गई पूजी पर प्रतिशत लाभ	लगाई गइ पूंजी	(ब्याज और टेक्स से पहले) ब्याज और टैक्स से पहले लाभ	लगाई गइ पूंजी पर प्रतिशत लाभ
1. बर्मा शैल	747.07	126.38	16.91	640.05	135,35	21.15
2, एस्सो	637.77	49.72	7 79	606.25	48.13	7.94
3. काल्टेक्स	203.09	1.31	0.65	182.98	5.97	3.26
4. बर्मा तेल कम्पनी ग्रुप	80.88	5.97	7.38	79.76	(–)3.12	-

वर्ष 1966 की पूरी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) वार्षिक लाभ अलग अलग कम्पनियों के निष्पादन और अन्य स्थितियों पर निर्भर है और शोधन शाला समझौतों या समय समय पर मारकिट कार्यों से सम्बन्धित सरकार के फैसलों के अनुकूल है ।

(ग) उन स्थितियों को जिन के अनुसार यह कम्पनियां काम करती हैं, हर समय ध्यान में रखा जाता है ।

Memorial for National Leaders

6210. Shri Molahu Prasad :
Shri Rabi Ray :
Shri Maharaj Singh Bharati :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the number of memorials of National Leaders erected since 1947;

(b) the number of memorials of Congress and non-Congress leaders out of them;

(c) the amount of expenditure incurred so far; and

(d) the amount spent from Government as well as from non-Governmental resource ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply(Shri Iqbal Singh): (a) to (d) The memorials erected since 1947 and expenditure incurred on them so far are indicated below:

		Expenditure incurred
(i) Rajghat Samadhi (Memorial to Mahatma Gandhi)	..	Rs. 49.39 lakhs.
(ii) Shanti Vana (Memorial to Jawahar Lal Nehru)	..	Rs. 6.82 lakhs.
(iii) Vijayght (Memorial to Lal Bahadur Shastri)	...	Rs, 1.73 lakhs.
(iv) Maulana Azad's Mazar.		Rs. 1.06 lakhs.

Memorials to these leaders have been erected because of their preeminence in the country's national life.

The Municipal Corporation of Delhi has erected four statues at a total cost of about Rs. 2 lakhs. Government have no information about any expenditure incurred by private organisations on erection of memorials.

विभिन्न स्वास्थ्य नियोजनाओं में होम्योपैथिक डाक्टरों की नियुक्ति

6211. श्री उमानाथ : **श्री गणेश घोष :**
श्री नम्बियार : **श्री चक्रपाणि :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक डाक्टरों को

(एक) ग्राम्य स्वास्थ्य योजना;

(दो) परिवार नियोजन प्रशासन;

(तीन) राजकीय स्वास्थ्य बीमा योजना;

(चार) सरकारी क्षेत्र के संगठनों; और

(पांच) राज्य संगठनों में कानूनी तौर पर नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) इस सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :-

ग्राम स्वास्थ्य योजना

1. चिकित्सा का प्रबन्ध करना राज्य का विषय है । तथापि होम्योपैथिक ग्राम चिकित्सा सहायता समिति के सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने राजम सरकारों को सलाह दी है कि वे

होम्योपैथिक औषधालय खोलें तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में योग्यता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सकों की सेवाओं का उपयोग करें ।

परिवार नियोजन प्रशासन

2. परिवार नियोजन कार्यक्रम में होम्योपेथिक चिकित्सकों को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि उन्हें इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से लगाने का प्रस्ताव है।

राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना

3. होम्योपैथिक चिकित्सकों को नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

सरकारी क्षेत्र के संगठन

4. होम्योपैथिक चिकित्सकों को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

राज्य संगठन

5. प्रयोग के तौर पर महाराष्ट्र सरकार ने दो जिलों में दो होम्योपैथिक डिप्लोमा धारियों को कुछ सहायता देकर चिकित्सक नियुक्त करने का निर्णय किया है । अन्य राज्यों तथा संघ क्षेत्रों से प्राप्त सूचना से ज्ञात होता है कि उनके यहां कानूनी तौर से मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक प्रेक्टिशनरों को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

होम्योपैथिक सलाहकार समिति

6212. श्री उमानाथ : श्री गणेश घोष :
श्री नम्बियार : श्री चक्रपाणि :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल में होम्योपेथिक सलाहकार समिति नियुक्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति को नियुक्त करने की प्रथा का क्या आधार है; और

(ग) क्या इस समिति को स्थापित करवे के बारे में उनके मंत्रालय ने किसी अखिल भारतीय होम्योपैथिक संस्था से परामर्श किया था ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर): (क) होम्योपैथी सलाहकार समिति का पुनर्गठन अक्टूबर 1966 में किया गया ।

(ख) इस समिति में पांच सरकारी तथा 12 गैर सरकारी सदस्य हैं । गैर सरकारी सदस्यों के चुनाव के लिये प्रत्येक राज्य से तीन नामों की सूची तथा प्रत्येक संघ क्षेत्र

से एक एक नाम मांगा गया था । दूसरे क्षेत्रों से भी सुझाव प्राप्त हुए थे । गैर-सरकारी सदस्यों का चयन स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय ने मुख्यतः राज्यों तथा संघ क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावित नामों में से ही उनकी योग्यता, अनुभव और इस व्यवसाय में उनकी स्थिति के आधार पर किया ।

(ग) जी नहीं ।

केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद

6213. **श्री उमानाथ :** **श्री गणेश घोष :**
श्री नम्बियार : **श्री चक्रपाणि :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निकट भविष्य में एक केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्र शेखर) : (क) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की, जिनमें होम्योपेथिक भी सम्मिलित है एक केन्द्रीय परिषद स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) इस प्रस्तावित परिषद् की स्थापना के लिए विधान के मसौदे के ब्यौरे की जांच करने के लिए एक समिति बनाई जा रही है ।

Recovery of Opium from an I. A. C. Officer

6214. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Raghu Vir Singh Shastri : **Shri Y. S. Kushwah :**
Shri Atam Das : **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that opium weighing 5 kgms; had been recovered from an I. A. C. Officer recently;

(b) whether it is a fact that by arresting the aforesaid person some international gang has been detected;

(c) whether it is also a fact that a political leader is also connected with the gang; and

(d) if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance) : (Shri Morarji Desai) : (a) On 18th June 1967 Delhi Police recovered 5 kgms. of opium from an Indian Airlines Corporation official.

(b) The matter is under investigation.

(c) From the information available so far, no political leader is involved.

(d) Does not arise.

भारतीय सिक्कों पर नेताओं की मूर्तियां अंकित करना

6215. **श्री समर गुह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सिक्कों पर राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियां अंकित करने के बारे में कोई सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो वे सिद्धान्त क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, किस आधार पर श्री नेहरू की मूर्ति वाले सिक्के जारी किये गये हैं; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हमारे देश के लोगों को बहुत बड़ी निराशा हुई है, क्योंकि महात्मा गांधीजी की मूर्तियों वाले सिक्के अभी तक जारी नहीं किये गये हैं ?

उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) इस तरह के खास नियम तो निर्धारित नहीं किये गये हैं, पर अभी तक यही दृष्टिकोण रहा है कि आम तौर से सिक्कों पर राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियां न हों और राष्ट्रीय नेताओं के सम्मान में डाक टिकट छापना अधिक उपयुक्त होगा। पर, श्री जवाहर लाल नेहरू को इस विषय में अपवाद माना गया था, क्योंकि उनके लिये भारतीय जनता के हृदय में विशेष स्थान था।

(घ) सरकार को इस प्रकार की किसी व्यापक निराशा का पता नहीं है।

Resources for M. P. Plan

6216. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether the details in regard to the outlay and the resources of Madhya Pradesh have been finalised for the Annual Plan of the State for 1967-68;

(b) if so, the total expenditure proposed to be incurred under the Plan;

(c) the amount of assistance to be given by the Central Goverment;

(d) the amount of resources to be mobilised by the Government of Madhya Pradesh to implement the Annual Plan;

(e) the estimated amount to be obtained from each source separately;

(f) the gap which would remain between these resources and their original estimates; and

(g) the amount of original and revised estimates of outlay in the Plan of Madhya Pradesh for 1967-68 ?

Petroleum and Chemicals and Social Welfare

The Minister of Planning, Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Ashok Mehta) : (a) to (g) Yes, Sir. Planning Commission has approved an outlay of Rs. 60.38 crores for the State's Annual Plan 1967-68 of which the Central assistance would amount Rs. 49.5 crores and the State resources (including contribution by public enterprises) are estimated at Rs. 10.88 crores. The non-Plan gap of Rs. 6.2 crores which has not been taken into account in fixing the size of the current year's Plan is expected to be met by the State Government through a appropriate measures, e. g. reduction in non-Plan expenditure, improvement in recovery of arrears, payment of a part of the additional dearness allowance. sanctioned for State Government employees by way of credits to their provident funds and further taxation (beyond the level already taken credit for in the estimate of State's resources). It is reported that the State Government has already proposals readly which would meet Rs. 4.6 crores out of this gap of Rs. 6.2 crores and are considering further measures for meeting the balance of the gap.

A statement is laid on the Table of the House indicating the main components of the State resources as estimated by the State Government earlior and as estimated now after discussion with the State officials. **[Placed in Library See No- L. T. 1228/67]**

Cultivation of Vacant Land in Bungalows in Delhi

6217. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that his Ministry has directed the Delhi Administration to bring all the vacant land in bungalows under their jurisdiction under cultivation;

(b) if so, the estimated acreage of such land; and

(c) the action taken by the Delhi Administration in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Mobile Dispensaries in Delhi

6218. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that mobile dispensaries have been started for those Government employees working in Delhi, who are living far from Delhi;

(b) if so their number;

(c) the distance from Delhi in Miles covered by these dispensaries; and

(d) the daily average of patients who benefit by these dispensaries ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) and (b) Yes. Three mobile dispensaries are catering to the medical needs of Central Government employees residing in the distant areas covered by the Central Government Health scheme dispensaries at Timarpur, Moti Nagar and Shahdara.

(c) The average daily distance covered by each of the three mobile dispensaries is from 7 te 8 miles in a circuitous route.

(d) The daily average attendance at these three mobile dispensaries is about 850.

हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स, बम्बई के लिये क्लोरीन

6219. **श्री उमानाथ :**
श्री नम्बियार :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री नायनार :
श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री अनिरुद्धन :
श्री ज्योतिर्मय वसु :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री डी० डी० टी० कारखाना, दिल्ली को कच्चे माल की सप्लाई के बारे में 8 जून 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1824 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बम्बई स्थित हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स, जो कि एक सरकारी उपक्रम है, एक दीर्घकालीन करार के अन्तर्गत लगभग 100 रुपये प्रति टन की दर से क्लोरीन खरीदने की व्यवस्था कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) जी हां।

(ख) मैसर्स नेक्षनज रेयन कारपोरेशन, कल्याण. कई मूल्य सोपान धाराओं (price escalation clauses) को ध्यान में रखते हुए दीर्घ अवधि ठेके के आधार पर (10 वर्षो) हिन्दुस्तान आर्गनिक कैमीकल्स द्वारा दिये गये आधान पात्रों (containers) में अपने कारखाने पर प्रति टन 88। रुपये की लागत पर तरल क्लोरीन की सप्लाई के लिए सहमत हो गया है।

नोट

6220. **श्री वाल्मीकी चौधरी :**
श्री शिव चण्डिका प्रसाद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने पुराने नोट इस समय चल रहे हैं और अब तक कितने नये नोट जारी किये गये हैं ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : भारतीय रिजर्व बैंक. चलन के लिए जारी किये गये छोटे आकार के नोटों और पुराने आकार के नोटों के अलग अलग आंकड़े नहीं रखता। लेकिन, 7 जुलाई, 1967 को, छोटे आकार के नोटों सहित जो करेंसी और बैंक नोट चलन में थे, उनका कुल मूल्य लगभग 32,87,69,95,000 रुपया था।

योजना लक्ष्यों का पुनर्निर्धारण

6221. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान योजना आयोग के पुनर्गठन के बारे में निर्णय होने तक योजना कर्त्ताओं ने उपलब्ध हो सकने वाले संसाधनों और मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण पूंजी निर्माण में हुई कमी तथा खाद्यान्नों के बारे में चल रही अभाव की स्थिति का ध्यान में रखते हुए देश में विभिन्न योजनाकृत विकास कार्यक्रमों के निर्धारित लक्ष्यों में परिवर्तन करने का कार्य आरम्भ कर दिया है; और

यदि हां, तो योजनाकृत लक्ष्यों के पुनर्निर्धारण का कार्य कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) चौथी योजना के प्रारूप की रूपरेखा प्रकाशित होने के बाद आर्थिक स्थिति में जो परिवर्तन हुए हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए इसका पर्यवेक्षण किया जा रहा है। आशा है कि कुछ ही महीनों में यह पर्यवेक्षण पूरा हो जायेगा।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित सिंचाई परियोजनाएं

6222. **श्री गं० च० दीक्षित :**
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री गा० शं० मिश्र :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में मुख्यतः केन्द्र द्वारा अब तक निष्पादित सिंचाई अथवा बहु-प्रयोजनीय परियोजनाओ के नाम क्या है;

(ख) किन-किन राज्यों में परियोजनाएं निष्पादित की जा रही हैं और इन परियोजनाओं पर अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है; और

(ग) क्या इस समय ऐसी ही परियोजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है और यदि हां, तो वे किन-किन राज्यों में हैं और उन पर केन्द्र द्वारा अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) गुजरात में कक्रापार परियोजना और उड़ीसा में हीराकुण्ड बांध ही दो सिंचाई/बहुद्देशीय परियोजना है जिनका कार्यान्विन सम्बद्ध राज्य सरकारी की ओर से केन्द्र द्वारा किया गया है। कक्रापार परियोजना का प्रशासनिक नियंत्रण 1-6-1954 से भूत-पूर्व बम्बई राज्य को हस्तान्तरित किया गया था और हीराकुड बांध परियोजना उड़ीसा सरकार को 1-4-1960 से सौंपी गई थी। 1966-67 के वर्ष के अन्त तक कक्रापार और हीराकुड बांध परियोजना पर व्यय क्रमशः लगभग 16.90

करोड़ रुपये और 65.30 करोड़ रुपये था। इनके अलावा कोई और सिंचाई/बहूद्देशीय परियोजना केन्द्र द्वारा कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

बिलिंगडन अस्पताल (नई दिल्ली) में हृदय-रोग के रोगियों को दाखिल करके चिकित्सा

6223. **श्री गा० शं० मिश्र :**
श्री नाथू राम अहिरवाल :
श्री गं० च० दीक्षित :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिलिंगडन अस्पताल (नई दिल्ली) के वर्तमान मेडिकल सुपरिटेंडेंट तथा उसके सहयोगी डाक्टरों ने हृदय रोग के रोगियों को अस्पताल में रखने और उनकी चिकित्सा करने की अवधि काफी घटा दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) परिणाम इस प्रकार हैं :

(1) मृत्युओं की संख्या आधी रह गई है (15 प्रतिशत वे 7.2 प्रतिशत)

(2) एरीथीमियाज (दिल्ली की अनियमितताएं) रक्त संकुलता से हार्ट फेल होना तथा आधात जैसी भयानक जटिलतायें बहुत कम हो गई है।

(3) रोगी का रक्त चाप तथा विद्युत हुल्लेस (इलैक्ट्रोकार्डियोग्राम) अपनी सामान्व स्थिति में शीघ्र आ जाता है।

(4) रोंगियों का अस्पताल से पहले की अपेक्षा जल्दी छुट्टी मिल जाती है और उनके मामलों की हार्ट क्लिनिक देख भाल करता रहता है। ये रोगी, उन रोगियों की अपेक्षा जिनका पहिले इलाज किया गया था, अधिक स्वस्थ रह रहे हैं।

Accidents at Gandhi Sagar Dam

*6224. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri N, S. Sharma :
Shri Onkar Singh :
Shri Beni Shanker Sharma :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that labourers are frequently killed at Gandhi Sagar Dam as a result of various accidents;

(b) the number of deaths of labourers that occurred in 1966-67 in the Gandhi Sagar Dam; and

(c) the amount of compensation paid by Government to the families of the deceased persons ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) No, not in recent years.

(b) Nil.

(c) Does not arise.

Housing Schemes for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

6225. **Shri Onkar Lal Berwa : Shri N. S. Sharma : Shri Onkar Singh : Shri Beni Shanker Sharma :**

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state:

(a) the amount sanctioned for housing schemes for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in 1966-67;

(b) the amount spent so, far; and

(c) the reasons far the non-utilization of the full amount sanctioned ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (SMT. Phulrenu Guha) : (a) During 1966-67. a sum of Rs. 10.69 lakhs and Rs. 102.81 lakhs has been allocated for housing schemes for Scheduled Tribes and Scheduled Castes respectively.

(b) and (c) The progress reports showing the actual expenditure on the housing scheme for the financial year 1966-67 are still awaited from the State Governments/Union Territories Administrations.

Circulation of Currency Notes Prainted on one Side

6226. **Shri Onkar Lal Berwa : Shri N. S. Sharma : Shri Onkar Singh : Shri Beni Shanker Sharma :**

Will the Miuister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether some of the one rupee and ten rupee currency notes do not bear any print on one side and their circulagtton is held up after reaching the market;

(b) if so, whether Government have appointed any Officer for scrutinising the bundles of notes in the Presses;

(c) if so, the causes thereof; and

(d) the arrangements made by Government for withdrawing such currency notes now ?

Tue Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No instances of currency notes with only one side printed have been reported. However a few one rupee and ten rupee notes with portions bearing no printing were tendered at the counters of Reserve Bank of India offices. They were not reissued thereafter.

(b) to (d) The notes which are printed at the India Security Press, Nasik are subjected to elaborate checks and counter checks at each stage at the Press before despatch to Reserve Bank of India for issue. The cases referred to above are being enquired into, but it appears that the defect were caused by folding of paper while printing. As and when any such defective notes come to notice they are withdrawn from circulation,

Rural Industrial Projects

6227. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 3262 on the 22nd June, 1967 and state:

(a) whether the development blocks in the north of Khandwa East Nimar and Tehsil Harsud fully satisfy the conditions laid down for their inclusion in Rural Industrial Projects.

(b) whether development blocks of Tehsil Barhampore, which are agriculturally developed and where there is further scope for developing agriculture do not satisfy the conditions laid down for inclusion of blocks in the Rural Industrial Projects; and

(c) if the reply to part (b) above be in the negative, the reasons for this discrimination in not including these blocks in the Rural industrial Projects ?

Petroleum and Chemicals and Social Welfare

The Minister of Planning Petrolem and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : (a) Yes.

(b) and (c) Development Blocks of Tehsil Barhampore seem to satisfy the conditions laid down for inclusion of the blocks in the Rural Industries Project. It was the State Government to have proposed their inclusion but they did not do so presumably because it would have increased the Project area beyond the size envisaged by the Planning Commission, viz. 3 to 5 blocks and made it almost coterminus with the District.

Bell Mission Report and World Bank's Study of Financial Condition of India

6228. **Shri Madhu Limaye :**
Shri S. M. Banerjee :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Prime Minister requested the World Bank to give their suggestions for improving the financial condition of India;

(b) whether the recommendations of the Bell Mission and other recommendation have been made in response thereto;

(c) whether he has objected to such recommendations; and

(d) if so, the final policy of Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

भूतपूर्व रियासतों के नरेशों की सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क

6229. **श्री नाथू राम अहिरवार :**
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देशी रियासतों के भूतपूर्व नरेशों को मृत्यु होने पर उनकी सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क लगता है;

(ख) यदि हां, तो कितनी सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क लगता है;

(ग) अब तक कितना सम्पदा शुल्क वसूल किया गया है;

(घ) सम्पदा शुल्क निर्धारण के कितने मामले लम्बित हैं तथा वे मामले किन किन व्यक्तियों के विरुद्ध हैं;

(ङ) क्या ऐसी सम्पत्तियों के सम्पदा शुल्क के निर्धारण अथवा वसूली की कार्यवाहियों को रोकने के लिए रोक आदेश जारी किये गये हैं; और

(च) यदि हां, तो किन किन भूतपूर्व नरेशों के पक्ष में ऐसे रोक आदेश जारी हुए हैं और इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) 1-7-1960 को अथवा उसके बाद हुई मृत्युओं के सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क तब देय होता है जब कि मृतक की सम्पदा का मूल्य 50,000 रुपये से अधिक हो। 15-10-1953 से 30-6-1960 के बीच हुई मृत्युओं के सम्बन्ध में यह सीमा एक लाख रुपये थी।

(ग) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायगी।

नई दिल्ली में गोल मार्केट में स्थित टाइप-चार के क्वार्टरों का दर्जा बढ़ाना

6230. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में गोल मार्केट स्थित टाइपचार के क्वार्टरों का दर्जा बढ़ा दिया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या इन क्वार्टरों में कोई अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त संस्था से परामर्श किये बिना इन क्वार्टरों का दर्जा बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Sign Boards on Public Buildings in Delhi

6231. **Shri Atam Das :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri J. Sundar Lal :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Rama Avtar Sharma :

Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state:

(a) whether there are some orders issued by the Ministry of Home Affairs that all the name boards should be both in English as well as in Hindi;

(b) whether it is a fact that the name boards of Sarder Patel House Parliament Street and Vithal Bhai Patel House on Rafi Marg, New Delhi are only in English;

(c) when the Hindi name boards on these buildings would be put up; and

(d) the action proposed to be taken against the concerned officers for violation of the rules in this matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) Yes, such orders were issued by the Home Ministry.

(b) Yes.

(c) Hindl name boards will be provided soon,

(d) There is no violation of the rules. There has been some delay in the preparation of drawings, etc. Ne action is called for against any officer,

महानदी डेल्टा सिंचाई योजना

6232. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) महानदी डेल्टा सिंचाई योजना पर अब तक कुल कितना खर्च किया गया है; और

(ख) इससे कुल कितने एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) लगभग 24 करोड़ रुपये ।

(ख) 6.5 लाख एकड़ ।

औषधियों का वर्गीकरण

6233. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :
श्री चक्रपाणि :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान स्वास्थ्य मंत्रालय के औषधियों के अत्यावश्यक तथा सामान्य वर्गीकरण के प्रस्ताव के बारे में फाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष द्वारा की गई आलोचना की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्र शेखर) : (क) जीं हां ।

(ख) फाइजर लिमिटेड के चेयरमैन के कथित विचारों से भारत सरकार सहमत नहीं है ।

मालावार का पेरूवनन समुदाय

6234. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री अदिचन :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री जनार्दनन :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य में मालावार के पेरूवनन समुदाय से उनकी कुछ शिकायतों के बारे में सरकार को अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) क्या यह सच है कि लोकुर समिति ने केरल राज्य के भूतपूर्व त्रावनकोर राज्य क्षेत्र के इस प्रकार के समुदाय के समान ही इस समुदाय के साथ व्यवहार नहीं कर सकी है; और

(ग) क्या इस भेद भाव को दूर करने के लिए सरकार का कार्यवाही करने का विचार है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (ग) पेरूवनन समुदाय की ओर से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें कहा गया है कि सारे केरल में उन्हें अनुसूचित जाति माना जाय । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों को दोहराने का समूचा प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

केरल के दियासलाई निर्माताओं के अभ्यावेदन

6235. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री जनार्दनन :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री अदिचन :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल राज्य तथा अन्य क्षेत्रों के 'सी' और 'डी' श्रेणी के दियासलाई निर्माताओं से उत्पादन शुल्क में वृद्धि के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या छोटे पैमाने के इन श्रेणियों के निर्माताओं को राहत देने का सरकार का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) अभ्यावेदनों पर सरकार विचार कर रही है ।

केरल में समुद्र से भूमि के कटाव को रोकना

6237. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री अदिचन :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री जनार्दनन :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से ले कर अब तक केरल में समुद्र से भूमी के कटाव को रोकने के लिये केरल सरकार को ऋणों अथवा अनुदानों के रूप में कितना धन दिया गया है; और

(ख) 1967–68 के लिये कितनी धन राशि नियत की गई है ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) चौथी योजना के प्रथम वर्ष 1966–67 के दौरान समुद्र कटाव रोधी स्कीमों पर खर्च करने के लिए केरल सरकार को 75 लाख रुपये का ऋण दिया गया है।

(ख) 1967–68 के लिए विकास और केन्द्रीय सहायता के विभिन्न शीर्षों के लिए व्ययों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है,

हैदराबाद में संश्लिष्ट औषध कारखाना

6238. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद में संश्लिष्ट औषध कारखाने चालू करने में देरी होने के क्या कारण हैं।

(ख) यह कारखाना सम्भवतः किस तारीख से चालू हो जायेगा;

(ग) क्या परीक्षा के तौर पर किया गया उत्पादन घटिया किस्म का है; और

(घ) उत्पादों की किस्म में सुधार लाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) निर्धारित कार्यक्रम के मुकाबले में संश्लिष्ट औषध कारखाने के देरी से चलने के निम्न कारण थे:-

(1) रूस तथा देशीय साधनों से उपकरणों की सप्लाई में कठिनाइयां; तथा

(2) रूसी सलाहकारों द्वारा प्रक्रियाओं में परिवर्तन।

(ख) फेनासटीन तथा सल्फानिला–माइड के उत्पादन के संयन्त्र पहले से चालू हैं। दूसरे संयन्त्र भी तैयार हैं और वे बायलरों (boilers) की समस्या के हल होने के बाद चालू किये जायेंगे।

(ग) और (घ) सल्फानिला–माइड भारतीय और रूसी दोनों मान्य औषध कोश के अनुकूल है परन्तु फेनासटीन, जो रूसी मान्य औषध कोश के अनुसार तैयार की गई है; भारतीय मान्य औषध कोश के अनुकूल नहीं हैं और जिसका ब्रिटिश मान्य औषध कोष की अनुरूपता पर हाल ही में पुनरीक्षण किया गया था। भारतीय मान्य औषध कोष के अनुसार उत्पादों को तैयार करने के प्रयत्न किये जा रहें हैं।

लाल बहादुर शास्त्री की स्मृति में सिक्के

6240. **श्री आत्म दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की समृति में सिक्के जारी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

6241. **श्री आत्म दास :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में जिन सरकारी कर्मचारियों को मकान नहीं मिले हैं, उन्हें बार-बार मकान बदलने पड़ते हैं;

(ख) क्या बार-बार मकान बदलने के कारण इन कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा खराब हो जाती है और प्रायः उनका एक साल खराब हो जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकारी क्वार्टरों के मामले में ऐसे सरकारी कर्मचारियों को वरीयता देने का है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार के पास किसी विशेष मामले की सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में औषधियों की कमी

6242. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री उमानाथ :
श्री चक्रपाणि :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 जून. 1967 को केन्द्रीय स्वास्थ्य उपमंत्री ने स्वास्थ्य केन्द्रों के कर्मचारियों के एक सम्मेलन में भाषण करते हुए कहा था कि "प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सामान्य औषधि भी नहीं मिलती है";

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण यह हैं कि औषधियां मन्जूर नहीं की जाती अथवा औषधियों का गोलमाल हो जाता है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इन केन्द्रों में तैनात कर्मचारियों के पास कोई कार्य नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्र शेखर) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ तो किसी एक समय में दी गई दवाइयों का स्टाक पूर्वानुमानित अवधि से पहिले समाप्त हो जाने के कारण तथा कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यभारी अफसरों द्वारा दवाइयों की मांग भेजने में देरी होने के कारण भी ऐसा हो जाता है ।

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कर्मचारियों को उपचारात्मक तथा निरोधात्मक दोनों ही प्रकार की सेवाओं की ओर ध्यान देना होता है । उनको दिया जाने वाला काम ही ऐसा है कि वे दिन भर व्यस्त रहते हैं ।

(घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के काम में सुधार लाने के प्रयत्न निरंतर किये जाते हैं ।

Rural Housing Schemes

6243. Shri Nathu Ram Ahirwal : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the amount sanctioned for Rural Housing Schemes during 1966-67;

(b) the manner in which priority of Schemes is determined for utilising this amount; and

(c) the amount proposed to be spent thereon during 1967—68 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal-Singh) : (a) on the basis of the anticipated expenditure peported by the various State Governments, Central assistance amounting to Rs. 41.02 lakhs was released to them, for the Village Housing Projects Scheme, during 1966-67.

(b) the State Governments themselves determine the priority of various programmes under the Scheme according to local requirements.

(c) the allocations for 1967-68 have n o t yet been finalised,

Flat from M. P. S. Quota Under Occupation by Government Employees

6244. Shri Nihal Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Sheopujan Shastri :

Will the Minister of **Works, Housing and Suppiy** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question N. 2343 on the 24th november, 1966 and state :

(a) the number of Government employees who have so far been allotted flats from M. P.s. quota;

(b) the number of employees who were served with notices for vacation of flats during the last three months and the number of flats vacated so far;

(c) the number of M. P.s. whose servant quarters are allotted to Government employees at present and the dates on which they were allotted;

(d) whether that allotment is regular or temporary;

(e) whether Government are contemplating to get those quarters vacated ; and

(f) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) (a) and (b) The House Committees of the Lok Sabha and Rajya Sabha have from time to time surrendered 20 flats in North and South Avenues for want of demand from Members of parliament on condition that these flats would be made available for the two Secretariats of the Parliament at short notice when required for allotment to the Members of Parliament. These flats were allotted to Government employees purely on temporary basis. In the baginning of April 1967, 19 flats were in occupation of Government employees and the notices for vacation were served on all the allottees of these flats. 13 flats have already been got vacated and handed over to the respective House Committees. There are 6 M. P. flats in occupation of Government employees at present and these flats will also be got vacated as and when a demand is received from the House Committees.

(c) No Servant quarter allotted to an M. P. has been allotted to a Government employee.

(d) to (f) Do not arise.

Shops in Ramakrishna Puram Markets, New Delhi

6245. Shri Nihal Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Sheopujan Shastri :

Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) the number of shops in Ramakrishna Puram markets, New Delhi, where water and electricity have not been provided so far;

(b) whether it is a fact that Government are sustaining a loss thereby;

(c) if so, the time by which water and electricity would be provided there; and

(d) the time by which these shops are likely to be allotted ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal-Singh) : (a) In all the shops built in sectors I to VII in R. K. Puram electricity has been provided. Sanitary arrangements including baths have been provided in the markets in sectors V to VII. Work in sectors I to IV will be taken up soon.

(b) to (d) All the shops stand allotted and the question of loss does not arise,

ग्रामीण गृह–निर्माण योजनायें

6246. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण गृह–निर्माण योजनाओं के लिये कितने धन की व्यवस्था की गई थी तथा वास्तव में उन पर कितना धन व्यय किया गया;

(ख) योजना अवधि में कितने मकान बनाने के लिये पहिले योजना बनाई गई थी तथा वास्तव में कितने मकान बनाये गये; और

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में ग्रामीण गृह–निर्माण योजना के अन्तर्गत किन किन राज्यों में मकान बनाये गये ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के लिये दी गई 4.85 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता में से विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लगभग 3.77 करोड़ रुपये की राशी का उपयोग कर लिया गया था।

(ख) द्वितीय योजना में कोई भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था किन्तु योजना अवधि में 7185 मकान बनाये गये थे।

(ग) असम, बिहार तथा जम्मू एवं कश्मीर को छोड़ कर सभी राज्यों में मकान बनाए गये थे।

रावी नदी पर बांध

6247. श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थेन के निकट रावी नदी पर 70 करोड़ रुपये की लागत से 482 फुट ऊंचे बांध के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिये पंजाब सरकार ने केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) पंजाब सरकार ने कुल कितनी वितीय सहायता मांगी है; और

(ग) इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं। पंजाब से प्राप्त चौथी योजना के प्रस्तावों में तीन बांध परियोजनाओं के लिए कोई प्रबन्ध शामिल नहीं था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

देशीय चिकित्सा प्रणाली

6248. श्री अ० त्रि० शर्मा : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में देशी चिकित्सा प्रणाली के लिये नियत पूरी राशी व्यय की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्र शेखर) : (क) जी नहीं ।

(ख) इसका मुख्य कारण इस प्रकार हैं:–

(1) इस योजना में सम्मिलित परियोजनाओं की क्रियान्विति में धीमी प्रगति; और

(2) अनुसंधान कार्यक्रम चलाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव ।

Land Acquisition in Delhi

6249. Shri Y. S. Kushwah :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Atam Das :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Mahant Digvijai Nath :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in June, 1965, Government took in their possession the land in front of the Income tax Office, Delhi after uprooting 200 peasent families living in a village:

(b) whether it is also a fact that no alternative land has been allotted to the said uprooted families so far;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the rates at which Government purchased the land from the said farmers and the full details in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) No.

(b) and (c) In June, 1965, 266 families of squatters, who were unauthorisedly occupying the Government land in front of Income Tax Office, New Delhi, had been removed and they were provided with alternative accommodation under the Jhuggi and Jhonpri Removal Scheme. Thirty four squatter families had refused to accept alternative sites.

(d) Does not arise.

कैफीन का आयात

6250. श्री अब्राहम :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रति वर्ष कितनी और कितने मूल्य की कैफीन का आयात किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में बनाई गई कैफीन का मूल्य, आयात की गई कैफीन के मूल्य से अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो उनका अन्तर कितना है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) पिछले तीन वर्षों में कैफीन, अधिकतर शुद्ध ऐलकालायड, की आयात निम्न प्रकार रही है :—

वर्ष	मात्रा	मूल्य (रुपये)
1964–65	45.33 मीटरी टन	6,12,167
1965–66	69.23 मीटरी टन	8,57,159
1966–67		
(फरवरी 1967 तक)	25.53 मीटरी टन	4,41,439

(ख) जी हां :

(ग) वर्तमान कीमतों के आधार पर 38 रुपये से 44 रुपये प्रति किलोग्राम तक का अन्तर है ।

चाय के अवशिष्ट से कैफीन बनाना

6251. श्री अब्राहम :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में चाय के अवशिष्ट से कैफीन बनाने वाले रसायन उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या केरल राज्य में एतूमानूर स्थित कैफीन फैक्टरी के अतिरिक्त दक्षिण भारत में और कोई कैफीन कारखाना है जो चाय अवशिष्ट से कैफीन बनाता है;

(ग) केरल में एत्तुमानूर स्थित कारखाने में प्रति वर्ष कितना उत्पादन होता है;

(घ) कैफीन के मामले में आत्म-निर्भर बनने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं; और

(ङ) वर्तमान कारखानों को अपना विस्तार करने तथा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिये सहायता देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार चार कारखाने चाय के अवशिष्ट से कैफीन बना रहे हैं।

(ख) जी नहीं, प्राप्त सूचना के अनुसार।

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) तमाम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वर्तमान चालू यूनिटों में उत्पादन बढ़ाने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लघु क्षेत्रीय निर्माताओं को भी उन क्षेत्रों में जहां चाय के अवशिष्ट उपलब्ध हैं छोटे यूनिट लगाने के लिये प्रोत्साहित करने के यत्न किये जा रहे हैं।

(ङ) लघु क्षेत्र में उत्पादन के उन्नत तकनीकों को अपनाया जा रहा है। वर्तमान कारखानों से खरीद में सुधार लाने के लिये अनुपूरक लाइसेंसों पर कैफीन के आयात की अनुमति नहीं दी जा रही है।

नेरियामयलम (केरल) में पादप (फाइटो) रसायन उद्योग

6252. **श्री अब्राहम :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में नेरियामयलम में पादप रसायन उद्योग पर कुल कितना धन व्यय किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि रूसी विशेषज्ञ का विचार इस कारखाने को अवशिष्ट चाय से कैफीन बनाने के लिए स्थापित करने का था; और

(ग) यदि हां, तो केरल में प्रचूर मात्रा में अवशिष्ट चाय उपलब्ध होने के बावजूद भी इस परियोजना को रद्द करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) 13.62 लाख रुपये।

(ख) जी हां।

(ग) दक्षिणी प्रदेश में चाय अवशेष की उपलब्धि बहुत सीमित थी और इसका मूल्य बहुत अधिक था। अतः केवल चाय अवक्षेष से कैफीन के संयन्त्र की स्थापना आर्थिक दृष्टि से न्याय संगत नहीं है और इसलिये इस परियोजना को छोड़ना पड़ा।

श्रीलंका से व्यापार प्रतिनिधिमंडल

6253. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** **श्री मरंडी :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री जेना :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री लंका से एक व्यापार प्रतिनिधि मण्डल हाल में दिल्ली आया था;

(ख) क्या उस प्रतिनिधि मण्डल के साथ कोई करार किया गया है और यदि हां तो उसकी शर्तें क्या हैं;

(ग) श्रीलंका भारत से कौन-कौन सी और कितने मूल्य की वस्तुएं आयात करेगा; और

(घ) भारत श्रीलंका से कौन-कौन सी वस्तुएं आयात करेगा ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) प्रतिनिधि मण्डल ने 5 करोड़ रुपये के उस ऋण की शर्तों के बारे में बातचीत की जिसे हमने श्रीलंका को देने का प्रस्ताव रखा है।

(ख) अभी बातचीत जारी रहेगी।

(ग) और (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

मौलाना आजाद के मकबरे, शान्ति वन और विजय घाट पर व्यय किया गया धन

6254. श्री बाबूराव पटेल : क्या निर्माण, तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्गीय मौलाना आजाद के मकबरे पर कितना धन व्यय किया गया है अथवा करने का विचार है;

(ख) शान्ति वन तथा विजय घाट के विकास के लिये कितना धन व्यय किया गया है तथा कितना निर्धारित किया गया है;

(ग) सरकारी व्यय में बचत करने की आवश्यकता को देखते हुए क्या यह व्यय रोका जा सकता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ) अभी तक मौलाना आजाद की मजार पर 1.06 लाख रुपये, शान्ति वन पर 6.82 लाख रुपये तथा विजय घाट पर 1.73 लाख रुपये, विकास तथा निर्माण कार्य में खर्च हुए हैं।

शान्ति वन में चल रहे निर्माण कार्य पर 0.18 लाख रुपये का अनुमानित और खर्चे की सम्भावना है। इस वर्ष में विजय घाट के निर्माण कार्य पर 0.56 लाख रुपये के अतिरिक्त खर्चे का प्रस्ताव है। इन महत्वपूर्ण स्मारकों पर यह मामूली सा खर्चा आवश्यक है। ये दो समाधियां तथा राजघाट भी यमुना के पुल से लेकर 'सी' बिजलीघर तक के सम्पूर्ण क्षेत्र के प्रस्तावित एकीकृत विकास का भाग है। जब एकीकरण की योजना को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा तो उसके बाद इन समाधियों के निर्माण कार्य पर और खर्चे की आवश्यकता पड़ेगी। इस खर्चे का अभी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

पश्चिम कोसी नहर

6255. श्री बाबूराव पटेल : क्या सिचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की पश्चिम कोसी परियोजना में गतिरोध होने के क्या कारण हैं, जबकि भारत के दो भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों द्वारा तथा राज्य के एक मुख्य मंत्री द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास तीन बार किया गया है;

(ख) इस परियोजना में अनुमानतः किस तारीख से काम आरम्भ हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है, तो क्या कारण हैं ?

सिचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) इस नहर के पहले कुछ मील नेपाल क्षेत्र में पड़ते हैं। नेपाल के साथ करार केवल गत दिसम्बर में हो पाया और तब से नहर के रेखांकन को अन्तिम रूप देने के लिए सर्वेक्षण और अनुसंधान किए जा रहे हैं। इसके फरवरी, 1968 तक पूरा होने की सम्भावना है। नहर की वास्तविक खुदाई इसके शीघ्र ही बाद शुरु कर दी जाएगी।

परिवार नियोजन व बोनस योजना सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति

6256. श्री बाबूराव पटेल : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन दम्पत्तियों को प्रोत्साहन देने के लिये, जिनके दो या तीन से अधिक बच्चे नहीं हैं, बनाई गई "लघु बोनस योजना" की वित्तीय तथा अन्य बातों का अध्ययन करने के लिये सरकार ने एक उच्च शक्ति-प्राप्त समिति की स्थापना करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन होंगे तथा इसके निर्देश पद क्या होंगे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) भारत सरकार ने एक "लघु परिवार आदर्श समिति" की स्थापना की है। समिति का संघटन इस प्रकार है :—

1.	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय।	अध्यक्ष
2.	श्रीमती अवाबाई ब० वाडिया, सभापति, भारतीय परिवार नियोजन एसोसियेशन।	सदस्या

3. डा० (श्रीमति) मैत्रेयी बोस, सदस्य
संसद सदस्या, उप-सभापति,
राष्ट्रीय मजदूर संघ, नई दिल्ली

4. श्री राव नाथ अ० पोद्दार, सदस्य
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल संघ, नई दिल्ली।

5. श्री सी० एच० एस० लण्डन, सदस्य
भारतीय मालिक संघ, बम्बई।

6. श्री ए० के० जैन, सदस्य
अखिल भारतीय औद्योगिक मालिक संघ, नई दिल्ली।

7. श्रीमती मणीबेन कारा, सदस्य
हिन्द मजदूर सभा, कलकत्ता।

8. श्रीमती उषा गुप्ता, सदस्य
महा सचिव,
अखिल भारतीय चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मचारी
संघ, कलकत्ता।

9. श्रीमती लक्ष्मी रघुरामैया, सदस्य
महा सचिव,
अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, नई दिल्ली

10. श्री डी० पाल चौधरी, सदस्य
केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली

11. श्री एन० एफ० कैकोबाद, सदस्य
अवैतनिक महा सचिव,
भारतीय समाज कार्य सम्मेलन, बम्बई।

12. डा० जे० एन० तिवारी, सदस्य
निदेशक, समाज एवं अनुसंधान समिति,
आयोजना आयोग, नई दिल्ली

13. सचिव, सदस्य
युनाइटेड यूनियन कांग्रेस, बम्बई

14. डा० भोला नाथ, सदस्य
सभापति, भारतीय चिकित्सा संस्था, नई दिल्ली

15. श्री डी० जे० मदान, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, (निर्माण एवं स्वास्थ्य प्रभाग) — सदस्य

16. चिकित्सा आयुक्त, राज्य कर्मचारी जीवन बीमा निगम, नई दिल्ली। — सदस्य

17. श्री एस० पी० जैन, विशेष सेवा अधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय, नई दिल्ली। — सदस्य

18. परिवार नियोजन आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय, नई दिल्ली। — सदस्य-सचिव

लघु परिवार के आदर्श को लोक-प्रिय बनाने तथा बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित या निरुत्साहित करने के प्रस्तावों का अध्ययन करने और उन पर अपनी सिफारिशें देने का काम इस समिति को सौंपा गया है।

अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली

6257. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक होटल्स के कितने कर्मचारी तथा स्टाफ मैम्बर प्रतिनियुक्ति पर हैं, किन-किन मन्त्रालयों के हैं तथा कितनी-कितनी अवधि के लिये हैं;

(ख) इन कर्मचारियों के नाम व पदनाम क्या हैं तथा इन्हें कितना-कितना वेतन तथा भत्ता मिलता है;

(ग) सरकार का विचार इन पदों पर कर्मचारियों की स्थायी रूप से कब तक नियुक्ति करने का है; और

(घ) क्या अशोका होटल में अच्छी सेवा की व्यवस्था न होने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) अशोक होटल में नियमित पदों पर आल अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं। इसके अतिरिक्त 1 जुलाई, 1967 को होटल के एक उप-भवन (एनेक्सी) बनाने के सम्बन्ध में 13 अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर थे। ये अधिकारी विस्तार परियोजना के सम्पूर्ण हो जाने पर अपने मूल कार्यालयों में वापस चले जायेंगे। इन दो प्रकार के अधिकारियों के सम्बन्ध में ब्यौरा विवरण

संख्या 1 और 2 में दिया गया है ? जो सभा-पटल पर रख दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 1129/67**]

(ग) सरकार, सिद्धान्त रूप से, अशोक होटल्स लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर) तथा वित्त अधिकारी (फाईनेन्स आफीसर) को नियुक्त करती है। अन्य पदों पर नियुक्ति सीधे कम्पनी के द्वारा की जाती है।

(घ) किसी भी बड़े होटल में सेवा की मामूली शिकायतें आना कोई अस्वाभाविक नहीं।

केन्द्रीय सरकारी ऋण जारी करना

6258. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1967 में सरकार ने तीन नये ऋण जारी किये हैं;

(ख) क्या इन ऋणों में पूरी राशि प्राप्त हो गई है; और

(ग) इन ऋणों का किन-किन कार्यों के लिये उपयोग करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये बाजार ऋणों के परिणाम दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल०टी० 1130/67**]

(ग) इन ऋणों से प्राप्त धनराशि को भुगतान दायित्व पूरा करने के बाद, अन्य पूंजी प्राप्तियों के साथ विनियोजन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये तथा विकास कार्यों के लिये पुनः उधार देने के लिये प्रयोग में लाया जायेगा।

Removal of Slums in U. P.

6260. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether the Government of Uttar Pradesh have submitted any scheme to the Central Government for the removal of slums in that State and for improving their present condition; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b) The State Governments are not required to submit their projects for clearance and improvement of slums to the Government of India for sanction. They are themselves competent to sanction such projects formulated by themselves or by other construction agencies in their States. The Central financial assistance is released to them every year on the basis of the expenditure incurred by them under the Scheme.

महंगाई भत्ते के बारे में गजेन्द्र गडकर आयोग का प्रतिवेदन

6261. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री राम कृष्ण गुप्त ;
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री निहाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रेलवे मजदूर संघ ने केन्द्रीय स.कार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के बारे में गजेन्द्र गडकर आयोग का प्रतिवेदन अस्वीकृत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर;

(ग) जिस निर्वाह व्यय सूचकांक पर आयोग की सिफारिशें आधारित हैं, उसका अनुमान किस आधार पर लगाया गया है और सूचकांक तैयार करते समय किन-किन वस्तुओं के दामों की वृद्धि को लिया गया है;

(घ) दूसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद से निर्वाह व्यय में हुई वृद्धि में से कितनी वृद्धि की क्षतिपूर्ति समय-समय पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की गई वृद्धि में नहीं की गई; और

(ङ) सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिये जाने के तथ्य तथा दास आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए क्या वेतन और भत्तों के समूचे ढांचे पर विचार करने के लिये तीसरा वेतन आयोग बनाने का सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इस आशय की खबरें अखबारों में छापी है। संघ की शाखाओं से अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध विरोध प्रकट किया गया है।

(ख) संघ के अनुसार, आयोग द्वारा जिस मात्रा में निराकरण की सिफारिश की गयी है वह बढ़ते हुए मूल्य स्तर के अनुरूप नहीं है।

(ग) आयोग की सिफारिशें श्रमजीवी वर्ग के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या --आधार वर्ष 1949–100 से सम्बन्धित है। अखिल भारतीय सूचकांक विभिन्न राज्यों से चुने गये 27 केन्द्रों के श्रमजीवी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का समीक्षित औसत है। सूचकांक की संगणना करने में हिसाब में ली जाने वाली वस्तुएं मोटे तौर पर पांच वर्गों में आती हैं। उनका व्यौरा निम्न प्रकार है : —

	वर्ग	वस्तुएं
1.	खाद्य-पदार्थ :	अनाज तथा दालें, दूध और दूध की बनी वस्तुएं, मांस, मछली, घी, खाद्य तेल, आलू तथा प्याज इत्यादि, नमक मिर्च, हल्दी, चीनी, गुड और चाय इत्यादि।
2.	ईंधन और बिजली :	ईंधन, कोयला, मिट्टी का तेल, बिजली तथा दिया सलाई।
3.	मकान किराया :	
4.	कपड़े :	धोतियां, साड़ियां और चादरें, कोट तथा कमीजों के कपड़े जैसी अन्य मदें।

5. विभिन्न : नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, हजामत का खर्च, पान-सुपारी, बीडियां तथा सिगरेट और आमोद-प्रमोद इत्यादि ।

(घ) महंगाई भत्ते की वर्तमान दरें 175 पर स्थित सूचकांक के बारह महीनों की औसत से सम्बन्धित हैं । वर्ष 1949 के मूल्य स्तर पर 75 अंकों की सम्पूर्ण वृद्धि के लिये निराकरण की प्रतिशत-दर विभिन्न वेतन-खण्डों के लिये भिन्न-भिन्न है, यह निम्नतम वेतन खण्ड के लिये 90 प्रतिशत से लेकर 400–599 के वेतन-खण्ड के लिये 40 प्रतिशत तक है। इसके अलावा, (कर्मचारियों को) मकान किराया, चिकित्सा व्यय, बच्चों की शिक्षा जैसी विभिन्न मदों के बारे में वेतनेतर लाभ मिलते हैं जिनमें से कुछ सूचकांक के संकलन में जोड़े जाते हैं ।

(ङ) जी, नहीं । इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

भूमिगत चट्टानों से पैट्रोलियम निकालने के लिये अग्नि उत्तापन प्रणाली (फायर इग्निशन मैथड)

6262. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री श्रीधरन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमिगत चट्टानों से पैट्रोलियम निकालने के लिये अग्नि उत्तापन प्रणाली (फायर इग्निशन मैथड) का उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो जिन क्षेत्रों में इस प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है उसमें उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) निम्न गुरुत्व कच्चे तेलों के उत्पादन के लिए कुछ कम्पनियों ने सीमित रूप में ऐसी पद्धति का इस्तेमाल किया है किन्तु देश में इसे अपनाने के लिए अब तक विचार नहीं किया गया है ।

(ख) इस विषय पर कोई विश्वासनीय सूचना उपलब्ध नहीं है किन्तु यह मालूम हुआ है कि ऐसे उत्पादित तेल की कुल मात्रा प्रति वर्ष लगभग 0.5 मिलियन मीटरी टन है ।

Pay Scales of Compounders in Reserve Bank of India

6263. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Atam Das :
Shri Raghubir Singh Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the pay scales of different grades of compounders in various offices of the Reserve Bank of India, the dates from which they are in force and the qualifications prescribed therefor, separately;

(b) the rules for promotion from one grade to another and the difference between the prescribed duties and qualifications therefor;

(c) whether these pay scales are uniformly applicable to the employees possessing similar qualifications who are working in various offices of the Reserve Bank in the same categories of cities like Bombay, Calcutta and Delhi;

(d) if not, the reasons therefor;

(e) whether there are any pay scales which are applicable in one city but are not applicable in most of the other cities in all similar categories for the same type of work;

(f) if so, the reasons therefor; and

(g) the action Government propose to take to remove this discriminatory treatment ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (g) There are two grades of full time compounders in the Reserve Bank :—

(i) **Higher pay centres** : (that is, Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Kanpur, Bangalore, Hyderabad and Ahmedabad)-Compounders Grade I (Bombay and Calcutta) : Rs. 155–5–165–8–181–10–211–EB–10–221–12–305–15. –350.

Compounders Grade II : Rs. 140–5–190–6–220.

(ii) **Other than Higher Pay Centres :**
Compounders Grade II : Rs. 130–5–205.

At Bombay and Calcutta, where there are two grades, recruitment is normally made to the lower grade and vacancies in the higher grade are filled by promotion. The duties and qualifications prescribed for the two grades are the same at each centre. The pay scales for these grades have been prescribed on the basis of the award of the National Industrial Tribunal (Bank Disputes) and came into force from 1st January, 1962, and take into account the nature of duties, the responsibilities and the work-load of the posts included in the respective grades. Such a categorisation of posts does not amount to discrimination requiring any action on the part of Government. However, the question of revision of scales of pay of workmen staff (including Compounders) has been referred to an arbitrator under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947.

चेय्यार नदी (आन्ध्र प्रदेश) पर थोगुरुपेट जलाशय

6264. क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने कुछ वर्ष पहिले कडप्पा जिले के राजमपेट ताल्लुक में चेय्यार नदी पर थोगुरुपेट जलाशय के निर्माण की नींव डाली थी;

(ख) क्या यह सच है कि यह परियोजना चौथी योजना में शामिल की गई परियोजनाओं में एक है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश सरकार से इस मामले में बातचीत करने का है क्योंकि कडप्पा जिले में अकाल पर नियंत्रण रखने के लिये यह महत्वपूर्ण है ?

सिचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि धन की कमी के कारण इस परियोजना को राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम मसौदे में शामिल नहीं किया जा सका है।

तुंगभद्रा परियोजना

6265. **श्री अगाड़ी** : क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में धारवाड़ जिले के मुदेरगी तालुक में कोलहाली गांव का, यद्यपि वह तुंगभद्रा परियोजना की योजना के जल में डूब जाने वाले क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, अभी तक पूर्णतः अर्जन नहीं किया गया है और ग्राम निवासियों को बसाने के प्रस्तावों को अभी कार्यान्वित करना आरम्भ नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक विद्यमान गांव का कितना क्षेत्र अर्जित किया गया है;

(ग) क्या इन ग्रामवासियों को बसाने के लिये कोई नया स्थान प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और वह विद्यमान गांव से कितनी दूरी पर है; और

(ङ) विद्यमान गांव को अर्जित करने के लिये प्रतिकर के रूप में अनुमानतः कितनी राशि देने का विचार है और नया स्थान अर्जित करने के लिये कितना धन खर्च करने का विचार है ?

सिचाई और बिजली मंत्री (श्री कु० ल० राव) : (क) 1635 समोच्च के अन्तर्गत आने वाले ग्राम कोर्लहल्ली की जमीनों और भवनों का अर्जन किया जा चुका है। अधो-भूमि जल स्तर के ऊंचा होने से प्रभावित और जल फैलाव के निकट कुछ घरों के अर्जन का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) लगभग 155 एकड़।

(ग) और (घ) जी, हां। नए स्थल के लिए लगभग 9 एकड़ भूमि अर्जित की जा चुकी है।

(ङ) 10,49,000 रुपये।

बिहार में कुष्ठ रोगी

6266. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में लगभग 35 000 व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं जिनमें से 25 प्रतिशत रोगी कुष्ठार्बुदीय प्ररूप (लेपरोमेटस ग्रुप) के हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस रोग की रोक-थाम करने तथा उसका उन्मूलन करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) बिहार राज्य में इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नहीं किया गया है । राज्य सरकार के सहयोग से 1955 से चलाये गये राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन राज्य में स्थापित किये गये कुष्ठ नियंत्रण एकक लोगों का सर्वेक्षण तथा जांच कर रहे हैं । उपलब्ध आंकड़ों को 1963 में दुबारा देखा गया था और बिहार में 2.8 लाख कुष्ठ रोगियों के होने का अनुमान लगाया गया था जिनमें से 25 प्रतिशत कुष्ठार्बुदीय किस्म (लेपरोमेटस टाइप) के हैं ।

(ख) राज्य में 19 कुष्ठ नियंत्रण एकक स्थापित किये गये हैं । अब तक 23 लाख जनसंख्या अन्तर्हित की जा चुकी है, 63,242 रोगी रिकार्ड किये गये हैं तथा 59,263 रोगियों को उपचार के लिये पंजीबद्ध किया गया है और इनका उपचार कुष्ठ नियंत्रण एककों द्वारा किया जा रहा है ।

लद्दाखियों को अनुसूचित आदिम जाति के रूप में मान्यता प्रदान करना

6268. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाखियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें अनुसूचित आदिम जाति के रूप में मान्यता प्रदान की जाये;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

पुरी और कटक में रहस्यमय रोग

6269. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्रनाथ :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में पुरी और कटक जिले के कुछ भागों में एक रहस्यमय रोग फैल गया है जिसके कारण बहुत से व्यक्ति मर गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार ने इस रोग पर काबू पाने के लिये केन्द्रीय सरकार से विशेषज्ञों की सेवाओं की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के मरने के समाचार मिले हैं तथा इस रोग पर काबू पाने के लिये विशेषज्ञ भेजने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी हां। किन्तु इस रोग से किसी की मृत्यु नहीं हुई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) किसी के मरने का समाचार नहीं मिला है। कटक के पांच गांवों तथा पुरी जिले के 13 गांवों में 165 व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हुए थे। यह रोग न तो जीवणुवीय है और ना ही विषणुवीय। यह रोग न तो किसी निश्चित रोग के अन्तर्गत आता है और ना ही यह विटामिनों और खनिजों की कमी के कारण होता है। मौसम के हालातों में अचानक तबदीली आ जाने के फलस्वरूप उत्पन्न मनोवैज्ञानिक तत्व ही इस रोग का कारण समझा जाता है।

नगरीय क्षेत्रों में अल्प लागत गृह-निर्माण योजनायें

6270. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री म० माझी :
श्री धीरेन्द्रनाथ :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने नगरीय क्षेत्रों में अल्प लागत गृह-निर्माण योजनाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कुछ राज्यों में सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जहां परिषद् ने सर्वेक्षण किया है; और

(ग) परिषद् ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) मुख्य रूप से अल्प लागत गृह-निर्माण पर राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् के द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया गया था। तथापि, उन्होंने "टैक्स इन्सीडैन्स आने हाउसिंग" पर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के सहयोग से एक अध्ययन किया है। यह अध्ययन 25,000 रुपये की लागत से कम वाले मकानों तक सीमित था।

(ख) यह अध्ययन अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, मद्रास तथा पटना के नगरों के लिए किया गया था।

(ग) "इन्सीडैन्स आफ टैक्सेशन आन हाउसिंग" के अध्ययन में निम्न आय आवास के सम्बन्ध में परिषद् की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नांकित हैं :—

(i) कर-भार तथा शुल्क (इन्सीडैन्स काफ टैक्सेज एन्ड फीज) जो कि आवास की कुल लागत का मूल्य बढ़ाता है, दिल्ली में 7.62 प्रतिशत से लेकर पटना में 5.12

प्रतिशत तक रहता है। यही कर-भार निर्माण की कुल लागत के सम्बन्ध में अहमदाबाद में 9.61 प्रतिशत से लेकर पटना में 6.14 प्रतिशत तक रहता है।

(ii) 25,000 रुपये की लागत के एक विशिष्ट (टिपीकल) निम्न आय आवास यूनिट में औसत कर तथा शुल्क की राशि 1,625 रुपये है। परिषद् ने यह सुझाव दिया है कि "उपयोगिता आवास" (यूटिलिटी हाउसिंग) में धन लगाने को प्रोत्साहन देने के लिए तथा ऐसे कर-भारों के भार को कम करने के लिए कुल कर तथा शुल्क का 50 प्रतिशत सहायता के रूप में दिया जाये। इस प्रकार प्रति यूनिट अधिकतम सहायता 812.50 रुपये होगी। परिषद् ने आगे यह सुझाव दिया कि सहायता देने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होना चाहिए।

(iii) कुछ राज्यों की राजधानियों में निम्न लागत के मकानों पर सामान्य संपत्ति कर का कर-भार बहुत अधिक है, तथा निम्न लागत के मकानों पर इस कर की दर कम करने के लिए यह एक विषय है। राज्य की कुछ राजधानियों में सामान्य सम्पत्ति कर मोटी-दर पर वसूल किया जाता है। प्रगतिशीलात्मक दर संरचना (प्रोग्रेसिव रेट स्ट्रक्चर) लागू करने के लिए यह एक विषय है।

(iv) जहां तक विभिन्न भवन निर्माण सामग्री के करों के कर-भार का सम्बन्ध है, उत्पादन शुल्क सबसे अधिक है जिसके बाद कर-भार की मात्रा के क्रम में राज्यों का बिक्री कर, केन्द्रीय बिक्री कर तथा चुंगी आते हैं। सीमेंट का उत्पादन शुल्क सभी करों के 37 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक है।

व्यय कर

6271. श्री शिवचन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में व्यय कर प्रोफेसर कालडोर के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि व्यय कर समाप्त कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) व्यय कर अधिनियम, 1957 के अधिनियमित होने से भारत में, व्यक्तियों तथा अविभाजित हिन्दू परिवारों द्वारा किये गये निर्धारित सीमा से अधिक व्यय पर व्यय-कर लगाया गया था। इस कानून को बनाने से पहले इस मामले में, सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रोफेसर निकोलस कालडोर द्वारा भारतीय कर-सुधार पर अपनी रिपोर्ट में दी गयी सिफारिशों को भी ध्यान में रखा था।

(ख) वित्त अधिनियम, 1966 के द्वारा व्यय कर अधिनियम, 1957 रद्द हो जाने से 1 अप्रैल, 1966 से व्यय कर हटा दिया गया है।

(ग) जैसाकि वित्त मंत्री ने 1966–67 के अपने बजट भाषण में उल्लेख किया है, इस कर को हटाने का कारण यह था कि इससे आमदनी बहुत कम थी, यही कोई 60 लाख रुपये अथवा उसके लगभग; और वह भी प्रशासन पर पड़ने वाले बोझ तथा निर्धारितियों को होने वाली असुविधा के अनुरूप नहीं थी।

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा लाभ को व्यापार में लगाना

6272. **श्री शिवचन्द्र झा : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा तीनों योजनाओं में लाभ की कितनी राशि को पुनः व्यापार में लगाया गया;

(ख) विनियोजना दर में वृद्धि कर के लिये चौथी योजना के दौरान कितना लाभ व्यापार में लगाये जाने की आशा है; और

(ग) चौथी योजना अवधि के अन्त तक सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में विनियोजना की सम्भावित दर क्या होगी ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1131/67]**

(ग) चौथी योजना के प्रारूप की रूपरेखा में पांच साल की अवधि में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत 13,600 करोड़ रुपये के कुल विनियोजन की कल्पना की गई है। इसमें निजी क्षेत्र में पूंजी निर्माण के लिए सहायता देने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य बजटों से उपलब्ध की जाने वाली राशि शामिल है। इस राशि में संगठित उद्योग और खनिज के अन्तर्गत 3,936 करोड़ रुपये का प्रावधान सम्मिलित है। इसी अवधि के दौरान, केन्द्रीय और राज्य बजटों से उपलब्ध की जाने वाली राशि को छोड़ कर और संगठित उद्योग और खनिज के अन्तर्गत 2,350 करोड़ रुपये सहित गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत 7,750 करोड़ रुपये के विनियोजन की कल्पना की गई थी। चौथी योजना के पिछले वर्ष दोनों क्षेत्रों में सम्भावित विनियोजना के अनुमान इस विनियोजना के क्रमबद्ध करने के बाद ही दिये जा सकते हैं। यह काम करना अभी बाकी है।

आयोजना के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफ़ारिशें

6273. **श्री शिवचन्द्र झा : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल ने यह सिफारिश की है कि आयोजना बनाने का कार्य राजनीतिज्ञों की अपेक्षा विशेषज्ञों द्वारा अधिक किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इससे समाजवादी ढंग के समाज के आदर्श पर कहां तक प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या इससे दृष्यमान आयोजन पर भी प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार से ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) आयोजन की मशीनरी के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल के अन्तरिम प्रतिवेदन में विशेषज्ञता के आधार पर योजना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करने की सिफारिश की गई है। परन्तु उन्होंने यह भी माना है कि राजनीतिक अनुभव होना इसमें बाधक नहीं होना चाहिए।

(ख) और (ग) इससे समाजवादी ढंग से समाज के आदर्श या भावी आयोजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गोहाटी में गैस-टरवाइन

6274. श्री रा० बरुआ : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाटी में स्थापित किया गया 12.50 मैगावाट का गैस-टरवाइन काम कर रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या खराब योजना के कारण ऐसी स्थिति हुई है;

(ग) इस गैस-टरवाइन को स्थापित करने पर तथा उसकी देख-रेख पर कुल कितना व्यय हुआ है; और

(घ) क्या इस योजना को केन्द्रीय सरकार ने मंजूर किया था ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) चूंकि इस क्षेत्र की बिजली की आवश्यकताओं को उमत्रु और उमयम पन-बिजली केन्द्रों से पूरा किया जा रहा है, इसलिए इस समय गैस-टर्वाइन को नहीं चलाया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गैस टर्वाइन प्रतिष्ठान की कुल लागत 109.07 लाख रुपये है। इसके रखरखाव पर प्रति वर्ष 45,000 रुपये खर्च होते हैं।

(घ) जी, हां।

नामरूप और गोहाटी, आसाम के लिये ग्रिड प्रणाली

6275. श्री रा० बरुआ : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नामरूप और गोहाटी ग्रिड प्रणाली से जोड़ दिये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ग्रिड से जोड़ने के काम को आगे बढ़ाने की बजाये मरघेरीटा में कोयले पर आधारित बिजली घर बनाने क नया प्रस्ताव बनाया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस परियोजना की लाभ-हानि का विचार कर लिया गया है;

(ङ) क्या गोहाटी ताप बिजली घर के लिये आवश्यकता पड़ने पर काम आने वाली मशीन के लिये मंजूरी दे दी गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) नामरूप और गोहाटी के बीच तबादले के लिए इस समय उपलब्ध बिजली की मात्रा इतनी अधिक नहीं है कि प्रस्तावित अन्तर्सम्पर्क पर अधिक पूंजीगत व्यय किया जाए। इसलिए यह निर्णय किया गया है कि इस पारेषण सम्पर्क का निर्माण चरणों में किया जाए। प्रस्तावित सम्पर्क का प्रथम चरण, जिसमें 2.2 करोड़ रुपये की अनुमित लागत पर गोहाटी से नौगांव तक 220 के० वी० के एक पथ का निर्माण शामिल है, चालू योजनावधि में कार्यान्विति के लिए हाथ में लिया जाएगा।

(ग) और (घ) असम राज्य बिजली बोर्ड ने वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, नामश: कोयले पर आधारित मर्धरिता में ताप बिजली घर का निर्माण अथवा प्राकृतिक गैस द्वारा अनुप्राणित वर्तमान नामरूप ताप केन्द्र का विस्तार। इन प्रस्तावों के आर्थिक तथा अन्य पक्षों की केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा जांच की जा रही है।

(ङ) और (च) गोहाटी में 30 मैगावाट के ताप संयंत्र के प्रतिष्ठापन्न की स्कीम स्वीकार कर ली गई है। गोहाटी में 30 मैगावाट के एक दूसरे यूनिट के प्रतिष्ठा पन्न के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है।

पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य

6276. श्री गा० शं० मिश्र :
श्री ब० ना० भार्गव :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा फरवरी, 1966 से पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण के संबंध में अपनाई गई नीति की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या पैट्रोलियम उत्पादों का आयात करने वाली गैर-सरकारी कम्पनियां भी मूल्य निर्धारण सम्बन्धी इस नीति का पालन करती है;

(ग) इन तेल कम्पनियों को केवल आयात करने पर कितना मुनाफा मिलता है; और

(घ) क्या भारतीय तेल निगम का विचार तेल का सारा आयात स्वयं करने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) 1 फरवरी, 1966 से लागू की गई नीति में अबादन (मध्य-पूर्व) से "आयात

साम्य" (import parity) के सिद्धान्तों पर तेल कम्पनियों के संग्रह केन्द्रों पर मुख्य पैट्रोलियम पदार्थों के आधार शिखरतम विक्रय मूल्यों (besic ceiling selling prices) के निर्धारण की व्यवस्था है। भारत सरकार के संकल्प संख्या 101 (26/65–पी० पी० डी० दिनांक 1–2–66 द्वारा संशोधित अगस्त, 1965 के तेल मूल्यों के कार्यकारी दल की रिपोर्ट में इसका विवरण है। इन प्रलेखों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) जी हां।

(ग) केवल आयातित उत्पादों के लिए कोई अलग लाभ निर्धारित नहीं किया गया है। क्योंकि आयातित और देशीय उत्पादों के लिए अधिकतम विक्रय मूल्य एक ही है, अतः विक्रय मूल्य और वास्तविक आयात मूल्य तथा विपणन एवं वितरण प्रभारों के बीच का अन्तर ही आयातित उत्पादों पर लाभ-मात्रा है। विभिन्न उत्पादों के लिए ये लाभ मात्राएं प्रति विक्रय यूनिट (अर्थात् किलो लिटर/मीटरी टन) 13.40 रुपये से 28.00 रुपये तक हैं।

(घ) जी नहीं; सम्पूर्णतया नहीं। सम्भवतः कुछ आयात प्राइवेट तेल कम्पनियों द्वारा करने पड़े।

विद्युत सर्वेक्षण समिति

6277. श्री गा० शं० मिश्र : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) विद्युत सर्वेक्षण समिति ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं;

(ख) क्या सरकार ने वे सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं; और

(ग) इन्हें क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) प्रतिवेदन की एक प्रति फरवरी, 1966 में सभा-पटल पर रखी गई थी।

(ख) और (ग) प्रतिवेदन में देश में ऊर्जा के आयोजन से सम्बन्धित कई पहलुओं पर विचार किया गया है। कतिपय सिफारिशों का सम्बन्ध उन नीतियों या कार्यक्रमों से है, जो कार्यान्वित किये जा रहे हैं। कतिपय अन्य सिफारिशों को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार जो सिफारिशें बाकी रह जाती हैं, उन पर आगे और विचार करने तथा जांच करने की आवश्यकता है और इस दिशा में काम किया जा रहा है।

विद्युत प्रशुल्क सम्बन्धी वेंकटरमन समिति का प्रतिवेदन

6278. श्री गा० शं० मिश्र :
श्री ब० ना० भार्गव :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली की प्रशुल्क-दर सम्बन्धी वेंकटरमन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का मोटा ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) राज्य बिजली बोर्डों की कार्य प्रणाली सम्बन्धी समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं जिनका सम्बन्ध 'बिजली टैरिफ' के प्रश्न से है। इस समिति के संयोजक मद्रास राज्य के तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री आर० वैंकटरामन थे।

(1) सभी राज्य बिजली बोर्डों का सर्वप्रथम उद्देश्य यह होना चाहिये कि वे इतना अधिक राजस्व कमाने का लक्ष्य रखें जो प्रचालन और रख-रखाव के खर्चे, सामान्य तथा मूल्य ह्रास आरक्षित निधि के अंश-दान और ऋण पूंजी के सूद को पूरा करने के लिये हों। उन बोर्डों को जो इन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाए चाहिये कि वे तीन पांच सालों की अवधि में इस उद्देश्य की पूर्ति का लक्ष्य रखें।

(2) बोर्डों का दूसरा उद्देश्य यह होना चाहिये कि वे प्रथम उद्देश्य में बताये गए खर्चों को पूरा करने के पश्चात् कुछ राजस्व बचाने का लक्ष्य रखें और यह बचत पूंजी पर तीन प्रतिशत वास्तविक लाभ के बराबर हो। जिन बोर्डों ने प्रथम उद्देश्य को पूरा कर लिया है उनको चाहिये कि वे शीघ्र ही दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिये कार्यवाही आरम्भ कर दें और दूसरे बोर्डों का यह लक्ष्य होना चाहिये कि वे अपने प्रथम उद्देश्य को पूरा करने के पश्चात तीन से पांच वर्षों के भीतर दूसरे उद्देश्य को पूरा कर दें।

(3) बोर्डों को चाहिये कि वे बिजली की सप्लाई उन दरों पर करें जिनसे प्रचालन और रख-रखाव का खर्च, मूल्य ह्रास और सूद का खर्च निकल पाये। परन्तु जहां तक उर्जा-गहन-उद्योगों को बिजली की सप्लाई की दरों का सम्बन्ध है, समिति ने सिफारिश की है कि अनुकरणीय सिद्धान्तों के सम्बन्ध में प्रकट किये गए विविध विचार भारत सरकार के सम्मुख विचारार्थ रखे जाएं। बिजली की सप्लाई के रियायती दरों को निर्धारित करने में अपनाये जाने वाले सिद्धांतों के सम्बन्ध में प्रार्थना करने पर भारत सरकार विशेषज्ञों की सलाह उपलब्ध करे।

(ख) उपर्युक्त सुझाव संख्या (1) और (2) की जांच की गयी और उन्हें निम्न रूप से स्वीकार कर लिया गया :—

क्योंकि बिजली सम्भरण उद्योग में काफी पूंजी लगी है और इन पूंजियों पर अधिकाधिक लाभ आवश्यक है। भारत सरकार का विचार है कि समिति द्वारा सुझाए गए लाभ दरों को न्यूनतम समझ कर इनकी प्राप्ति की जाए और अधिक लाभ-प्राप्त करने के लिए हर कोशिश की जाए। यह भी आवश्यक है कि उद्योग में नई पूंजी लगाने के लिए संसाधनों को बढ़ाने की खातिर इन पूंजियों से लाभ प्राप्त किया जाए। भारत सरकार का विचार है कि समिति द्वारा

सुझाये गए उद्देश्यों की पूर्ति समिति द्वारा सुझाई गई अवधि से कम अवधि में करना सम्भव होना चाहिए और इसकी पूर्ति के लिए सभी प्रयास करने चाहिए ।

सुझाव संख्या (3) को निम्न रूप से स्वीकार किया गया :—

यह विचार है कि बोर्डों को चाहिए कि वे साधारणतः उन दरों से कम की दर पर बिजली की सप्लाई न करें जिनसे प्रचालन, रख-रखाव का खर्च, मूल्य-ह्रास और सूद का खर्च और कुछ नफा हो पाए । परन्तु जहां तक विद्युत-रासायनिक और धातु-कर्मक उद्योगों का सम्बन्ध है, लाभ सीमा को कम करके एक उचित स्तर पर लाया जाना चाहिए । फिर भी दर किसी हालत में इतनी कम नहीं होनी चाहिए जिससे प्रचालन, रख-रखाव मूल्य ह्रास और सूद के खर्च को पूरा न किया जा सके ।

(घ) उपर्युक्त फैसले सब राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजे गए हैं ।

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज तथा इरविन अस्पताल में पुनर्चेतना (होश में लाने का) केन्द्र

6279. श्री पार्थसारथी : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1966 में सरकारी घोषणा की जाने के बाद भारत-रूस सहयोग के अन्तर्गत मौलाना आजाद चिकित्सा कालेज तथा इरविन अस्पताल में एक पुनर्चेतना केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में उस काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : धनाभाव के कारण इरविन अस्पताल में पुनर्चेतना केन्द्र खोलने के प्रस्ताव को कार्य रूप नहीं दिया जा सका ।

ट्राम्बे उर्वरक कारखाने को क्षति

6280. श्री जार्ज फरनेन्डीज : **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये : **श्री राम सेवक यादव :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 29 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4050 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों द्वारा हाल में की गई बारह दिन की हड़ताल के दौरान ट्राम्बे उर्वरक कारखाने के संयंत्र अथवा मशीनों को चलाने से उन्हें कोई क्षति पहुंची है; और

(ख) यदि हां, तो कौन सी मशीनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनकी मरम्मत पर लगभग कितना खर्च आयेगा और यह क्षति किस कारण पहुंची है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) कथित अवधि के दौरान कुछ क्षति हुई है ।

(ख) स्क्रीयू कनवेयरज़ (Screw Conveyors) के हिस्सों तथा साइक्लोन सैपरेटर (Cyclone Separator) के भागों एवं इसके संरचनात्मक स्तूनों को क्षति पहुँची । मरम्मत की लगभग लागत 39,000 हजार रुपये है । साइकलोन सैपरेटर में चट्टान फास्फेट स्तर को बताने के लिए सुरक्षा बिगुल में खराबी ही क्षति का कारण थी ।

इन्जीनियर

6281. श्री क० कु० नायर : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1966 को भारत में सभी वर्गों के कितने भारतीय इन्जीनियर काम कर रहे थे;

(ख) 31 दिसम्बर, 1966 को भारत में कितने भारतीय इन्जीनियर बेरोजगार थे;

(ग) 1967 में सभी वर्गों के कितने भारतीय इन्जीनियरों के उत्तीर्ण होने की आशा है;

(घ) 1967 में जिन इन्जीनियरों के उत्तीर्ण होने की संभावना है, उनमें से कितने प्रतिशत इन्जीनियरों को 31 दिसम्बर, 1967 तक भारत में रोजगार मिल जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या वर्तमान स्थिति में जिन इन्जीनियरों के बेरोजगार रहने की संभावना है, उनके लिये सरकार उपयुक्त रोजगार की व्यवस्था करेगी ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) 31 दिसम्बर, 1960 को कितने इन्जीनियरों को रोजगार मिल गया था, इस बारे में अभी आंकड़े एकत्रित नहीं किये गये हैं । 30 दिसम्बर, 1963 को जिन निजी क्षेत्र स्थापनाओं में 25 व्यक्तियों से अधिक आदमी काम कर रहे थे उनमें 34,082 इन्जीनियर काम कर रहे थे । 30 सितम्बर 1964 को सरकारी क्षेत्र में 1,22,247 इन्जीनियर काम कर रहे थे ।

(ख) दिनांक 31–12–66 को रोजगार कार्यालय के रिक्ति रजिस्टर पर इन्जीनियरिंग स्नातकों (स्नातकोत्तर सहित) की संख्या 4,335 थी । जहां तक इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा धारियों का सम्बन्ध है, तदर्थ आधार पर इन्जीनियरिंग के छः मुख्य विभागों के सम्बन्ध में जो सूचना एकत्रित की गई थी उसके अनुसार 30–6–1966 को रोजगार कार्यालय के रिक्ति रजिस्टर पर 14,614 डिप्लोमा धारियों के नाम थे । सभी बेरोजगार इन्जीनियर रोजगार कार्यालयों से सहायता प्राप्त नहीं करते, अतः जो व्यक्ति रजिस्टर किये गये हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो रोजगार पर हैं, लेकिन अच्छा रोजगार प्राप्त करना चाहते है । रिक्ति रजिस्टर के आंकड़े रोजगार स्थिति के केवल मोटे लक्षण प्रस्तुत करते हैं ।

(ग) 1967 के दौरान 14,740 स्नातकों और 21,560 डिप्लोमा धारियों के उत्तीर्ण होने की सम्भावना है ।

(घ) 31 दिसम्बर, 1967 तक 1967 में उत्तीर्ण हुए इन्जीनियरों में से कितनों को रोजगार प्राप्त हो जायेगा, इस बात का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

(ङ) योजना के अन्तर्गत विकास के प्रयत्नों को गति प्राप्त होने तथा अर्थ-व्यवस्था उच्चतर दर से विकसित होने के कारण उपलब्ध रोजगारों को अधिक अवसरों से बेरोजगारी की मात्रा काफी हद तक कम होनी चाहिए।

अनुसूचित बैंकों के पूर्णकालिक अध्यक्ष

6282. श्री हरदयाल देवगुण :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री श्रीधरन :
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री मधु लिमये :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी अनुसूचित बैंकों के लिये एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में बैंकों की प्रतिक्रिया क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) बैंकों के सामाजिक नियन्त्रण के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। अभी कोई विशेष निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में सुरम्य उद्यान

6283. श्री हरदयाल देवगुण : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में जापानी नमूने का एक सुरम्य उद्यान लगाने की योजना बनाई गई है;

(ख) क्या इस परियोजना पर पांच करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान कठिन आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस अनुत्पादी व्यय को रोकने पर विचार करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस परियोजना पर कुल कितना व्यय होगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) एक बड़ा आधुनिक उद्यान, जैसा कि दिल्ली की मास्टर प्लान में सिफारिश की गई है, चाणक्यपुरी में अशोक होटल के निकट विनय मार्ग, सत्य मार्ग, नीति मार्ग तथा पंचशील मार्ग से घिरे हुए भूमि के 65 एकड़ के टुकड़े पर बनाने का विचार है। इस उद्यान का नाम स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू के नाम पर रखा जायेगा। यह काम नई दिल्ली नगरपालिका समिति द्वारा पूरा या जायेगा।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) 22.50 लाख रुपये ।

Action Against Persons With Large Family.

6284. Shari Ram Gopal Shalwale :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Y.S. Kushwah :
Shri Parkash Vir Shastri :
Shri Atam Das :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some State Governments have declared that persons having more than four children would be penalised ;

(b) if so, whether this has been done as per orders of the Central Government ; and

(c) the nature of penalty proposed to be imposed and the details thereof ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) No.

(b) and (c) Do not arise.

Steel Furniture in Planning Commission

6285. Shri Ram Charan :
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4077 on the 29th June, 1967 and state :

(a) the number of employees for meeting whose requirements steel furniture worth Rs.93,756.15 was purchased in 1965-66 and 1966-67 and the dates of their appointments;

(b) whether the old wooden furniture was declared as unserviceable after bringing into use the new steel furniture :

(c) if so, whether that was auctioned: and

(d) if so, the amount realised by Government thereby ?

The Minister of Planning, Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : (a) The number of staff members for whom the steel furniture was purchased in 1965-66 and 1966-67 was 142 out of which 117 were actually appointed on various dates from 22.4.1965 to 1.3.1967. The amount spent is inclusive of a sum of Rs. 24,499 which was expended on providing additional steel racks for augmenting the library and record room facilities during these two years.

(b) Since the steel furniture was purchased mainly to meet the requirements of additional staff during 1965-66 and 1966-67 and not in replacement of old wooden furniture as unserviceable does not arise.

(c) and (d) Do not arise.

फाल्टन में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सुविधायें

6286. श्री एस० एम० जोसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों के लगभग 15 परिवार फाल्टन शूगर वर्क्स, फाल्टन (महाराष्ट्र) के अहाते में एक ही भवन में रह रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत् बोर्ड ने इस भवन के आस-पास लगभग सभी को बिजली दे दी है परन्तु इस भवन में बिजली नहीं दी गई है;

(ग) क्या यह सच है कि इस भवन का किराया केन्द्रीय सरकार के पास जमा किया जाता है और इस भवन के लिये वार्षिक व्यय अनुदान भी मंजूर किया जाता है परन्तु गत दस वर्षों से इस भवन में कोई बड़ी मरम्मत नहीं हुई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि कलक्टर को अनेक अभ्यावेदन दिये गये हैं परन्तु इस भवन में बिजली देने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ङ) इस भवन के निवासियों के लिये बिजली की व्यवस्था करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) स्थानीय चीनी कारखाने में तैनात केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग का केवल एक कर्मचारी भूतपूर्व फाल्टन स्टेट के एक्साइज पुलिस लाइन के छोटे छोटे दस क्वार्टरों में से एक में अपने परिवार के साथ रहता है। यह एक्साइज पुलिस लाइन केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग द्वारा अप्रैल, 1951 में अपने कब्जे में ली गयी थी। अन्य नौ क्वार्टरों में राज्य सरकार के कर्मचारी तथा स्थानीय स्कूल के अध्यापक रहते हैं क्योंकि ये क्वार्टर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग के लिए जरूरत से ज्यादा हैं।

(ख) सरकार को यह पता नहीं है कि इस क्वार्टर लाइन के अड़ौस-पड़ौस में रहने वाले लगभग प्रत्येक व्यक्ति को बिजली का कनेक्शन मिल चुका है, जबकि इस क्वार्टर लाइन में बिजली का कनेक्शन नहीं है।

(ग) प्रत्येक क्वार्टर के लिए नियत किराया वसूल किया जा रहा है। बड़ी मरम्मतों के लिए अलग से कोई अनुदान मंजूर नहीं किया गया है।

(घ) किरायेदारों ने 1962 में अभ्यावेदन किया था कि किराये की 19.50 रूपये प्रति मास की दर ज्यादा ऊंची है, क्योंकि इन क्वार्टरों में आवश्यक सुविधाएं भी नहीं हैं। इस अभ्यावेदन पर विचार करके किराया घटाकर 12 रुपये प्रतिमास कर दिया गया है। और कोई अभ्यावेदन नहीं आए हैं।

(ङ) बिजली लगाने की बात केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के साथ चल रही है।

अधिकारियों का सरकारी उपक्रमों को छोड़ कर गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में चला जाना

6287. श्री एस. एम. जोशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अधिक वेतन आदि मिलने के कारण सरकारी उपक्रम छोड़कर योग्य कर्मचारियों के गैर–सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में चले जाने के बारे में भारतीय सरकारी उपक्रम संस्था द्वारा किये गये सर्वेक्षण के प्रतिवेदन में दिये गये निष्कर्ष की जानकारी सरकार को है;

(ख) सरकारी उपक्रमों में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने तथा वर्तमान कर्मचारियों को निरन्तर सेवा में कायम रखने के हेतु अधिक प्रोत्साहन देने के लिये क्या उपाय करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) क्या नये निर्णय केवल उच्च अधिकारियों पर ही लागू होंगे अथवा प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सभी अधिकारियों पर भी लागू होंगे, जो तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते को ध्यान में रखते हुए तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन और कम सुविधायें पाते हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। सार्वजनिक प्रशासन की भारतीय संस्था ने सरकार के कहने पर 1962 में 'तकनीकी व्यक्तियों का (सरकारी उपक्रमों को) छोड़ कर जाना तथा सरकारी उपक्रमों पर प्रभाव डालने वाली अन्य समस्याओं'' का अध्ययन किया था।

(ख) और (ग) सरकारी उपक्रमों में प्रबन्ध सम्बन्धी उच्च पदों के लिये उपयुक्त व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिये विशेष प्रोत्साहन देने के लिये लोक सेवाओं में वेतन-ढांचे के मामले में सरकारी नीति की परिधि के अन्तर्गत रहते हुये आदर्श वेतन-मान नियत कर दिये गये हैं। कुछ सरकारी उपक्रमों में छोड़ कर चले जाने की समस्या को, जिस सीमा तक आवश्यक समझा जाता है उस सीमा तक ऐसे अन्य तरीकों से भी हल करना होता है, जैसे प्रबन्धक सम्बन्धी उच्च पदों पर पहुंचने के लिये अवसर-निर्माण, कार्यकारीक्षमता के विकास के लिये प्रशिक्षण सम्बन्धी योजनाओं की व्यवस्था, सेवानिवृत्ति सम्बन्धी लाभ इत्यादि। इस समस्या के इन पहलुओं तथा अन्य पहलुओं की ओर सरकार का ध्यान बराबर लगा हुआ है।

सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लांट, मद्रास

6288. **श्री पार्थसारथी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लांट द्वारा सर्जरी के औजार बनाने के अतिरिक्त अपनी क्षमता का कुछ भाग इंजीनियरिंग कार्यों के लिये इस्तेमाल करने के लिये योजनाएं बनाई गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : क) से (ग) :जी हां। संयन्त्र को उसकी पूर्ण क्षमता पर चालू रखने के लिये देश

में शल्य औजारों की वर्तमान मांग अपर्याप्त है । जब तक मांगों में वृधि नहीं होती ; तब तक कम्पनी अपने मैमोरेण्डम एंत्र आर्टीकल्स आफ एस्सोसियेशन के अन्तर्गत शल्य औजारों के अतिरिक्त दूसरे उत्पादों के कार्य-आदेशों को पूरा करने के लिए संयन्त्र की फालतू क्षमता का इस्तेमाल करेगी ।

सर्जिकल इस्ट्रूमेंट्स प्लांट, मद्रास

6289. श्री पार्थसारथी : क्या पैट्रोलियम श्रौर रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास-स्थित सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लांट में थोड़ी सी और पूंजी लगाकर उसे एक छोटी कार परियोजना के रूप में बदला जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम श्रौर रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Legalisation of Abortion

6290. Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have consulted the medical experts and social reformers in regard to their proposal for the legalisation of abortion : and

(b) if so, what are their views in general and the reaction of Government thereto?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) and (b) The question of legalisation of law on abortion was referred to a Commitee set up under the Chairmanship of Shri Shantilal Shah, Former Minister of Public Health, Law and Judiciary, Maharashtra. The terms of reference of the Committee were to examine the question in all its aspects i.e. medical, social, legal and moral and to make recommendations. This Committee issued questionnaire to various people including medical experts and social reformers After due consideration of the views expressed before the Committee, it has submitted its report which has already been laid on the Table of the Sabha on the 21 June, 1967. Views of the State Governments on the recommendations made by the Committee have been invited. On receipt of their views further action will be decided.

घागरा नदी की सिंचाई श्रौर विद्युत् क्षमता

6291. श्री राम सेवक यादव : क्या सिंचाई श्रौर विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में घाघरा नदी की सिंचाई और विद्युत् सम्बन्धी क्षमता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस नदी की क्षमता का उपयोग करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (च) उत्तर प्रदेश में घागरा (सरजू) नदी पर एक बराज तथा उसके बाएं तट पर बेहरेच, गोंडा तथा अन्य पूर्वी जिलों की कृषि के लिए नहरों के निर्माण की एक परियोजना उत्तर प्रदेश की तृतीय योजना में सम्मिलित की गई थी। किन्तु राज्य सरकार इस परियोजना की तीसरी योजना में आरम्भ नहीं कर सकी। और तकनीकी जांच करने पर घागरा नदी की ऊपरी पहुचों में एक बराज और दायें तट पर 9000 क्यूसक वाली एक फीडर नहर और बांये किनारे पर 6000 क्यूसक की एक नहर का निर्माण करना संभव पाया गया है, जिस से बहरेच गोंडा, बस्ती और घागरा के उत्तर में पड़ने वाले अन्य जिलों में सिंचाई व्यवस्था होगी। राज्य सरकार से कहा गया है कि वे इस स्कीम का पूर्ण अनुसंधान शीघ्र ही आरम्भ कर दें और एक याथार्थिक परियोजना तैयार करें। दाएं तट की फीडर नहर जार्डा नहर प्रणाली का अनुपूरण करेगी और इससे गंगा-घागरा दोआब में और सिंचाई सुविधाएं मिलेंगी।

भूमिगत जल का पीने के पानी के रूप में उपयोग

6292. श्री प्र० के० देव :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री प्र० दीपा :
श्री म० माफी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिये उत्तर प्रदेश में लोनी-बागपत क्षेत्र में भूमिगत जल निकालने के हेतु दिल्ली के योजनाबद्ध विकास के उच्च शक्ति–प्राप्त बोर्ड ने एक योजना को अन्तिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग देश के अन्य भागों में भूमिगत जल निकालने की योजनायें तैयार कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इन योजनाओं को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री. चन्द्र शेखर) : (क) और (ख) जी नहीं। दिल्ली प्रशासन के योजना और विकास सेल (जल पूर्ति) ने पूर्वी यमुना नहर और यमुना नदी के मध्य बागपत की ओर लोनी के उत्तर में लगभग 80 वर्ग मील के एक क्षेत्र में करीब 80 नलकूप खोदने की व्यावहारिकता जानने की एक योजना तैयार की है। भारत के भू-सर्वेक्षण विभाग को इस क्षेत्र में खोज संबन्धी कार्य शुरू करने के लिए कह दिया गया है।

(ग) और (घ) देश के सभी भागों में भूमिगत पानी की खोज भारत का भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा ली जा रही है। यह निरन्तर चलने वाला कार्य है अतः इसकी पूर्ति के लिए कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

विश्व बैंक द्वारा भारतीय अर्थ व्यवस्था की समीक्षा

6293. **श्री मरण्डी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व बैंक द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीनतम समीक्षा की ओर दिलाया गया है जिसमें 15 वर्ष की आयोजन अवधि में उत्पादन में वृद्धि पर असंतोष प्रकट किया गया है, जो प्रति वर्ष केवल तीन से चार प्रतिशत थी :

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है : और

(ग) उनके प्रतिवेदन में अन्य क्या सुझाव किये गये हैं ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : यह ठीक है कि 1950-51 और 1964-65 के बीच भारत की शुद्ध राष्ट्रीय आय में, 1960-61 के मूल्यों के आधार पर, 3.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि दर से वृद्धि हुई है। यह बात चौथी पंचवर्षीय आयोजना के मसौदे की रूपरेखा के अध्याय 1 के पैराग्राफ 19 में बतायी गयी है। यह बात उन सब लोगों के लिए निराशाजनक है जिन्हें यह आशा और इच्छा थी कि वृद्धि का औसत इससे अधिक हो। इस स्थिति के मुख्य कारण और उसका विश्लेषण आयोजना के मसौदे में दिया गया है और उसमें बताया गया है कि उत्पादन में विशेष वृद्धि कहां हुई है। इस प्रकार, सरकार को तीनों आयोजनाओं की अवधियों में हुए विकास के निराशाजनक और उत्साहजनक दोनों पहलुओं की जानकारी है।

जहां तक इस प्रश्न में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के बारे में दिये गये हवाले का सम्बन्ध है, अगर यह हवाला विश्व बैंक के एक दल द्वारा बैंक के अध्यक्ष को पेश की गयी रिपोर्ट के बारे में है, तो इसी विषय के सम्बन्ध में पहले पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में इस सभा में यह बताया जा चुका है कि यह रिपोर्ट भारत सरकार को नहीं दी गयी थी और चूंकि यह रिपोर्ट विश्व बैंक का एक गोपनीय दस्तावेज है, इसलिए इस की विषय-वस्तु से सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड, अल्वाय

6295. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री नायनार :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में अल्वाय स्थित फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड पुलिस द्वारा पूर्ववृत और चरित्र के सत्यापन के बहाने से लोगों को रोजगार पर नहीं लगा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो 1964–65, 1965–66 और 1966–67 में कितने व्यक्तियों को रोजगार देने से इन्कार किया गया ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कुडम्बी समाजम को अनुसूचित जातियों में शामिल करना

6297. श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री नायनार :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुडम्बी जाति के लोगों को भी अनुसूचित जातियों में यदि शामिल करने के बारे में केरल के कुडम्बी समाजम से प्रधान मंत्री को जब वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भाग लेने के लिये एर्णाकुलम (केरल) गई थी; एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) केरल में कुडम्बी जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री को कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों को दोहराने का समूचा प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

त्रिपुनीथुरा (केरल) में एक चिकित्सा कालेज खोलना

6298. श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री नायनार :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में त्रिपुनीथुरा में केन्द्रीय सहायता से एक चिकित्सा कालेज खोलने का विचार है;

(ख) क्या इस कार्य के लिये कोचीन की राजकुमारों की संस्था ने त्रिपुनीथुरा स्थित कनककुन्नू महल देने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री. चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना समिति द्वारा निर्धारित सिद्धान्त के अनुसार केरल में मेडिकल कालेजों की संख्या समुचित है। इसलिये राज्य सरकार चौथी योजना में कोई नया मेडिकल कालेज खोलने का विचार नहीं रखती।

मैसूर में सिचाई परियोजनाओं के लिये वित्तीय व्यवस्था

6299. **श्री सं० व० पाटिल :** क्या सिचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली सभी सिंचाई परियोजनाओं के लिये केन्द्र द्वारा धन दिया जाना चाहिये;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) मामला विचाराधीन है।

मैसूर में उपरि कृष्णा तथा मालप्रभा परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक से सहायता

6300. **श्री से० व० पाटिल :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार मैसूर में उपरि कृष्णा सिंचाई परियोजना तथा मालप्रभा सिंचाई परियोजना के दूसरे चरण के लिये अपेक्षित 120 करोड़ रुपये की सहायता विश्व बैंक से लेने की संभावनाओं के बारे में पता लगा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैसूर में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक द्वारा ऋण

6301. **श्री क० लकप्पा :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार के परामर्श से मैसूर राज्य की कुछ बड़ी सिंचाई योजनाओं की कार्यान्विति के लिये विश्व बैंक से ऋण देने के बारे में बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिये ऋण मांगा गया है और उनके कब तक पूरा होने की आशा है ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Kharwar Community in Bhagalpur (Bihar)

6302. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Ramavtar Shastri :

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the population of Kharwar Community in Bhagalpur and Purnea districts of Bihar and the names of particular places where they live;

(b) whether these people have settled in other States also and if so, the names thereof and the number of such persons; and

(c) whether it is also a fact that Government propose to remove the said community from the list of Scheduled Castes ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Smt. Phulrenu Guha) : (a) Population of Kharwar community according to the 1961 Census :-

Bhagalpur	–	12,693	Purnea	–	5,740

They are found in all the districts of Bihar except Saran, Muzeaffarpur and Darbhanga.

(b) Yes. People of this community have settled in Orissa, Uttar Pradesh and West Bengal.

Population according to 1961 Census :-

Orissa	–	717	West Bengal	–	1,142

Uttar Pradesh (as Kharwar excluding Benbanshi) 30,366

(c) The whole question of revision of lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is stilt under consideration.

भारतीय फिल्म उद्योग में लेखा–बाह्य धन

6304. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय फिल्म उद्योग में बहुत सा लेखा बाह्य धन लगाया जाता है; और

(ख) यदि हां तो इस धन का पता लगाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) खयाल है कि भारतीय फिल्म उद्योग में कुछ लेखा–बाह्य धन चालित हो रहा है ।

(ख) लेखा–बाह्य धन को बाहर निकालने के लिये कानून के अन्तर्गत उपलब्ध जो उपाय हैं वे किये जा रहे हैं । इनमें तलाशियां लेना भी शामिल है ।

विश्व बैंक का दल

6305. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक का एक दल भारत में है;

(ख) यदि हां, तो इसके आगमन का क्या उद्देश्य है; और

(ग) सरकार इस दल की किस रूप में सहायता कर रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) विश्व बैंक ऋण लेने वाले मुख्य सदस्य-देशों के आर्थिक विकास से निकट सम्पर्क बनाये रखता है । यह सम्पर्क सम्बद्ध सरकारों द्वारा दी जानेवाली सूचना, बैंक के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले सम्बद्ध देश के दौरों और उस सरकार के प्रतिनिधियों से किये जानेवाले परामर्श और विचार विनिमय के द्वारा स्थापित किया जाता है । चूंकि विश्व बैंक भारत सहायता संघ का संयोजक भी है, इसलिए इस बात का और भी अधिक महत्व हैं कि उसके पास ताजी से ताजी आर्थिक सूचना रहे । इस समय जो दल भारत आया हुआ है उसकी यात्रा का यही उद्देश्य है ।

(ग) सामान्यतः आर्थिक विकास से सम्बन्ध रखने वाले विषयों और मांगी गई आवश्यक सहायता के औचित्य के बारे में सरकार और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होती है और सम्बद्ध सूचना विश्व बैंक को दी जाती है ।

गंडक परियोजना को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

6306. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गंडक परियोजना को अपने हाथ में ले लिये जाने के प्रस्ताव को क्रियान्वित करने पर, जिस पर विचार किया जा रहा है, केन्द्रीय सरकार को कितनी राशि खर्च करनी पड़ेगी; और

(ख) इस परियोजना को सर ार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने से क्या लाभ होने की आशा है ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) विचाराधीन प्रस्तावित हस्तान्तरण का तात्पर्य यह नहीं है कि केन्द्र इस परियोजना के वास्तविक निर्माण को अपने हाथ में ले लेगा, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि परियोजना पर धन राज्य की योजना में प्रबन्धित राशियों से पृथक संसाधानों में से किया जाएगा ।

(ख) इस परियोजना से शीघ्र ही लाभ प्राप्ति की संभावना है ।

चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में राज्यों के आय व्ययक में प्रत्याशित घाटा

6307. श्री म० ला० सोंधी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना की समूची अवधि में राज्यों के आय व्ययकों में होने वाले कुल घाटे का कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को पहले जितनी सहायता देने के लिये सहमत थी, क्या उससे अधिक सहायता देने का, विशेषतया चौथी योजनावधि की योजनाओं के लिये, वित्त की व्यवस्था करने हेतु, सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को अपनी वित्तीय आवश्यकतायें पूरी करने के लिये कर लगाने के सम्बन्ध में प्रयत्न करने के लिये प्रेरित करने का है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) चौथी योजना की सारी अवधि में राज्यों के बजटों में यदि कोई घाटा रहा तो उसका आकार राज्य सरकारों द्वारा वर्ष प्रति वर्ष किये जाने वाले विभिन्न निर्णयों पर निर्भर करेगा । चूंकि अभी तक राज्य सरकारों द्वारा चौथी योजना की अवधि के पहले दो वर्षों के ही बजट पेश किये गये हैं, इसलिए चौथी योजना की सारी अवधि का अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Policies Issued by L. I C.

6308. Shri Ramavtar Shastri :
Shri K. M. Madhukar :
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the total number of policies issued by the Life Insurance Corporation during the last ten years i. e., after its nationalisation;

(b) the total amount of income earned by the Life Insurance Corporation from life insurance during the above period;

(c) the number of life insurance polices which lapsed after three months, six months and one year separately and the loss sustained by Government thereby; and

(d) the other causes of loss and the measures that Government are contemplating to adopt to remedy them ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The total number of new policies issued by the Corporation during the period 1.9.1956 to 31st March 1966 is 122 lakhs.

(b) The total net income during the above period is Rs. 1356.85 crores.

(c) The information in the desired form is not available and its compilation would involve considerable time and labour which will not be commensurate with the results sought to be achieved. The reports and accounts of the Corporation which are laid on the Table of the House every year under provisions of Section 29 of the L. I. C. Act, 1956 contain statistical information on lapses.

Taking an overall view, lapses do not cause a loss to the Corporation.

(d) No other causes of loss requiring remedial action have come to the notice of Government.

दवाइयों तथा शिशु–आहार (बेबी फूड) का आयात

6309. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ दवाइयां तथा शिशु-आहार अभी भी बाहर से मंगाये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत किन-किन मुख्य मदों के लिये अब भी आयात पर निर्भर करता है;

(ग) क्या इनमें होम्योपैथी की दवाइयां भी शामिल है; और

(घ) 1961–62 से अब तक प्रति वर्ष कितने मूल्य का आयात किया गया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री. चन्द्रशेखर) : (क) औषधियों के निर्माण के लिए दवाइयां बनाने के बीच में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं सहित अधिकांश औषधें तथा कच्ची सामग्री अभी भी आयात की जाती है। बेबी फूड तैयार करने के लिए भी कच्ची सामग्री आयात की जाती है। किन्तु बेबी-फूड जैसी कोई वस्तु आयात नहीं की जाती है।

(ख) गत वर्ष एक साथ आयात की गई प्रमुख औषधियों का ब्यौरा इस प्रकार है :

1. पैनीसिलिन
2. टेरासाइलिन
3. क्लोरमफेनिकोल
4. स्ट्रैपटोमाइसिन
5. सल्फा ड्रग्स

6. विटामिन

7. क्लोरोक्विन

8. ग्लूकोस (एनहाड्रोस)

(ग) होम्योपैथिक औषधियां भी आयात की जाती हैं।

(घ) निर्माण के बीच में खपने वाली वस्तुयें तथा कच्ची सामग्री सहित औषधियां वार्षिक आयात की जाती हैं उनका मूल्य इस प्रकार है --

1961-62	14.53 करोड़ रुपये
1962-63	13.71 करोड़ रुपये
1963-64	13.17 करोड़ रुपये
1964-65	13.11 करोड़ रुपये
1965-66	14.41 करोड़ रुपये
1966-67	20.98 करोड़ रुपये

बरौनी तेल शोधन कारखाना

6311. श्री न० कु० साल्वे : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी तेल शोधक कारखाने के यांत्रिक कार्यो के लिये मैसर्स ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी को 1500 रुपये प्रति टन की कथित दर पर ठेका दिया गया, जबकि अन्य स्थानों पर ऐसे ही कार्यो की दर लगभग 400 रुपये बताई जाती है;

(ख) क्या उक्त ठेकेदारों द्वारा कार्य पूरा करने में अत्याधिक विलम्ब किये जाने पर तेल शोधक कारखाने के अधिकारियों ने उन पर कोई दण्ड नहीं लगाया; और

(ग) क्या उक्त ठेकेदारों को पहले ही दिये जा चुके बताये गये छः करोड़ रुपये के अतिरिक्त अब उन्होंने और कई करोड़ रुपये का दावा किया है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) बरौनी तेल शोधक कारखाने के यांत्रिक इंजीनियरी कार्यों का ठेका मैसर्स ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को दिया गया था। कार्यों की विभिन्न मदों तथा किस्मों के कारण दर प्रति टन के आधार पर नहीं बताये गये थे। तो भी, कुछ मदों का टन भार पर आधारित अधिकतम दर 1250 रुपये प्रति टन था। सरकार को मालूम नहीं है कि अन्य स्थानों में ऐसे कार्यों को कराने का सामान्य दर 400 रुपये है।

(ख) ठेके की एक दण्ड धारा के अन्तर्गत ठेकेदार को कार्य पूरा करने में अत्याधिक विलम्ब करने में जुर्माना देना पड़ता है। इसके लागू करने का प्रश्न भारतीय तेल निगम के विचाराधीन है।

(ग ठेकेदारों ने विभिन्न दावे प्रस्तुत किये हैं और वे इस समय मध्यस्थ निर्णयाधीन हैं। ठेकेदारों को अब तक 4,73,65,055 रुपये की कुल अदायगी की गई।

रूबी जनरल इन्शोरेंस कम्पनी

6312. श्री कामेश्वर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूबी जनरल इंश्योरें कम्पनी के एक अंशधारी ने कम्पनी पर मुकदमा चलाने के लिये सरकार से अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने समूचे मामले की जांच की है अथवा करने का आदेश दिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां। लेकिन उसे यह बता दिया गया था कि किसी बीमा कम्पनी अथवा उसके अधिकारियों के विरुद्ध बीमा अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाने के पहले केन्द्रीय सरकार अथवा बीमा नियंत्रक की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ख) जहां तक कम्पनी के विरुद्ध आरोपों का सम्बन्ध है, इन पर विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करके पहले ही विचार किया जा चुका है और अतिरिक्त महान्यायाभिकर्ता की सलाह पर यह निर्णय किया गया था कि आगे और जांच पड़ताल करने में कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए बीमा कम्पनी के विरुद्ध आगे कार्यवाही बन्द कर दी गयी।

मद्रास में सोने का तस्कर व्यापार

6313. **श्री जेना :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोने के अन्तर्राष्ट्र तस्करों के एक गिरोह की एक सुसंगठित गुप्त शाखा मद्रास राज्य में सक्रिय है;

(ख) यदि हां, तो उस गिरोह से जनवरी, 1967 से कितना निषिद्ध सोना पकड़ा गया; और

(ग) इस गिरोह को समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा मद्रास राज्य में 1-1-1967 से लेकर 15-7-1967 तक पकड़े गये सोने की कुल मात्रा लगभग 383 किलोग्राम है। इस मात्रा में निम्नलिखित बड़े बड़े मामलों में पकड़ा गया सोना शामिल है :--

पकड़े जाने की तारीख	पकड़े गये सोने की मात्रा (किलोग्राम)
6–1–1967	116.64
3–3–1967	58.37
27–5–1967	11.66
4–6–1967	81.52
14–6–1967	14.66
8–7–1967	81.62

इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता कि चोरी छिपे माल लाने की इन कोशिशों के लिये कोई एक ही गिरोह जिम्मेदार है । इसके अतिरिक्त इन मामलों के पकड़े जाने के बाद की गयी जांच-पड़ताल से भी मद्रास राज्य में सोने के तस्कर व्यापारियों के किसी अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह के वर्तमान होने तथा सक्रिय होने का पता नहीं चला है ।

राजस्थान को वित्तीय सहायता

6314. श्री भोला नाथ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य को विकास कार्यों के लिये प्रतिवर्ष कुल कितनी राशि के ऋण अनुदान तथा राजसहायता दिये जाते हैं;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने गत पाच वर्षों में विकास कार्यों के लिये उस राज्य को दी गई वित्तीय सहायता का पूरा उपयोग किया था;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार के विकास कार्यों तथा काम की प्रगति से संतुष्ट है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार राजस्थान के पिछड़े पन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को विकास कार्य के लिये और अधिक धन देने का है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1132/67]

(ख) और (ग) 1965-66 तथा 1966-67 के वास्तविक व्यय के आंकड़ों की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है । इनसे पहले के वर्षों के लिए राज्य सरकार को दी गयी सहायता का उपयोग योजना में सम्मिलित ऐसे अनुमोदित कार्यक्रमों पर किया गया था जैसे कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम, समुदाय विकास तथा सहयोग, सिंचाई, बिजली, परिवहन तथा संचार, उद्योग, सामाजिक सेवाएं तथा अन्य विविध मदें ।

(घ) विकास का एकन्दर कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श करके तैयार किया जाता है । जहां तक इन कार्यक्रमों को पूरा करने का प्रश्न है, वर्ष प्रतिवर्ष होने वाली वार्षिक चर्चाओं से स्पष्ट है कि विकास सामान्यतः सही मार्ग पर हो रहा है ।

(ङ) केन्द्रीय सहायता की रकम निश्चित करते समय विकास के स्तर पर ध्यान दिया जाता है ।

इसलिए अधिक रकमें निर्धारित करने का सवाल नहीं उठता ।

प्रगति के आधार पर विदेशी सहायता

6315. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक तथा एड इण्डिया कंसोर्शियम के सदस्य देशों ने भारत को भविष्य में कार्य की प्रगति के आधार पर सहायता देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इससे हमारे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम और अनाज के आयात पर कहां तक प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) इस अन्तर को पूरा करने के लिये सरकार किन उपायों का विचार कर रही है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) न तो विश्व बैंक ने और न भारत सहायता संघ ने भारत सरकार को ऐसी कोई सूचना दी हैं जिस भविष्य में भारत को, पूरे किये गये काम के आधार पर, सहायता देने के सम्बन्ध में किसी नयी कसौटी की बात कही गयी हो । फिर भी, और सहायता का दिया जाना हमेशा इस बात के मूल्यांकन से प्रभावित होता है कि पहले दी गई आर्थिक सहायता जिस काम के लिए दी गयी थी वह पूरा हुआ है या नहीं । वास्तव में, भारत ऐसे देशों और अभिकरणों से सहायता पाता रहा है जिन्होंने समय-समय पर इस प्रकार का मूल्यांकन किया है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

तन्दूरी भोजन

6316. **श्री शिव चण्डिका प्रसाद :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 2 जुलाई, 1967 के "हिन्दुस्तान" साप्ताहिक में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि कैन्सर विशेषज्ञ तथा नेशनल ट्यूमर इंस्टीट्यूट, मिलान के अध्यक्ष डा० कार्लो सिटोरी की यह राय है कि तन्दूरी चपातियों, तन्दूरी मुर्गों तथा सींख कबाब खाने से केन्सर रोग पैदा होता हे; और

(ख) यदि हां, तो क्या तन्दूरी भोजन का प्रयोग बन्द करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री. चन्द्रशेखर) : (क) जी हां । तन्दूरी चपाती, मुर्ग तथा सींख कबाब खाने का कैंसर से सम्बन्ध अभी तक परीक्षण द्वारा

स्थापित नहीं हो सका है। इंगलिश मेडिकल जर्नलों में ऐसा कोई सन्दर्भ नहीं है और जहां ज्ञात है भारत में कोई प्रयोगशाला इस विषय में कार्य नहीं कर रही है। महामारी विज्ञान के अनुसार ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे पता चले कि ऐसे आहार से कैंसर हो जाता है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश की घटनाओं के बारे में

RE: DEVELOPMENTS IN MADHYA PRADESH

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस सदन के दो माननीय सदस्यों ने सूचना दी है कि उनकी इच्छा मध्य प्रदेश की घटनाओं के बारे में चर्चा उठाने की है। यह एक संवैधानिक मामला है। यदि संविधान के अनुसार इस पर चर्चा की जा सके तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं इस समय इसका निर्णय नहीं कर सकता कि क्या संसद राज्य विधान सभा से सम्बन्धित किसी मामले पर, अथवा इस बात पर कि क्या विधान मण्डल का सत्रावसान संविधान के अनुसार है अथवा नहीं, विचार कर सकती है। इसलिए, मैं अभी इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं श्री मधु लिमये तथा उनके साथियों से निवेदन करता हूं कि वह मुझे उसके कानूनी पहलू के बारे में बतायें। मैं चर्चा रोकना तो नहीं चाहता परन्तु इसके साथ ही यह भी निश्चित होना चाहिये कि क्या हम इस पर चर्चा करने के लिये सक्षम हैं। यदि अन्त में यह निर्णय लिया जाये कि संसद इस विषय पर चर्चा कर सकती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं सायंकाल को इस पर चर्चा की अनुमति देने के लिये तैयार हूँ।

श्री रंगा : (श्री काकुलम) : मेरा आपसे निवेदन है कि आप माननीय गृह-कार्य मंत्री को दिन में किसी समय इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिये कहें।

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : Sir, my submission is that you should not allow a discussion on this matter only on the basis of newspaper reports.

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : हमें अभी तक सरकारी तौर पर कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। मैं निश्चय ही गृह-कार्य मंत्री से कहूंगी कि वह सूचना प्राप्त करें।

एक माननीय सदस्य : कब।

अध्यक्ष महोदय : कृपया गृह-कार्य मंत्री बतायें कि वह कब तक जानकारी प्राप्त करके सभा से बतायेंगे।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : हमें राज्यपाल से सम्पर्क स्थापित करने का समय नहीं मिला है। हमें यह जानकारी प्राप्त करनी है कि राज्यपाल ने किन परिस्थितियों में क्या कार्यवाही की है। मैं तुरन्त उनसे सम्पर्क बनाने का प्रयत्न करूंगा तथा जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। मैं 5 बजे म० प० तक जानकारी दे सकूंगा।

श्री उमानाथ : (पुदुकोटै) : समाचारपत्रों में यह समाचार छपा है कि प्रधान मंत्री ने टेलीफोन द्वारा राज्य सरकार से सूचना प्राप्त की है परन्तु गृह-कार्य मंत्री इस समय ऐसा आभास दे रहे हैं जैसे वह कुछ जानते ही नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं गृह-कार्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह आज 5 बजे म० प० पर एक वक्तव्य दें ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें तथा विविध (चौथा संशोधन) विनियम, 1967

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : श्रीमान, मैं श्री ब० रा० भगत की ओर से नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें तथा विविध (चौथा संशोधन) विनियम, 1967 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 7 जुलाई, 1967, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 17/ई में प्रकाशित हुये थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1112/67]**

सम्भरण तथा निपटान महानिदेशालय के कार्य-चालन सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के बारे मे सरकारी संकल्प

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : श्रीमान, मैं स्मरण तथा निपटान महानिदेशालय के कार्य-चालन का परीक्षण करने के लिये नियुक्त अध्ययन दल की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में दिनांक 1। जनवरी, 1967 के सरकारी संकल्प संख्या 19(6)/65-पी आई की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई , देखिये संख्या एल० टी० 1113/67]**

1965-66 के लिये केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यक उपक्रमों के कार्य चालन के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन तथा सीमा-शुल्क अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : श्रीमान, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वर्ष 1965-66 के लिये केन्द्रीय सरकार औद्योगिक तथा वाणिज्यक उपक्रमों के कार्य-चालन के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1114/67]**

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) जी० एस० आर० 1025 जो दिनांक 8 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी० एस० आर० 1037 जो दिनांक 5 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1115/67]**

(3) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (सोलहवां संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 1 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 982 में प्रकाशित हुये थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (सत्रहवां संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 8 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1026 में प्रकाशित हुये थे। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०** 1116/67]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 45वां संशोधन, नियम, 1967 जो दिनांक 8 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1022 में प्रकाशित हुये थे।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 46वां संशोधन, नियम, 1967 जो दिनांक 8 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1023 में प्रकाशित हुये थे।

(तीन) जी० एस० आर० 1024 जो दिनांक 8 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 10 जून, 1967 की जी० एस० आर० 893 का शुद्धि-पत्र दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 1116/67]

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTION

नवां प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का नवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

Dr. Ram Manohar Lohia : (Kannauj) : I want to raise a question of privilege regarding the violation of the freedom of speech of the Members of this House.

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नही दी है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र–जारी

PAPERS LAID ON THE TABLE–Contd.

टैरिफ सम्बन्धी कैनेडी वार्ता के बारे में वक्तव्य

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेशसिंह) : मैं जनेवा में हाल ही में समाप्त हुई टैरिफ सम्बन्धी कैनेडी वार्ता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1117/67**]

अनुदानों की मांगें–जारी

DEMANDS FOR GRANTS-Contd.

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : सभा में अब श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होगी। माननीय मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे।

श्रम, तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : मैं माननीय सदस्यों का उनके सुझावों के लिये धन्यवाद करता हूं और यह बताना चाहता हूं कि मैं उन सब पर विचार करूंगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

इस मंत्रालय को उन विस्थापित व्यक्तियों की पुनर्वास समस्या को हल करना है जो पाकिस्तान, बर्मा तथा मोज़ाम्बीक से आये हैं और श्रीलंका से आने वाले हैं।

बर्मा से लौटने वाले लोगों को पुनः बसाने के मामले में आन्ध्र प्रदेश अथा मद्रास की सरकारों ने पूरा पूरा सहयोग दिया है। कुल डेढ़ लाख विस्थापित व्यक्तियों में से मद्रास ने लगभग 82,000 लोगों की सहायता की है। लगभग 10,000 परिवारों को अभी बसाया जाना है। हम उन्हें रोजगार अथवा व्यवसाय के लिये ऋण देंगे। एक आलोचना यह की गई है कि केवल तीन करोड़ रुपये उस पर व्यय किये गये हैं जबकि पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों पर बहुत अधिक राशि व्यय की गई थी। परन्तु यदि हम उनकी संख्या की तुलना पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की संख्या से करें तो धन का अनुपात भी वही होगा। हमने प्रत्येक परिवार को व्यापार के लिये 5,000 रुपये ऋण दिया है तथा खेतिहार परिवारों को भूमि दी है।

श्रीलंका से वापिस आये लोगों को अन्दमान में फिर बसाने के बारे में एक सुझाव दिया गया है। वास्तव में हमारी योजना उनमें से कुछ को अन्दमान में बसाने की है। परंतु हमें याद रखना चाहिये कि श्रीलंका से आने वाले लोगों की संख्या 5 लाख होगी। आशा है कि प्रत्येक वर्ष में कुछ हजार लोग आयें। आगामी वर्ष जनवरी से मार्च तक लगभग 15,000 लोगों के आने की सम्भावना है। इन सभी पांच लाख लोगों को अन्दमान में बसाना सम्भव नहीं है। वहां पर जितने लोगों को बसाया जा सकेगा, बसाया जायेगा। हमारी योजना वहीं पर रबड़ बागानों के विकास की है। हम रूपरेखा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि उन लोगों के आने पर उन्हें बसाया जा सके तथा पुनर्वास सहायता आदि के बारे में प्रतीक्षा न करनी पड़े।

पंजाब में कृषकों को फिर से बसाया जा चुका है और 17,000 एकड़ भूमि पृथक रखी गई है। उन्हें बैल तथा उपकरण खरीदने के लिये तथा मकान बनाने के लिये काफी ऋण दिये गये हैं। लगभग 198 लाख रुपये के अनुदान तथा 132 लाख रुपये के ऋण भी दिये जा चुके हैं। खेमकरन के पुनर्निर्माण के लिये 35 लाख रुपया स्वीकृत किया गया है।

पश्चिमी बंगाल की कुल जनसंख्या के 11 प्रतिशत लोग संस्थापित व्यक्ति हैं और उनकी संख्या 40 लाख है। वे जिन परिस्थितियों में विभिन्न बस्तियों में रह रहे हैं, वे दुखद हैं। पश्चिमी बंगाल सरकार ने 6लाख रुपये की लागत से इन्द्रलोक स्टूडियो बस्ती में मरम्मत आदि के लिये एक योजना प्रस्तुत की है जिसे मंजूर कर लिया गया है। जब तक आर्थिकरूप से उन लोगों का पुनर्वास नहीं किया जाता तब तक अच्छे मकान बनाने अथवा बस्तियां बसाने से उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता। हमने पुनर्वास पर 103 करोड़ रुपये व्यय किये हैं। इसमें से 28 प्रतिशत अथवा 29 करोड़ रुपये वास्तव में आर्थिक पुनर्वास सम्बन्धी योजनाओं पर व्यय किया गया है। अन्य सुविधायें देने के लिये 74 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। इसलिये मेरे विचार में मकान तथा बस्तियां बनाने के बजाय यह अच्छा होगा कि हम युवकों को कला तथा तकनीकी कार्यों में प्रशिक्षण दें ताकि वे काम पर लग सकें और आर्थिक तौर पर पुनः बस सकें। श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत 350 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं। उनमें बर्मा तथा श्रीलंका से आये लोगों के लिये प्रत्येक संस्था में 10 स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे। इन व्यवसायों में 18-30 वर्ष की आयु के लगभग 35,000 युवकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। जीवन निर्वाह करने के लिए हम उनको उचित पारिश्रमिक देने का भी विचार कर रहे हैं।

मैं जानता हूं कि आजकल बाजार में मन्दी है और औद्योगिक उत्पादन भी कम हो रहा है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हम और लोगों को तकनीकी कार्यों में प्रशिक्षण न दें।

हमने पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को कैम्पों से निकल जाने के लिये छः महीने का समय दिया था। उसके बाद कैम्प बन्द कर दिये गए तथा अन्य सहायता बन्द कर दी गई थी। अब मुझे इस आशय के अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं कि वे लोग पश्चिमी बंगाल से बाहर जाने को तैयार हैं। इसलिये हमने भी उनको देश के अन्य भागों में बसने के सुझाव देने का विचार किया है। यदि पश्चिमी बंगाल सरकार मान गई और लोग भी अधिक नहीं हुए तो कुछ चुने हुए स्थानों पर पुनः कैम्प खोले जायेंगे तथा लोगों को सहायता दी जायगी। इनको देश के अन्य भागों में बसाते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि धन का अपव्यय न हो। दूसरे जो उद्योगपति इन विस्थापितों को रोजगार देंगे उनको कर में भी छूट देने का प्रस्ताव है।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई :

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha Re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

श्री एस० एम० जोशी पीठासीन हुए।
Shri S. M. Joshi *in the Chair.*

मैं पुनर्वास कार्यक्रम के बारे में बता रहा था। इसके बारे में मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि इससे अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा तथा उनका ठीक प्रकार से पुनर्वास हो सकेगा।

सभा को मालूम है कि मन्दी का सूती कपड़ा तथा इन्जीनियरी उद्योग पर अधिक प्रभाव पड़ा है। वाणिज्य मंत्रालय के साथ इस प्रश्न को उठाया गया था। अलाभकारी मिलों तथा नई मिलों का कार्यभार संभालने के लिए एक कपड़ा निगम बनाने का निर्णय किया गया है।

जहां तक इन्जीनियरिंग उद्योग का सम्बन्ध है कलकत्ता में मन्दी का अधिक प्रभाव हुआ है। रेलवे के माल डिब्बे बनाने वाला उद्योग इनमें से एक है। मैंने इस मामले पर रेलवे मंत्री से बातचीत की थी और सभा को यह सुन कर प्रसन्नता होगी कि रेलवे मन्त्री ने अधिक आर्डर देने का निर्णय कर लिया है। कुछ अन्य एककों को विदेशी मुद्रा, कच्चे माल की सहायता तथा आयात के लिए अन्य प्रोत्साहन भी दिये जायेंगे ताकि इन्जीनियरिंग उद्योग की स्थिति पुनः ठीक हो सके। मजदूरों के लिए बेरोजगारी बीमा योजना आरम्भ करने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। इससे बेरोजगारी के समय भी मजदूरों को कुछ मजूरी मिल सकेगी। मालिकों की इच्छा पर मजदूरों की छंटनी नहीं की जानी चाहिये। न्यायालय इस समय औद्योगिक विवादों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। परन्तु अब इस उद्देश्य हेतु औद्योगिक

विवाद अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है जिससे न्यायालय को यह जानने का अधिकार प्राप्त हो जाये कि छंटनी के समय ठीक प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है अथवा नहीं। दूसरे निलम्बन के समय भी श्रमिकों को निर्वाह भत्ता देने का विचार है।

इस समय लौह अयसक समाप्त हो जाने पर श्रमिक की छंटनी कर दी जाती है चाहे उसने 20 वर्ष की ही नौकरी क्यों न की हो। परन्तु अब श्रमिक को छंटनी के लाभ का अधिकारी बनाने के लिये सम्बन्धित नियमों में संशोधन किया जा रहा है।

श्रमिकों को अविलम्ब बकाया मजूरी दिलाने के लिये कार्यपालिका प्राधिकार देने के बारे में भी विचार किया जा रहा है।

कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। मजूरी बोर्डों की सिफारिशों के अनुसार मजूरी में भी वृद्धि की जा रही है।

अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत श्रमिक अपनी भविष्य निधि के लिए नामनिर्देशन कर सकता है। कुछ मजदूरों को शायद इस बात की जानकारी नहीं है अतः इसी कारण भविष्य निधि प्राप्त करने के बारे में समस्त कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं।

जहां तक बकाया राशियों का सम्बन्ध है वे बहुत अधिक नही हैं। कुल 900 करोड़ रुपये की राशि में से केवल 5 करोड़ रुपये की राशि बकाया हैं। फिर भी बकाया राशि श्रमिकों को अवश्य मिलनी चाहिये। इसीलिये हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि रक्षित निधि को बढ़ाया जाये तथा अपने भाग की निधि जमा न कराने वाले मालिकों के विरुद्ध कठोरता से मुकद्दमा चलाया जाये। गत वर्ष लगभग 788 मालिकों के विरुद्ध मुकद्दमे चलाये गये थे। भू-राजस्व के रूप में 313 वसूलियां की गई थी। केन्द्रीय सरकार को इसके बारे में दोष देना ठीक नहीं है क्योंकि मुकद्दमे राज्य सरकारों द्वारा चलाये जाते हैं।

एक सुझाव दिया गया था कि सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक विधियों को कार्यान्वित करने का काम राज्य सरकारों के बजाय केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले। यह एक अच्छा सुझाव है परन्तु इस बारे में राज्य सरकारों की सहमति करनी होगी।

ऐसा कहा गया था कि एक श्रम अधिकारी प्रशिक्षण संस्था को बन्द कर दिया गया है परन्तु यह ठीक नहीं है। मैं अभी पिछले महीने ही वहां पर गया था। वहां पर काम हो रहा है और विभिन्न राज्यों के लोग उसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

यह कहना भी गलत है कि भारत द्वारा अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठनों के केवल कुछ अभिसमयों का ही समर्थन किया गया है। परन्तु भारत ने एशिया में इस संगठन के सबसे अधिक अभिसमयों का समर्थन किया है। जहां कहीं ऐसा नहीं किया गया उस मामले में संगठन को इसके कारण बताये गये हैं।

लोहे-अपयस्क कल्याण उपकर के बारे में भी सुझाव दिया गया है। यह कहा गया है कि केन्द्रीय समिति के बजाय हमें स्थानीय समितियां नियुक्त करनी चाहिए। इस सुझाव पर

पहले ही विचार किया जा चुका है। वास्तव में पहले ही सभी स्थानीय स्तरो पर परामर्श समितियां नियुक्त की जा चुकी हैं।

उत्पादकता बढ़ाने के लिए श्रमिक के परिश्रमिक के साथ साथ प्रबन्धक का प्रगतिशील होना तथा प्रशिक्षित प्रबन्धकों की एक पदालि का होना भी आवश्यक है।

श्रमिकों की शिकायतों को यथासम्भव दूर किया जाना चाहिए अन्यथा वे मांग का रूप धारण कर लेती है। यदि फिर भी उनका समाधान नहीं किया जाता तो वे विवाद और फिर आन्दोलन का रूप धारण कर लेती है। आन्दोलन को रोकने के लिए कार्यान्वियन की व्यवस्था को तीव्र करने की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नना है कि सभी राज्य सरकारें इस बात पर मुझसे सहमत हो गई हैं।

सामान्यत: इन कार्यान्वियन समितियों के चेयरमैन श्रम मंत्री ही होते हैं। 109 मामलों में निदेश देने के लिए कहा गया था।

घेराव मजदूर संघ का ठीक तरीका नहीं है। कोई भी सरकार इसको सहन नहीं कर सकती। श्रमिकों और मालिकों के बीच बातचीत के कई ढंग हैं। यदि इन अन्य तरीकों को नहीं अपनाया जाता तो इसका अर्थ यह होगा कि धमकी देने वाले की जीत होती है।

जहां तक सामाजिक सुरक्षा का सम्बन्ध है श्रमिकों को मिलने वाले सभी लाभ उनको दिये जाने चाहिये। यही कारण है कि निधि अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है। न्यायधारियों के बोर्ड के सम्मेलन में, जिसमें मालिकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे, इस बारे में कुछ निर्णय किए गए हैं।

स्वयंचालित मशीनों के लगाए जाने के बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है। हमारे जैसे देश में जहां बेरोजगारी बढ़ रही है इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसी मशीनों को केवल कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ही लगाया जाये जिससे वहां पर श्रमिक फालतू न हो जायें।

श्री स०मो० बनर्जी (कानपुर) अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ स्वचालित मशीनों के प्रयोग के परिणामों के बारे में नये सिरे से चर्चा करना चाहता है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि उक्त चर्चा के लिए त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाया जाय।

श्री हाथी : जहां तक जीवन बीमा निगम का सम्बन्ध है, हमने उनसे बातचीत की है और उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया है कि आगामी कुछ वर्षों में वहां कोई छंटनी नहीं होगी। यदि वह आश्वासन से सन्तुष्ट न हो तो हम इस मामले पर पुनः चर्चा कर सकते है।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : बंगाल में काल्टैक्स कम्पनी ने भी इसी प्रकार का आश्वासन दिया था परन्तु फिर भी उन्होंने एकदम छंटनी कर दी।

श्री हाथी : काल्टैक्स तथा अन्य तेल कम्पनियों के बारे में हमने त्रिपक्षीय चर्चा की थी। उसके फलस्वरूप एक जांच आयोग की नियुक्त भी की गई है।

श्री उमानाथ (पुदुकोटै) : इसी बीच 9000 लोगों की छंटनी कर दी गई है।

श्री हाथी : प्रश्न यह हैं कि क्या उनकी छंटनी स्वचालित मशीनों के प्रयोग के फलस्वरूप हुई है या नहीं। उन्होंने बताया है कि नहीं। इसीलिए अब जांच आयोग इस बात का निर्णय करेगा। यदि किसी व्यक्ति को नौकरी से हटाया जाता है तो इस प्रकार के मामले के बाद में टालमटोल नहीं किया जा सकता। यह उसकी रोटी का प्रश्न है। ऐसे मामलों में तर्को या निष्कर्षो से काम नहीं चलता ऐसे मामले तकनीकी तथा सैद्धान्तिक नहीं होते।

श्री उमानाथ : आपने हाल में ही यह स्वीकार किया था कि वर्तमान कानून छंटनी नहीं रोक सकते, वे मालिकों को क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य कर सकते हैं। जबकि त्रिपक्षीय सम्मेलन होते हैं तो उनके निर्णय क्रियान्वित नहीं किये जाते। ऐसे मामलों में क्या मन्त्री महोदय कोई ऐसा कानून बनायेंगे जिससे कम से कम उस अवधि में छंटनी न की जाये ?

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : इस देश में 450 लाख लोगों के पास भूमि नहीं है। भूमि-हीन मजदूरों को रोजगार दिलाने के बारे में सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इन लोगों के पास न रोजगार है न रहने को मकान है।

श्री हाथी : माननीय सदस्य ने बिलकुल सही बात कही है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

1961 की जनगणना के अनुसार खेतिहर मजदूरों की संख्या 315 लाख है। यह एक असंगठित क्षेत्र है जिसकी ओर अब तक उचित ध्यान नहीं दिया गया है। पिछले वर्ष खेतिहर मजदूरों की एक गोष्ठी की गई थी। और उन्होंने इस सम्बन्ध में कई सिफारिशें की थी। उन सिफारिशों में से एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि देश में लाखों लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जाना चाहिये। तृतीय पंच वर्षीय योजना की कालावधि के दौरान छोटे पैमाने के और घरेलू उद्योग, बाढ़ नियंत्रण आदि कई कार्यक्रम आरम्भ किये गये जिनका कुछ प्रभाव उन पर पड़ा था परन्तु फिर भी उनकी ओर अत्यधिक ध्यान नहीं दिया गया। देहातों में मजदूरों को पूरी तरह रोजगार नहीं मिल सका है। कुछ कालावधि के लिये उन्हें रोजगार मिला परन्तु पूरे वर्ष के लिये उन्हें रोजगार नहीं मिल सका। इसलिये इस सम्बन्ध में एक समन्वयकारी निकाय बनाने की आवश्यकता है। श्रम मन्त्रालय ने इस उद्देश्य के लिए एक अनुभाग बनाया है। जिसमें श्रम मंत्रालय तथा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयों के प्रतिनिधि होंगे तथा जो इस सम्बन्ध में सलाह देगा तथा क्योंकि समन्वय करेगा।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कई कार्यक्रम बनाए गए है। जिससे 4300 लाख जन-दिनों के लिए काम उपलब्ध होगा जबकि तृतीय पंचवर्षीय योजना में 830 लाख जन दिनों के

लिये काम उपलब्ध था । यह ठीक हैं कि असंगठित क्षेत्र होने के कारण इस और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । हमने इस दिशा में कार्य आरम्भ कर दिया है और हम देखेंगे कि इस क्षेत्र के मजदूरों की ओर अधिक ध्यान दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

All the cut motions were then put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1967-68 के लिये श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित माँगे मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई:—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
66	श्रम, रोजगार और पुनर्वास मन्त्रालय . .	52,53,000
67	खानों का मुख्य निरीक्षक . . .	32,23,000
68	श्रम और रोजगार .	9,60,46,000
69	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय ,	7,98,32,000
70	श्रम, रोजगार और पुनर्वास मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	22,53,000
130	श्रम, रोजगार और पुनर्वास मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय	5,24,53,000

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा औद्योगिक विकास तथा समवाय–कार्य मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 56 से 59, 98, 99 और 126 पर विचार करेगी ।

जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहें, उन्हें पन्द्रह मिनट के अन्दर कटौती प्रस्ताव की क्रम संख्या बताते हुए अपनी पर्चियां सभा–पटल पर भेज देनी चाहिये ।

वर्ष 1967–68 के लिए औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
56	औद्योगिक विकास विभाग	32,91,000
57	उद्योग	2,78,78,000

58	नमक	37,21,000
59	औद्योगिक विकास विभाग का अन्य राजस्व व्यय	37,48,000
98	कम्पनी कार्य विभाग	16,15,000
99	कम्पनी कार्य विभाग का अन्य राजस्व व्यय	32,11,000
126	औद्योगिक विकास और कम्पनी कार्य मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय	10,74,96,000

श्री चं०चु० देसाई(साबरकंठा) : जब से वर्तमान मन्त्रीमहोदय ने इस मंत्रालय का कार्य-भार सम्भाला हैं, औद्योगिक क्षेत्र में मन्दी ही मन्दी दिखाई पड़ रही है और समवाय-कार्य में कुप्रबन्ध की शिकायतें मिल रही हैं। जब भी हम कोई आर्थिक समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उनमें कमजोर मिलों द्वारा सरकार से सहायता प्राप्त करने और घेराव जबरी छुट्टी तथा देश में अत्यधिक उत्पादन सम्बन्धी समाचार दिखाई देते हैं। स्वतन्त्र पार्टी देश में सामाजिक न्याय और अवसर की समानता के आधार पर समाज कल्याण राज्य की स्थापना के बारे में कम चिन्तित नहीं। अन्तर केवल इतना है कि हम उत्तरोत्तर उत्पादन में वृद्धि करके सामाजिक न्याय पर आधारित समाज कल्याण राज्य की स्थापना चाहते हैं, जब कि अन्य दल नियन्त्रणों के माध्यम से इस ध्येय तक पहुंचना चाहते हैं। यह सारे संसार का अनुभव है कि नियन्त्रणों के माध्यम से उत्पादन में कभी वृद्धि नहीं हो सकती। हमारा विश्वास नियन्त्रणों को हटाने और मुक्त व्यापार में है।

सभी उद्योगपति तकनीकी विकास महानिदेशक से डरते रहते हैं। इस विभाग के अधिकारियों को अत्यधिक शक्ति दी गई है वे उद्योग को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। यह उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि किसी उद्योग को विदेशी मुद्रा दे अथवा न दे लाइसेंस दे अथवा न दे। इसका परिणाम यह है कि इस संगठन के अधिकारियों में अहंकार अथवा अभिमान की भावना विद्यमान है और उनमें शालीनता का अभाव है। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि देश में इतनी मन्दी अथवा औद्योगिक गतिविधि इतनी कम है कि तकनीकी विकास महानिदेशक के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इस विभाग में कर्मचारियों की संख्या अत्यधिक हैं और वे उद्योगपतियों को अनावश्यक रूप से तंग करने में अपना समय बिताते हैं। इस विभाग के कर्मचारियों की संख्या कम कर देनी चाहिए। इससे इस संगठन की कार्यकुशलता बढ़ेगी।

अगले दिन कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री ने सभा में कहा था कि उनका विचार सर-कारी क्षेत्र में 25 करोड़ रुपया लगा कर ट्रेक्टर परियोजना आरम्भ करने का है और इसके लिए सम्भवतः चेकोस्लोवाकिया से तकनीकी सहायता या रुपये के भुगतान की सुविधा की जायेगी। हमारे देश में कम से कम दो या तीन कारखाने बहुत ही कुशल और सुक्षम है वे सभी प्रकार ट्रेक्टर बना सकते हैं और सरकार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इसलिये उपरोक्त कारखाने की सरकारी

क्षेत्र में लगाना आवश्यक नहीं । कभी कभी यह कहा जाता है कि रुपये में भुगतात चाहिए । परन्तु वास्तव में रुपये में अधिक भुगतान करना पड़ता है क्योंकि जो देश रुपये में भुगतान की सुविधा देते हैं वे उसमें मूल्यों में वृद्धि को भी सम्मिलित कर लेते हैं । इस प्रकार हमें अधिक रुपया देना पड़ता है । दूसरी बात यह है कि जो सामान रुपया भुगतान वाले देशों को बेचा जाता है वह बाद में अन्य देशों को बेच दिया जाता है और उससे हमारे अपने निर्यात में कटौती हो जाती है । इसलिये रुपये में भुगतान का कोई आकर्षण नहीं होना चाहिये ।

इसी प्रकार शल्य चिकित्सा के लिये औजार बनाने वाला एक कारखाना मद्रास में हैं । उस कारखाने की स्थिति बहुत खराब है । वे जो औजार बनाते हैं उन्हें वे बेच नहीं सकते । अभी हाल में ही यह बताया गया था कि भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र में 2400 करोड़ रुपये लगाये हैं । यह भी बताया गया है कि इस निवेश से घाटा हो रहा है । इसी प्रकार कोयला खनन मशीनरी कारखाना, दुर्गापुर और हैवी इलैक्ट्रीकल्स, भोपाल तथा अन्य कारखाने भी घाटे में चल रहे हैं ।

हाल में ही उप प्रधान मन्त्री ने कहा कि 40 सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में से 31 कम्पनियां लाभ अर्जित कर रही हैं । मैंने इस सम्बन्ध में महालेखा परीक्षक ओर नियन्त्रक द्वारा तैयार की गई वाणिज्य उपक्रम की 1965–66 के लेखा परीक्षा रिपोर्ट पढ़ी है । इसमें लिखा है कि 1965-66 के वित्तिय वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र को 0.8 प्रतिशत की आय हुई है । गैर-सरकारी क्षेत्र का कोई भी उद्योगपति इतनी आय से सन्तुष्ट नहीं होगा, विशेषकर जबकि उसे लाभांश या ब्याज के रूप में 8,10 प्रतिशत से अधिक लाभ हो सकता है । यह स्थिति तब है जब कि कारखाने से जो माल आता है उसको खरीदने वाली केवल सरकार ही है । इसलिये उप प्रधान मन्त्री का यह दावा गलत है कि सरकारी क्षेत्र की बहुत सी परियोजनाओं को लाभ हो रहा है ।

अब उद्योगों में असन्तोष क्यों है ? मजदूर और पूंजीपति के संघर्ष के बीच पिसने वाला उपभोक्ता है । सरकार इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं देती है । हमारी स्वतन्त्र पार्टी उपभोक्ता का अधिक ध्यान रखती हैं । इसीलिये मैं उप-प्रधान मन्त्री से यह अनुरोध करता हूँ कि नियंत्रण और ऋण की सीमा को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाये कि उत्पादन की लागत अन्ततोगत्वा इतनी हो कि वह उपभोक्ता को उस मूल्य पर प्राप्त हो सके जिसे वह अदा कर सकता हो । हम रचनात्मक कार्यों में सदा सहयोग करने के लिये तैयार हैं । अभी मन्दी का आरम्भ हैं और मेरे विचार मैं एक या दो वर्ष वर्षा होने से यह हालत नहीं रहेगी विदेशी मुद्रा के अतिरिक्त यथा सम्भव सभी नियन्त्रण समाप्त कर देनी चाहिये । उत्पादन के लिये वित्तिय और सम्बन्धी समायोजन करके किसी सीमा तक कुछ वस्तुओं को जमा भी करना चाहिये जिससे इंजीनियरिंग उद्योग भी चलता रहे । यह कार्य सरकार द्वारा ही नहीं. रेलवे तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा भी किया जाना चाहिये । सरकार को इस समय वही कार्य करना चाहिये जो 1931 में राष्ट्रपति रूज़वैल्ट ने अमरीका में अभूतपूर्व मन्दी के समय एक नई नीति निर्धारित करके किया था । जहां तक समवाय कार्यों का सम्बन्ध है, हमारा कम्पनी कानून संसार में सब से अधिक पेचिदा है । सरकार कम्पनी के प्रबन्धकों से विवरण अधिक मांगते हैं और कागजी कार्यवाही पर अधिक जोर देते हैं और उन्हें उत्पादन की ओर ध्यान देने का समय ही नहीं देते हैं जबकि वास्तव में देश की प्रगति ओर समृद्धि का यही

आधार है। यदि कम्पनी कानून में संशोधन किया जाय तो उसमें प्रबन्धक निदेशकों के पारिश्रमिक मंजूर किये जाने को व्यवस्था होनी चाहिये। उसमें कुल पारिश्रमिक का उल्लेख किया जाना चाहिए क्योंकि इस समय पारिश्रमिक के अतिरिक्त वे अन्य शुल्क और कमीशन भी लेते हैं जिसके कारण पारिश्रमिक को नियमित करने का पूरा नहीं होता। सालिसिटरों को ऐसी कम्पनियों का निदेशक बनने की अनुमति नहीं होनी चाहिये जिनको वे कानूनी सलाह देते हों। जिन निदेशकों की आयु 75 वर्ष की हो जाये, उन्हें कम्पनी बोर्ड में काम करने से रोक देना चाहिये। अन्त में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय को उत्पादन बढ़ाने पर अधिक ध्यान देना चाहिये क्योंकि उसी से देश की प्रगति और समृद्धि हो सकती है।

श्री मं० रं० कृष्ण (पद्देपल्लि) : सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिये कहा गया है कि उन्हें सभी प्रकार की वे रियायतें और सुविधाएं दी जाती है जो गैर-सरकारी क्षेत्र को उपलब्ध नहीं होती। यह बात बिलकुल गलत है। उदाहरणार्थ हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना है जिसकी आज सभी लोग प्रशंसा करते हैं। जब यह कारखाना चालू किया गया था तो आरम्भ में काफि कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था इसे विभिन्न गैर-सरकारी उद्योगों के साथ मुकाबला करना पड़ा था। परन्तु बाद में उन कठिनाइयों पर नियन्त्रण कर लिया गया।

यह आरोप लगाया है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योग घाटे पर चल रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि इन उद्योगों का प्रबन्ध उन व्यक्तियों के हाथ में है जिन्होंने सरकार को ये उद्योग चलाने की सलाह दी थी। इन में से बहुत से उद्योगों में फालतू क्षमता है। जितनी उनकी क्षमता है, उतना उत्पादन नहीं होता। जहां तक निर्माण कार्य का सम्बन्ध है, वह समय पर पूरा नहीं किया जा सका यद्यपि कारखानों के निर्माण के लिए हमने विदेशों से भी काफी सहयोग प्राप्त किया है। ये कुछ कठिनाईयां है परन्तु शीघ्र ही हम देखेंगे कि ये सरकारी क्षेत्र के उद्योग अपने उन उद्देश्यों को पूरा कर लेंगे जिनके लिये उन्हें बनाया गया है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना 18 करोड़ रुपये की पूंजी से बनाया गया था, उसने काफी प्रगति की है, इसके छ एकक हैं और इसने श्रम कल्याण कार्यक्रमों मकान बनाने तथा अन्य कार्यों के लिये 3½ लाख रुपया खर्च किया है जो गैर सरकारी उद्योग कभी भी न करते। ब्रिटेन जैसे देश में भी सरकारी नियन्त्रण में बहुत से केन्द्र हैं। हमारे देश में यह बहुत आवश्यक है कि कोई कारखाना सरकारी क्षेत्र में बेकार न पड़ा रहे और न ही कोई व्यक्ति बेरोजगार हो। वास्तव में सरकारी क्षेत्र में ठीक ढंग से योजना नहीं बनाई गई और उसके बाद अनुसन्धान और सर्वेषण भी ठीक ढंग से नहीं किया गया है।

यह संतोष की बात है कि वर्तमान मन्त्री महोदय ने विभिन्न मामलों और समस्याओं की जांच करने के लिए कुछ समितियां बनाई हैं। इसी के फलस्वरूप हजारी समिति का प्रतिवेदन सभा के सामने है। इससे संसद और जनता को पता चला है कि कुछ उद्योगों ने किस प्रकार कार्य किया है। अब सरकार को विनियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने से सकोच नहीं करना चाहिये। हम सरकारी क्षेत्र में उद्योगों के विस्तार की बात सोचते हैं। हम राज्य सरकार द्वारा चालू किए गये कुछ उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगपतियों को हस्तांतरित कर देते है। हैदराबाद मैंने सिल्क इन्डस्ट्रीज सिरपुर पेपर मिल्स,

एलबिन मैंटल वर्क्स जैसे महत्वपूर्ण उद्योग आरम्भ किये परन्तु बाद में वे गैर-सरकारी क्षेत्र को सौप दिये गये । भले ही उन्हें प्रभावशाली ढंग से चलाया गया हो परन्तु ऐसा करने से हम उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य पूरा नहीं कर सकेंगे । इसलिये मेरे विचार में सरकार को राज्य सरकारों की इस प्रकार से सहायता करनी चाहिये जिससे राज्य सरकार फिर उन उद्योगों का नियन्त्रण अपने हाथों में ले सके । यदि नहीं तो केन्द्र सरकार को स्वयं उनका नियन्त्रण सम्भाल लेना चाहिये ।

वाणिज्य मन्त्री ने एक दो दिन पहले कहा था कि कुछ बिमार कपड़ा मिले हैं जिन्हें सरकार अपने नियन्त्रण में लेना चाहती है । जब हजारों श्रमिक इन मिलों से निकाले जाने वाले हैं तो सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उन्हें संरक्षण दे, उनको रोजगार दे तथा उनकी देखभाल करें । शायद वाणिज्य मन्त्रालय की इन बिमार कपड़ा मिलों को फिर से बसाने की कोई योजना है और कोई कारण नहीं है कि भारत सरकार इसके लिये पैसा मंजूर करने से इन्कार करे ।

कारखानों में काम करने वाले श्रमिक सामान्यतः अशिक्षित होते हैं जिसका परिणाम यह होता हैं कि वे अपना सर्वोत्तम योगदान नहीं दे सकते हैं और पूरी क्षमता पर उत्पादन नहीं हो पाता है । सरकार को यह देखना चाहिये कि श्रमिकों को प्रशिक्षण की सुविधा उनके सेवा काल में प्रदान की जायें ताकि उत्पादन बढ सके ।

कुटिर उद्योगों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये उनका उसी प्रकार विकास कीया जाना चाहिये जैसा कि जापान में किया गया है । जापान सस्ती तथा बढ़िया चीजें बनाकर विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकता है क्योंकि ज्यादातर चीजें ग्रामीण चीजों में तैयार की जाती हैं ।

चाहे सरकारी क्षेत्र के उद्योग हो या गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग हो, सभी उद्योगों में आयोजन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण कार्य बराबर चलता रहना चाहिये । भारत सरकार को अनुसन्धान कार्यों के लिये पैसा देने में संकोच नहीं करना चाहिये ।

Shri Kameshwar Singh (Khagaria) : Private companies contribute towards the fu ds of political parties which is a very bad practice In this manner, industrialists influence the political leaders which is a dangerous thing for this country. For example, huge amounts have been contributed towards congiess funds during the years 1962 to 1966. The hon. Minister should look into this matter and try to put an end to this unhealthy practice.

It is only India where the system of managing agency still prevails. This system was started here by Britishers. But even after India became Independent from the foreign sake. This system is still continuing. It is no doubt true that Government have thought in terms of abolishing this system many a time, but the vested interests have always stood in their way.

In regard to industrial licensing policy, it has been made clear in the report submitted by Dr. Hazari that Birlas have a lot of influence in this regard.

The industrial policy of the Government has only benefited Birlas and other big capitalists. Birlas have a big hand in training this policy. They have monopolised certain

industries. As a result poor quality products have been supplied to the consumers and the maximum benefit has been earned by the Birlas. Recently a committee consisting of three members has been appointed to look into the fact as to what extent the Hazari Report was in favour of or against the Birlas. In this regard, the Birlas have already said that these persons are manageable. This shows how things are going and how monopoly is strengthening its hold in this country.

So far as the department of company law is concerned, it has not been able to do any effective work. There are many cases of mal practices in business houses but nothing has been done in such cases so far. For example, in the case of Amin Chand Piarey Lal nothing has been done uptill now. There is another case of Liberty Finance Company against which the High Court passed a judgement. Inspite of this judgement, no action has been taken against this company. The company was required to deposit one per cent of the money deposited with it by the depositors in the Reserve Bank of India but the company did not do so. The Finance Minister and the Finance Ministry are responsible for it. Why this company has been allowed to go scot free ?

Then there is the case of the Bombay Oxygen Company. Captialist Rusia was importing oxygen cylinders from East Germany under some collaboration agreement with them. This company used to show higher costs in its account books and sold these cylinders at higher prices in this country. When the shareholders complained, the company set right its account books and started selling these cylinders at the same prices as the other companies were charging. This smacks of an unholy alliance between a capitalist of India and the communist country of East Germany which is a very serious thing. This is a glaring example of over-invoicing of imports and manipulation of book accounts. I want to know why the hon. Minister is hesitating to conduct an inquiry into the whole affair and place the findings before the House.

Shri Vidya Dhar Bajpai (Amethi) : In the beginning I shall draw the attention of the hon. Minister to the small scale industries sector. So far as the leather industry is concerned, in the ' Eleventh Anniversary No. 1956-57" published by the S.T C., the picture of India in regard to its leather industry has been reflected from the Moghul period down to the present times. It is a fact that this industry has been the biggest exporter, since centuries. Even now, we are exporting shoes, etc. in large quantity. But we have to see as to who are the persons who are getting advantage out of this industry. It is the big businessmen who are getting all the advantage. They take shoes from the small manufacturer and export them. They exploit these workers. Government should therefore take steps to see that a reasonable share of profit of this trade goes to the actual shoe maker. The S.T.C. places order for manufacture of shoes for export etc. They should see that such orders are placed only with such companies which are actually engaged in this work and not with such companies whose actual vocation is not the manufacture of shoes.

As regards cottage industries emporiums, the prices charged there are very high. There is a very strange thing about these. Although they have a sale of about Rs, 60,000 per day, yet they are running at a loss. The main reason for this loss is that there is unnecessary expenditure. They are housed in air-conditiored and palatial buildings where what to talk of the cottage dwellers even we M.Ps. also fear to go. Previously Government used to run these emporia themselves but later on they were entrusted to cottage industry cooperatives. Girls on fabulous scales are appointed to popularise cottage industry products though they had no such experience to their credit and all this money goes waste. Shortage is also detected in these emporia every year which is nothing but pilferage by the staff in collusion with one another, and they go unpunished for this act.

If such things go unprobed in the cooperative sector, we will not be able to reap the benefits of the cooperative movement, and we shall not be able to run industrial institutions on cooperative lines.

In the film industry money is wasted like water. Some poets who find a place in the film industry are making fortunes by writing even cheap & ordinary songs for the films, whereas literary poets are starving and the Government and the public are not paying any attention to them.

श्री रमानी (कोयम्बत्तूर) : मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि मुख्य रूप में भारी सूखे तथा विदेशी मुद्रा की कमी के कारण 1966 में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की गति कम हो गई है। सूखे से कुछ औद्योगिक कच्चे माल के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और विदेशी मुद्रा के संकट के कारण आयातित कच्चे माल पर निर्भर करने वाले उद्योगों में कम उत्पादन हुआ। परन्तु तथ्य यह है कि यह सब सरकार की गलत नीति के कारण हुआ है जिसका वह पिछले 20 वर्षों से अनुसरण करती आ रही है। यदि वह पूंजीवाद तथा एकाधिकार तथा भारतीय उद्योगों के विदेशी पूंजीपतियों के साथ सहयोग को बढ़ावा न देती तो हमारे उद्योगों की स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न होती।

यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने संविधान में उपबन्धित अपनी इस नीति को कार्यान्वित नहीं किया हैं कि हमारी आर्थिक पद्धति ऐसी न हो जिससे धन तथा उत्पादन के साधन कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित हो जायें हालांकि ये सिद्धान्त तीसरी योजना में दोहराये गये थे परन्तु सरकार ने उसको कार्यरूप देने के लिये कुछ नहीं किया। औद्योगिक क्षेत्र में धन का संचय बढ़ता जा रहा है। स्थिति यहां तक पहुँच गई है कि केवल 1.4 प्रतिशत उद्योगों का देश के समूचे औद्योगिक धन पर नियन्त्रण है। जब तक इस स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता।

हम विदेशी सहयोग पर अधिकाधिक निर्भर करते जा रहे हैं। स्थिति यहां तक पहुँच गई है कि हमें फालतू पुर्जों, मशीनों तथा कच्चे माल आदि के लिये विदेशी कम्पनियों पर निर्भर करना पड़ता है। 1961 तक के आंकड़ों के अनुसार विदेशी कम्पनियों के साथ लगभग 2000 सहयोग समझौते हो चुके हैं। यदि आज तक के आंकड़े मिल जायें तो उनसे पता चलेगा कि एकाधिकार को बहुत बढ़ावा मिला है। विदेशी सहयोग की अनुमति देकर सरकार राष्ट्रीय हित वाले उद्योग को बढ़ावा नहीं दे रही है अपितु अमरीकी हित वाले उद्योग को बढ़ावा दे रही है। सरकार को यह देखना चाहिये कि हम अपनी टांगों पर खड़े होने योग्य बनें।

एस्बेस्टस सीमेंट की वस्तुओं के बारे में प्रतिवेदन में कहा गया है कि उनका उत्पादन 1965 के 4,20,461 मीट्रिक टन के उत्पादन से घट कर 1966 में 2,94,830 मीट्रिक टन रह जाने की संभावना है और इसका कारण यह बताया गया है कि आवश्यक कच्चे माल के लिये 1965-66 में कम विदेशी मुद्रा नियत की गई है। परन्तु यह गलत बयानी है। ट्रावनकोर जिले की एक बड़ी कम्पनी एस्बेस्टस सीमेंट लिमिटेड—के कथनानुसार उनके पास लगभग 65 लाख रुपये का एस्बेस्टस सीमेंट का सामान जमा पड़ा है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल का आयात न किये जाने के फलस्वरूप

उत्पादन घट जाने की संभावना है जबकि इस कम्पनी ने इस कच्चे माल से इतना सारा उत्पादन किया। सरकार उनसे यह सामान खरीदती रही है परन्तु अब वह ऐसा करने से इन्कार कर रही है और इतना माल जमा हो जाने के कारण यह कम्पनी अपना उत्पादन कम करने के लिये मजबूर हो गई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उनका प्रतिवेदन सही है।

मैं कप ा उद्योग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कोयम्बटूर में 7 मिल 2½ वर्ष से बन्द पड़े हैं। 6500 श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं; 2,40,000 से अधिक तकवे तथा 1000 से अधिक करने बेकार पड़े हैं। क्या इसे ही औद्योगिक विकास कहते हैं? इन मिलों को खुलवाने के लिये कुछ किय जाना चाहिये। अन्यथा श्रमिक लोग आन्दोलन करने तथा 'घेराव' का सहारा लेने के लिये मजबूर हो जायेंगे और इसके अलावा उनके पास और क्या उपाय रह जाना है।

सरकार की समस्त नीति एकाधिकार पूंजी पर निर्भर करने की है। अतः चीनी, चाय तथा अन्य उद्योगों जिनमें एकाधिकार नहीं है और जिनकी विदेशी सहयोग प्राप्त नहीं है का विकास नहीं हो सकता। इस समय देश की समूची अर्थ व्यवस्था संकटग्रस्त है। अतः मैं अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं और अपने कटौती प्रस्तावों के लिए जोर देता हूँ।

श्री दामानी (शोलापुर): मैंने अपने माननीय मित्र के भाषण को बड़ी सावधानी से सुना है। मुझे आशा थी कि वह कुछ ठोस सुझाव देंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकन्तम्मा पीठासीन हुई
Shrimati Lakshmikanthamma *in the Chair.*

उन्होंने कुछ त्रुटियों का ही उल्लेख किया है। परन्तु मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, दी हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स तथा इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज आदि कुछ उपक्रमों में बहुत अच्छा काम हो रहा है। परन्तु यदि कुछ उपक्रम ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसा केवल विरोधी दलों के कारण ही है क्योंकि उनका मजदूर संघों पर नियन्त्रण है। वे वहां पर गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं तथा उपक्रमों में सामान्य रूप से काम नहीं होने देते। उदाहरण के तौर पर आज ही मैंने समाचारपत्र में पढ़ा है कि दो संघों की आपसी दुश्मनी के कारण दुर्गापुर इस्पात कारखाने में उत्पादन 50 प्रतिशत कम हो गया है। अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उत्पादन कम होने सम्बन्धी कारण बताने वाला एक श्वेत पत्र तैयार करें। उसमें यह भी बताया जाना चाहिए कि मजदूर संघों के असहयोग के कारण उत्पादन में कितनी कमी हुई है। तभी देश को वास्तविक स्थिति का ज्ञान होगा।

गत दस वर्ष की औद्योगिक प्रगति के बारे में विश्व बैंक ने कहा है कि हमारे देश ने आशातीत प्रगति की है। पर्याप्त समवाय बने हैं और पूंजीगत उपकरणों तथा बिजली के सामान के उत्पादन में भी हमने पर्याप्त प्रगति की है। 1951 में इस्पात का उत्पादन 10

लाख टन था जो कि आज बढ़कर 45 लाख टन हो गया है। इसी प्रकार अल्युमीनियम, मशीनी औजार, सीमेंट तथा रेल डिब्बों के उत्पादन में भी कई गुना वृद्धि हुई है। अतः औद्योगिक उत्पादन में हमने बड़ी तेजी से प्रगति की है।

चीन तथा पाकिस्तान के आक्रमण के कारण गत तीन अथवा चार वर्षों से उद्योगों की स्थापना में कुछ कमी आई है। निरन्तर दो वर्ष अच्छी फसल न होने के कारण भी हमारी अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इस सब के बावजूद भी हमारे उत्पादन में कमी नहीं बल्कि वृद्धि हुई है। आशा है इस वर्ष मानसून अच्छी होगा और इसके फलस्वरूप अर्थ-व्यवस्था में भी सुधार होगा। 25 लाख रुपये की लागत वाले उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त करने का सरकारी निर्णय बहुत ही उचित है। नये उद्योग स्थापित करने वाले लोगों को लाइसेंस प्राप्त करने में अपने समय का अब अपव्यय नहीं करना पड़ेगा। मेरे विचार में सरकार को इस नीति का विस्तार कर और अधिक उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर देना चाहिए।

कपड़ा, पटसन तथा अन्य कई उपभोक्ता उद्योगों का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। हमारे इन्जीनियरिंग उद्योग की क्षमता बेकार पड़ी है। उनमें उपभोक्ता उद्योगों के लिए पूंजीगत वस्तुएं बनाने की क्षमता भी है। मेरा निवेदन है कि उपभोक्ता उद्योगों के आधुनिकीकरण, बेकार पड़ी क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए एक योजना बनाई जानी चाहिए।

श्री कन्डप्पन (मैटूर) : कम्पनी कार्य विभाग का कार्य बहुत ही रहस्यजनक प्रतीत होता है। कभी किसी न्यायाधिकरण की स्थापना की जाती है तो कभी उसको भंग कर दिया जाता है। न तो उसको स्थापित करने और न ही उसको भंग करने के कारणों का पता चलता है।

जब तक समवायों को चुनाव के लिए धन देने की अनुमति है मुझे सन्देह है कि सरकार कम्पनी कार्य की स्थिति में कुछ सुधार कर सकती है। इस प्रथा को बन्द कर देने के लिए सरकार से कई बार अनुरोध किया गया है। अन्य दलों के साथ परामर्श से इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

इस मंत्रालय का सबसे पहला काम यह देखना है कि सभी प्रदेशों का ठीक ढंग से विकास हो तथा कोई प्रदेश पीछे न रहे। इस समय विभिन्न राज्यों में ही नहीं अपितु राज्यों के अन्दर विभिन्न प्रदेशों में भी असमानता है। विभिन्न राज्यों तथा प्रदेशों के संतुलित विकास तथा केन्द्रीकरण को रोकने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

आधुनिक औद्योगीकरण के कारण नगरों में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए देहातों में भी उद्योग स्थापित किये जाने चाहिए।

यह दुर्भाग्य की बात है कि नये उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी सरकार की नीति के बावजूद अनेक लोग इस क्षेत्र में आगे नहीं आ रहे हैं। अतः एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार को नये उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देना चाहिए।

ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के विचार में चौथी योजना के अन्त तक ट्रैक्टरों की मांग को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त क्षमता है। परन्तु मेरा विचार इससे भिन्न है। प्रतिदिन ट्रैक्टरों की मांग में वृद्धि हो रही है। इसलिए सरकार को प्रत्येक राज्य में ट्रैक्टर बनाने तथा बिजली से चलने वाले दलों के उपकरणों के निर्माण के लिए कारखाने स्थापित करने चाहिए। प्रत्येक जिले में ट्रैक्टरों की मरम्मत के लिए वर्कशाप तथा बिक्री के लिए डिपो खोलने चाहिए।

सरकारी क्षेत्र में मोटर गाड़ी उद्योग स्थापित किये जाने चाहिए। घटिया दर्जे की कारें बन रही है जबकि उनके मूल्यों में वृद्धि हो रही है। अब सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की है, जब तक सरकार छोटी कारों की निर्माण सम्बन्धी परियोजना को चालू नहीं करती तब तक कारों की समस्या हल नहीं हो सकती। इसलिए सरकार को यथासम्भव शीघ्र छोटी कारों के निर्माण के लिए कारखाना स्थापित करना चाहिए।

हमारे यह कहने पर सरकारी क्षेत्र के कारखाने लाभ अर्जित नहीं कर रहे हैं सरकार आपत्ति करती है। मद्रास के समीप स्थापित सर्जिकल इन्स्ट्रूमैंट्स फैक्टरी में हाल ही के उत्पादन शुरू हुआ है। समाचारपत्रों को पढ़ने से पता चलता है कि वहां पर भण्डार जमा हो रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि हाल ही में स्थापित फैक्टरी में संकट आ गया है। परन्तु इसका कारण यह है कि इस फैक्टरी में निर्मित वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक नियत किये गये हैं, इसका एक कारण यह भी है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में भी इन वस्तुओं के निर्माण के लिए लाइसेंस दिये गये हैं परन्तु यह बात समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों किया गया है क्योंकि इस कारण मद्रास फैक्टरी में निर्मित शल्य चिकित्सा वस्तुओं को गम्भीर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, अब उस फैक्टरी में अन्य वस्तुओं के निर्माण की बात पर विचार किया जा रहा है।

दूसरी बात यह है कि लाइसेंस देने की पद्धति के विनियमन से ही एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। केवल मात्र नियन्त्रण हटाने अथवा नियन्त्रण बढ़ाने से ऐसा नहीं हो सकता।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : हम सब जानते हैं कि देश में उद्योगों के उचित ढंग से विकास हेतु ही इस मंत्रालय को बनाया गया था। इसका एक उद्देश्य पूंजी के कुछ हाथों में केन्द्रीकरण को रोकना तथा प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार देना है। इन्हीं दो बातों को उद्योग नीति का आधार स्वीकार किया जाना चाहिए। परन्तु यह बड़े दुर्भाग्य की

बात है कि हम इन दोनों पहलुओं की उपेक्षा कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप खेती की अपेक्षा पूंजीगत वस्तुओं सम्बन्धी उद्योगों पर अधिक धन व्यय हुआ है।

कुछ भारी उद्योगों के कारण ही बाजार में मन्दी आई है। रेलवे बजट तथा योजना में कटौती के कारण उद्योग में भारी मन्दी है। जहां तक उपभोक्ता वस्तुओं का सम्बन्ध है उनमें मन्दी नहीं है।

हमें सर्वप्रथम कृषि सुधार की ओर ध्यान देना चाहिए था क्योंकि हमारी 75 प्रतिशत जन-संख्या इस पर ही निर्भर है। मैं इतना और बता देना चाहता हूँ कि ये 75 प्रतिशत लोग अपनी इच्छा से कृषि नहीं कर रहे बल्कि दूसरे अवसरों के अभाव के कारण ही वे ऐसा कर रहे हैं। उन्हें अन्य अवसर प्रदान कर खेती पर बोझ को कम करना चाहिए। ऐसा कृषि प्रधान उद्योग स्थापित करके किया जा सकता है।

देश में उद्योगों का संतुलित रूप से विकास नहीं किया गया है। कुछ उद्योगों का निश्चित क्षेत्रों में ही केन्द्रीकरण किया गया है। जहां तक आंध्र प्रदेश का सम्बन्ध है यह एक कृषि प्रधान राज्य है. परन्तु कृषि सम्बन्धी अर्थ-व्यवस्था के सुधार के लिए कुछ नहीं किया गया है। सरकारी क्षेत्र में एक भी उर्वरक कारखाना स्थापित नहीं किया गया है। वनस्पति तथा नारियल के तेलों के विकास के लिए भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। मछली पालन उद्योग के लिए भी कुछ नहीं किया गया। यद्यपि कोठागुण्डम देश के आधे कोयला क्षेत्रों में से एक है तथापि उसके सुधार के लिए कुछ नहीं किया गया है। नीवेली परियोजना के लिए कोयला यहां से भेजा जाता है। यदि ऐसी ही परियोजना यहां पर आरम्भ की जाती तो इस पर निश्चय ही कम धन व्यय होता और आंध्र को पर्याप्त बिजली मिल जाती। इसी प्रकार विशाखापटनम में इस्पात कारखाना स्थापित करने से इन्कार किया जा रहा है। इस परियोजना के बारे मे ठीक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। सरकार को यह बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि किसी राज्य को यह महसूस न हो कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है।

उद्योग स्थापित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उद्योगों से अधिक लाभ कृषि को हो। सर्वप्रथम हमें यह देखना चाहिए कि किसान समृद्ध हों। प्रत्येक राज्य में सरकारी क्षेत्र में कपास उद्योग की स्थापना की जानी चाहिए। ऐसे उद्योग कम आय वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे और इससे इन लोगों को कम मूल्य पर मोटा कपड़ा देने में कोई कठिनाई भी नहीं होगी।

उपभोक्ता वस्तुओं को सस्ते दामों पर बेचने के लिए उत्पादन से लेकर उपभोक्ता स्तर तक वितरण की सभी पद्धतियों पर नियन्त्रण होना चाहिए।

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
56	1	श्री सेक्वीरा	उद्योगों को सरकार द्वारा लाइसेंस दिये जाने की उपयोगिता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
56	3	श्री रामावतार शास्त्री	सचिवालय तथा उसके अधिकारियों पर भारी खर्चा रोकने की आवश्यकता।	100 रुपया
56	4	"	छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करने की आवश्यकता।	"
56	6	श्री नी० श्रीकांतन नायर	पुथासेरी, पालघाट, में प्रसीजन इन्स्ट्रूमेंट्स के कारखाने सम्बन्धी परियोजना को कार्यान्वित करने की आवश्यकता।	"
56	7	"	एफ. ए. सी. टी. द्वारा सूत्रपात की गई प्लेट तथा वेसल्स परियोजना को विदेशी सहकारिता के साथ स्थापित करने की आवश्यकता।	"

56	8	श्री नी० श्री कांतन नायर	कालामास्सेरी, अलवाये, में एच. एम. टी. के यूनिट के विस्तार की आवश्यकता ।	100 रुपया
56	9	,,	कोचीन, केरल में निर्यात की दृष्टि से एक कताई मिल स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
56	10	,,	त्रावनकोर टिटानियम प्राडक्ट्स के विस्तार के लिये परियोजना की मंजूरी देने तथा ऋण की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
56	11	,,	केरल में इलैक्ट्रानिक्स एकक स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
56	12	,,	केरल में उर्वरकों और रसायनों की संविरचना (फैब्रीकेशन) शाप स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
56	13	,,	केरल में देसी सामान से स्कूटर निर्माण यूनिट के लिये लाइसेंस दिये जाने की आवश्यकता ।	,,
56	14	,,	केरल में टिटानियम कारखाने के लिये लाइसेंस दिये जाने की आवश्यकता ।	,,
56	20	श्री चं० चु० देसाई	तकनीकी विकास महानिदेशालय और योजना आयोग द्वारा गलत लक्ष्यों का निर्धारण जिसके परिणामस्वरूप अधिक लाइसेंस दिये गये ।	,,

56	21	,,	सरकारी क्षेत्र, जिसमें रुपया लगाना कोरी हानि है, द्वारा असंतोषजनक कार्य ।	,,
56	22	,,	गुजरात में सरकारी उपक्रम स्थापित किये जाने की आवश्यकता ।	,,
56	23	,,	भावनगर में सरकारी क्षेत्र में एक भारी मशीनी औजार कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
56	24	,,	देश में इन्जीनियरी उद्योग विशेषकर मोटरगाड़ी उद्योग की दशा में सुधार करने की आवश्यकता ।	,,
56	25	,,	औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प में इस उपबन्ध को, कि व्यापार और वितरण भारतीय पूंजी और तकनीकी जानकारी तक सीमित रखा जायेगा, लागू किये जाने की आवश्यकता ।	,,
57	30	श्री शिकरे	स्थानीय दशा का अध्ययन किये बिना उद्योगों को स्थापित करने के लिये लाइसेंस देने में रियायत देना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
57	31	,,	गोवा में छोटे पैमाने के उद्योगों की विफलता ।	,,
57	33	श्री रामावतार शास्त्री	लघु उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान देने में असफलता ।	,,
57	36		देश के औद्योगिक विकास में असफलता ।	100 रुपया

57	37	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार में सायकिल उद्योग जैसे लघु उद्योगों को बन्द होने से रोकने की आवश्यकता।	100 रुपया
57	38	,,	बिहार में लघु उद्योगों का विस्तार करने की आवश्यकता।	,,
57	39	,,	छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान देने में असफलता।	,,
57	40	,,	देश में छोटे पैमाने के उद्योगों का जाल बिछाने की आवश्यकता।	,,
57	52	श्री शिंकरे	गोआ में वर्तमान लघु उद्योगों को सहायक अनुदान तथा नए उद्योगों को स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता।	,,
57	53	,,	गोआ में भारी तथा लघु उद्योगों को स्थापित करने की दृष्टि से गोआ के संसाधनों तथा क्षमता का सर्वेक्षण करने की आवश्यकता।	,,
57	54	,,	गोआ तथा दीव में वैज्ञानिक ढंग से नमक तैयार करना।	,,
58	55	श्री कामेश्वर सिंह	साहू जैन कम्पनी समूह तथा अन्य कम्पनियों की जांच सम्बन्धी मामलों की पैरवी करने के लिये रखे गये अधिवक्ताओं की फीस की अदायगी।	,,

98	57	श्री रामावतार शास्त्री	उच्च पदाधिकारियों पर अत्यधिक खर्चा करना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
98	60	,,	देश में बढ़ते हुए एकाधिकार को रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपया
99	61	श्री रमानी	हमारी अर्थ-व्यवस्था में एकाधिकार के विकास को रोकने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
99	62	,,	अपने देश में पूंजीवाद को पनपने से रोकने की आवश्यकता ।	,,
99	67	श्री रामावतार शास्त्री	संयुक्त पूंजी समवायों पर प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता ।	100 रुपया
99	68	,,	संयुक्त पूंजी समवायों के खातों में अनियमितताओं को रोकने की आवश्यकता ।	,,
99	69	,,	संयुक्त पूंजी समवायों पर पूंजीपतियों का वंशानुगत नियंत्रण ।	,,
99	70	श्री रमानी	प्रबन्ध अधिकरण प्रणाली को समाप्त करने की आवश्यकता ।	,,
99	71	,,	एकाधिकार-विकास सम्बन्धी जांच आयोग की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता ।	,,

99	72	श्री रमानी	विदेशी एकाधिकृत कम्पनियों द्वारा ब्याज और लाभ के नाम पर हमारे देश में कमाये गये धन को बाहर जाने से रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपया
99	73	,,	आर्थिक संकट रोकने में असफलता, जिसके परिणाम स्वरूप लघु उद्योग बन्द हो रहे हैं ।	,,
99	74	,,	कोयम्बत्तूर की कपड़ा मिलों के काम आने वाले पुर्जे बनाने वाली कम्पनी को बन्द होने से रोकने की आवश्यकता ।	,,
126	78	श्री रामावतार शास्त्री	मूल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
126	79	,,	बिहार में औद्योगिक विकास की ओर उचित ध्यान न दिया जाना ।	,,
126	80	,,	उद्योगपतियों को अपने उत्पादों के मूल्य बढ़ाने से रोकने में असफलता ।	,,
126	81	,,	देश में बढ़ रहे एकाधिकार को रोकने में असफलता ।	,,
126	82	,,	एकाधिकार-प्राप्त पूंजीवादियों को जनता को लूटने की छूट देना ।	,,

126	83	,,	देश में औद्योगिक विकास के लिये अमरीका पर निर्भरता।	,,
126	84	,,	समाजवादी देशों की सहायता से देश का औद्योगीकरण करने की आवश्यकता।	,,
126	86	श्री कामेश्वर सिंह	उर्वरक तथा रसायन उपकरण बनाने के लिये फैब्रिकेशन-शाप का स्थापित किया जाना।	100 रुपया
126	87	श्री शिंकरे	गोवा में सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता।	,,
126		,,	गोवा में सीधे केन्द्रीय सरकार की देख-रेख में तथा उसके द्वारा लगाये गये धन से एक औद्योगिक बस्ती स्थापित करने की आवश्यकता।	,,
126	89	श्री रामावतार शास्त्री	देश का औद्योगीकरण करने में विफलता।	,,
126	90	,,	देश में बड़े-बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता।	,,
126	91	,,	देश के औद्योगिक विकास के लिये साम्राज्यवादी देशों पर निर्भरता।	,,
126	92	,,	देश के औद्योगीकरण के लिये समाजवादी देशों से नियमित रूप से सहायता लेने की आवश्यकता।	,,

126	93	श्री रामावतार शास्त्री	मूल उद्योगों को बड़े पैमाने पर स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रुपया
126	94	,,	बिहार को देश के औद्योगिक नक्शे पर लाने की आवश्यकता ।	,,
126	95	,,	उत्तरी बिहार में लघु एवं बड़े उद्योग चालू करने की आवश्यकता ।	,,
126	96	,,	'एच० एम० टी०' घड़ियों का उत्पादन और बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
126	97	,,	देश में फोटोग्राफी उद्योग का तेजी से विकास करने की आवश्यकता ।	,,
126	98	,,	देश में सीमेंट उद्योग का विस्तार करने की आवश्यकता ।	,,
126	99	,,	देश को कागज के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर बनाने के लिये कागज-मिलों का विस्तार करने की आवश्यकता ।	,,
126	100	,,	पढ़े-लिखे बेरोजगार व्यक्तियों के लिये उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
126	101	,,	विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता ।	,,

126	102	,,	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरशाही समाप्त करने की आवश्यकता।	,,
57	106	श्री रमानी	बड़ी-बड़ी इन्जीनियरी कम्पनियों की स्पर्धा से छोटी इन्जीनियरी कम्पनियों को आवश्यक संरक्षण देने में असफलता।	,,
57	107	,,	बन्द इण्डिया इलैक्ट्रिक वर्कस्, कलकत्ता को पुनः खोलने की आवश्यकता।	,,
57	108	,,	छोटी कार निर्माण उद्योग स्थापित करने तथा उसका विकास करने में असफलता।	,,
59	109	,,	निजी कम्पनियों द्वारा झूंठे संतुलन पत्र बनाया जाना रोके जाने में असफलता।	,,
59	110	,,	लाइसेंस प्रणाली में भ्रष्टाचार रोके जाने में असफलता।	,,
126	111	,,	हमारे देश में सभी विस्कौस कम्पनियों की आवश्यकता पूरी करने के लिये लुगदी का उत्पादन बढ़ाने के लिये अधिक कारखाने स्थापित करने में असफलता।	,,

126	112	श्री रमानी	खराद उद्योग में संकट को रोकने के लिये कार्यवाही करने में असफलता ।	100 रुपया
126	113	,,	मद्रास राज्य के कोयम्बत्तूर जिले में सरकारी क्षेत्र में एक मशीन-निर्माण संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
126	114	,,	मद्रास राज्य के कोयम्बत्तूर जिले में सरकारी क्षेत्र में एक कपड़ा उद्योग मशीन-निर्माण संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
126	115	,,	सीमेंट उत्पादन बढ़ाने और उपभोक्ता मूल्य कम करने हेतु सरकारी क्षेत्र में अधिक सीमेंट कम्पनियों स्थापित करने में असफलता ।	,,
56	116	श्री जनार्दनन	औद्योगिक नीति संकल्प से हट जाना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
56	117	,,	औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करने में असफलता ।	,,
56	118	,,	एकाधिकार को बढ़ने से रोकने में असफलता ।	,,
56	119	,,	औद्योगिक निधि को कुदेक हाथों में संचित होने से रोकने में लाइसेंस देने की नीति को असफलता ।	,,

57	120	”	लघु उद्योगों को पर्याप्त प्रोत्साहन देने में असफलता ।	”
57	123	”	लघु उद्योगों के लिये मशीनें तथा उपकरण किराया खरीद आधार पर उपलब्ध करने की आवश्यकता ।	100 रुपया
57	124	”	आयात को स्थानापन्न करने की सर्वाधिक संभावनाओं का पता लगाने की आवश्यकता ।	”
57	125	”	'नेपा' मिल में बनने वाले अखबारी कागज की किस्म सुधारने की आवश्यकता ।	”
57	126	”	पालघाट में सूक्ष्म औजार कारखाने का शीघ्र निर्माण करने की आवश्यकता ।	”
57	127	”	केरल जैसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में सरकारी क्षेत्र में अधिक उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता ।	”
57	128	”	कलमस्सेरी में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने के विस्तार कार्यक्रम को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता ।	”
57	129	”	त्रिवेन्द्रम में टिटेनियम कारखाने के विस्तार के लिये केन्द्रीय सहायता की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता ।	”
57	130	”	मित्र देशों द्वारा दिये गये ऋण के उचित और शीघ्र उपयोग की आवश्यकता ।	”

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The present recession in production is such as was never seen during the last twenty years after our independence. Production of sugar has gone down from 35.37 lakh tons in 1965 to 22 lakh tons in 1966 while our target was to produce 37 lakh tons. There is a large idle capacity in structural fabrication, railway wagons and cotton textiles. Stocks of the value of Rupees 2½ crores have accummulated in HMT. This is the cumulative effect of the wrong policies followed by the Government.

The licensing policy of the Government has resulted in monopolistic tendencies and most of the industrial capital was concentrated in 75 business houses. It is wrong to blame those who implemented that policy. The Ministers are themselves to be blamed for such a state of affairs. It is high time that a judicial inquiry is conducted in that regard and the licensing policy is completely oriented.

No doubt, we have been much benefited by foreign collaboration, but there should be a limit. Too much dependence on foreign countries is harmful for us. An expert committee should be constituted to look into the matter and suggest measures to avide this excessive dependence on others.

The performance of the public is not good. A large capital has been invested in it but the return is not satisfactory. It is due to mismanagement. Some incentive should be given to increase the production.

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

The industrialists should not exploit the public. They should have better relations with the workers. They should be made partners in production in accordance with socialistic ideals.

The Minister should revise the whole industrial policy. More attention should be paid to the small scale industries.

अखबारी कागज पर उत्पादन–शुल्क समाप्त करने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. ABOLITION OF EXCISE DUTY ON NEWSPRINT

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : मैं निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं :—

'सरकार ने अखबारी कागज उद्योग को अग्रेतर राहत देने के उद्देश्य से नेपा अखबारी कागज पर से 50 रुपये प्रति मीट्रिक टन उत्पादन शुल्क तथा आयातित अखबारी कागज पर से इतनी ही राशीका प्रति शुल्क तुरन्त समाप्त करने का निश्चय किया है' ।

मध्य प्रदेश की घटनाओं के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. DEVELOPMENTS IN MADHYA PRADESH

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : जैसा यह सभा चाहती थी मैंने तथ्यों का पता लगाने के लिये मध्य प्रदेश के राज्यपाल के साथ सम्पर्क स्थापित किया था। मुझे उनसे निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:—

"विधान सभा में कांग्रेस दल के 36 सदस्यों द्वारा दल छोड़ दिये जाने के कारण विधान सभा के सदस्यों पर धमकाने के और गैर कानूनी निरोध के आरोप लगाये गये थे। दल छोड़ने वाले सदस्यों में से दो सदस्यों ने कहा है कि उन्होंने हस्ताक्षर दबाव में किये हैं। तनाव और आसामान्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्री ने राज्यपाल से अनुरोध किया था कि वह सत्रावासान करने पर विचार करें। मुख्य मंत्री के पत्र पर तथा तत्कालीन परिस्थितियों पर पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात् तथा सही संसदीय पृथा अपेक्षाओं के बारे में सोच विचार करने के पश्चात् संसदीय लोकतंत्र के उचित संचालन के दिल में फिलहाल विधान सभा का सत्र स्थगित कर दिया गया है।"

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) **:** It is an assassination of democracy. I would like that Adjournment motion should be taken first. Only then statement should come.

अध्यक्ष महोदय : आप यह बातें मेरे पर ही क्यों नहीं छोड़ देते।

Shri Hukam Chand Kachwai : We dont like to hear him. Adjournment Motion should be taken first.

अध्यक्ष महोदय : हमें पहले उनका वक्तव्य सुनना चाहिये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वक्तव्य का शेष भाग इस प्रकार है :

"विधान सभा का सत्र पुनः शीघ्र ही बुलाना पड़ेगा तबकि वह इस मास की समाप्ति हो पहले बजट और विनियोग विधेयक पारित कर सके। आशा की जाती है कि थोड़े समय में तनाव कम हो जायेगा और विधान सभा सामान्य वातावरण में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकेगी"।

Shri Hukam Chand Kachwai : Democracy is being assassinated. It cannot be tolerated.

स्थगन प्रस्ताव

MOTION FOR ADJOURNMENT

मध्य प्रदेश विधान सभा के सत्रावसाव को रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार की कथित असफलता

अध्यक्ष महोदय : मध्य प्रदेश विधान सभा के सत्रावसान को रोकने में केन्द्रीय सरकार की असफलता के बारे में मुझे श्री मधु लिमये से स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना मिली है।

मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। श्री मधु लिमये ने स्थगन प्रस्ताव पर नियम 60 और 61 का लागू होना निलम्बित करने वाले प्रस्ताव की भी सूचना दी है। वह पहले उस प्रस्ताव को पेश कर सकते हैं।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Other Members have also given motions for Adjournment of the House.

श्री न० कु० साल्वे (बबूल) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, he may raise the point of order after I move my motion.

अध्यक्ष महोदय : दल के नेता अथवा सभा को उनका ख्याल रखना चाहिये। मैं सुबह से उनपर नियंत्रण नहीं कर पाया हूं। मैं उनसे पुनः प्रार्थना करता हूं। उनका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Government has not divulged information.

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया आप बैठ जाइये।

Shri Hukam Chand Kachwai : Democracy is being assassinated in Madhya Pradesh.

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उनका नाम लेकर पुकारा जाये।

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उन्हें एक सप्ताह के लिये निलम्बित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है, "कि श्री हुकम चन्द कछवाय को एक सप्ताह के लिये सभा की सेवाओं से निलम्बित किया जाये"

श्री बलराज मधोक : एक दिन के लिये।

अध्यक्ष महोदय : हम श्री मधोक का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं।

Shri Madhu Limaye : This matter should be considered again.

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य खेद प्रकट कर दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उनके दल के नेता ने ही यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : यह कोई तर्क नहीं है कि उनके दल के नेता ने कहा है कि उन्हें निलम्बित कर दिया जाये इस लिये आप प्रस्ताव को ले रहे हैं यह मामला अब सारी सभा का है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Saddar) : I think because it is a delicate matter so the passions of Shri Kachwai were strong. I admit that no Member should interrupt in that way. That is why our lea ler Shri Madhu had said so. I have talked to Shri Kachwai and Shri Madhok also.

अध्यक्ष महोदय : अब चूंकि प्रस्ताव सभा में है इसलिए सभा ही इस पर निर्णय कर सकती है।

श्री बलराज मधोक : मेरा निवेदन यह है कि संसतसदस्य होने के नाते हमें शिष्टाचार का ख्याल रखना चाहिये। एक बुरी चीज हो गई है और मुझे इस बात का बहुत दुख है। मुझे आशा है कि श्री कछवाय अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे और इसलिये में प्रार्थना करता हूं कि इस मामले को समाप्त किया जाये और प्रस्ताव को वापिस लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा उन्हें प्रस्ताव वापिस लेनी की अनुमति देती हैं।

डा० राम सुभग सिंह : में उनका सुझाव को स्वीकार करता हूं

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

The motion was, by-leave of the House, withdrawn

अध्यक्ष महोदय : अब श्री मधु लिमये अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister should raise a point of order after I move my motion,

श्री न० कु० साल्वे : मेरा निवेदन यह है कि संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन किये बिना प्रस्तावित स्थगन प्रस्त व की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 163 की ओर दिलाता हूँ। इस अनुच्छेद के अनुसार केवल राज्यपाल को ही सभा का सत्रावसान करने का पूर्ण अधिकार है। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इसलिये मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा विधान सभा को सत्रावसान किये जाने की कार्यवाही के बारे में प्रश्न करके हम संविधान के अनुच्छेद 163 (2) और 174 (2) (क) द्वारा राज्यपाल में निहित की गई स्वविवेक की शक्ति का पालन करने की मान्यता को चुनौती दे रहे हैं। अतः इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम स्थगन प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात पर विचार कर चुका हूं। इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 355 भी है। यदि सभा का सत्रावसान मतदान के पहले नहीं किया गया था तो कोई बात नहीं थी परन्तु अब चूंकि राज्यपाल बीच में आ गये हैं इसलिये सभा इसकी जानकारी चाहती है अतः मैंने अपनी सम्मति दे दी है।

श्री रा० ढो० भंडारे (बम्बई-मध्य) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते हम उन नियमों का

उल्लघन नहीं कर सकते जिनके अन्तर्गत हम काम कर रहे है। संविधान में कहा गया है कि राज्य सरकार अपनी चार–दिवारी में काम करेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार कैसे हस्तक्षेप कर सकती है। अतः जो कुछ राज्यपाल ने किया है वह उसने संविधान में अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अनुकूल किया है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है कि विधान सभा का सत्रावसान सामान्य रूप से किया गया था। इसके लिये कोई आसाधरण बात हुई होगी। यदि साधारण बात होती तो कोई आपत्ति न करता। इसलिये यह बताना सरकार का उत्तर दायित्व है कि क्या असाधारण बात हुई है और सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा है। इस लिये संसद का बीच में उतनी आवश्यक ही है। मैंने इस बारे में संसद् कार्य मन्त्री तथा विधि मन्त्री से बातचीत कर ली हैं। इस बारे में अन्तिम निर्णय मेरा है। इसका उत्तरदायित्व मेरा है इस लिये हमें इस बारे में शान्ति से काम लेना चाहिये। यदि कोई गलती की गई है तो सरकार उसपर विचार करेगी और जो उचित समझेगी कार्य वाही करेगी अब श्री मधु लिमये नियम को निलम्बित करने की अनुमति मांगेगें।

Shri Madhu Limaye : I beg to move that Rules 60 and 61 be suspended in their application to my Adjournment motion.

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दरा गांधी) : हम चर्चा का स्वागत करते हैं परन्तु मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हम समझते हैं कि स्थगन प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं इस प्रश्न को मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :
"कि मध्य प्रदेश विधान सभा के सत्रावसान के बारे में श्री मधु लिमये द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति मांगने के समय और प्रस्ताव को लेने के समय पर लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 60 और 61 का लागू होना निलम्बित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

Shri Madhu Limaye : Now I beg leave of the House for moving the adjournment motion.

अध्यक्ष महोदय : क्या इस प्रस्ताव पर किसी को कोई आपत्ति है। मेरे विचार से नहीं अब श्री मधुलिमये अपना भाषण जारी कर सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : Sir, I have brought this motion for Adjournment before this House because all that has taken place in Madhya Pradesh is a blot on the face of the country as a whole. I have moved this motion because the Central Government has failed to prevent the prorogation of the Madhya Pradesh Assembly by the Governor.

Sir, you know that Governors of States are appointed by the President and they can remain in office as long as the President wants them to be. Similarly under Article 355 it is the responsibility of the Central Government to ensure that the Government of

every State is carried on in accordance with the provisions of the Constitution. The Centarl Government was therefore cent per cent responsible for what had taken place in Madhya Pradesh.

I would also like to add that the prorogation of the session of Madhya Pradesh Assembly was also undemocratic and unconstitutional. I will substantiate my point. Sir, what for this session of the assembly was called The session of the Assembly was called to pass the Budget. The Demands for Grant of the Ministry of Education were being discussed while discussion was going on, it was disclosed by the ex-member of the Congress Party. Verma Sahib, then about 34-35 MLA's belonging to the Congress Partys have risigned from the Congress Party. Thus it became quite evident that the Congress Party will no longer be the majority Party in the Assembly. This could have been proved by the strength of the vote on the demands of the Ministry of Education But Voting did not take place and the Assembly was prorogued. Hence I would say that the prorogation of the Assembly was unconstitutional.

Now I would like to tell why the session of the Assembly was prorogued the Governor had prorogued the Assembly on the advice of the Central Government so that opportunity could be afforded to the Cougress Party to retain their majority by fair means or foul,

I know the Governor hasa right to prorogue the House then what are the reasons that we are opposing this thig. We are opposing because it has been decided to prorogue the Assembly by defying article 164 of the Constitution. In accordance with Article 164 the Council of Ministers in Madhya Pradesh was responsible to the Legisative Assembly. This provision cou'd have been upheld had vote been taken on the Demands for Grant of the Ministry of Education. In order that votes may not be taken the Assembly was prorogued. Hence democracy had been given a go by in Madhya Pradesh. It was a day of shame for our democracy and independence.

I would also like to draw the attention of the House to Article 160 of the Constitution. Under Article 160, the President could make a provision for the discharge of the functions of a Governor in certain contingencies. The Government should frame principles for the guidance of Governors so that they may like the help of such rule, in a situation like the one in Madhya Pradesh.

The Governor of Madhya Pradesh should have refused to prorogue the House. He should have seen to one thing. He should have seen that if the Government was defeated on vote of demands he should have given a chance to the oppsite to power a Government. Had they failed to form a Government the question of mid term election could have arisen only then.

I am of the opinion that the present Government of Madhya Pradesh should be asked to quit atonce. The provisions of the Constitution should be repeated. In place of present Government non-Congress Government should be installed.

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) : मैं देखता हूं कि जो कुछ भी भोपाल में हुआ है उस पर सभा के अधिकांश सदस्य रूष्ठ हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की घटनाओं के बारे में केन्द्रीय सरकार की प्रशासनिक या संवैधानिक रूप से कोई जिम्मेदारी नहीं है। राज्यपाल के पास राज्य की विधान सभा के सत्र का सत्र का अवसान करने की पूरी शक्ति है। मेरे पास श्री मधु लिमये द्वारा दिये गये वक्तव्य का पूर्ण खण्डन करने

के लिये पूरा अधिकार है। उनका वक्तव्य बिलकुल गलत है कि मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ है वह केन्द्र द्वारा जारी किये गये निदेश के कारण हुआ है। श्री मधु लिमये यह भी कह रहे थे कि सत्रावसान के लिये केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने यह कहा गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है इस का यह मतलब नहीं है कि जो कुछ भी राज्यपाल करता है वह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। भारत का मुख्य न्यायाधिपति और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते है। इनकी नियुक्त का यह मतलब नहीं है कि जो भी निर्णय वे दें उसके लिये केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है। इस लिये मेरा निवेदन यह है कि केन्द्रीय सरकार की इस तरह से आलोचना नहीं की जानी चाहिये।

राज्यपाल संविधान के अन्तर्गत कुछ मामलों पर स्वविवेक से काम कर सकता है परन्तु यह ऐसा मामला है जिस पर राज्यपाल ने मुख्य मन्त्री की सलाह से कार्यवाही की है।

अध्यक्ष महोदय : विरोधी पक्ष के नेताओं को भी बोलना। आपको यह बात याद रखनी चाहिये।

श्री गोविंद मेनन : मैं समाप्त ही करने वाला हूँ। जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि श्री द्वा० प्र० मिश्र के साथ बहुमत नहीं है तब तक वह मुख्य मन्त्री है और राज्यपाल को उसकी सलाह पर ध्यान देना होगा। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि श्री मधु लिमये तथा अन्य मित्र संसद में राज्य सम्बन्धी मामले उठा रहे हैं। ऐसे मामले सभा में नहीं उठाये जाने चाहिये और इसी कारण हम इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मैं दो बातों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ एक इस प्रश्न का संवैधानिक पक्ष और दूसरा नैतिक और राजनैतिक पक्ष। क्या कांग्रेस का यह नैतिक कर्त्तव्य नहीं है कि वह प्रजातन्त्र की रक्षा करे। क्या वे ऐसा करके एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। यह तो बिलकुल ठीक है कि राज्यपाल को सत्रावसान करने का संवैधानिक अधिकार है परन्तु ऐसी असाधारण स्थिति उत्पन्न हो जाने पर, जबकि विधान सभा में यह निश्चय किया जाना हो कि बहुमत किसके साथ है, क्या राज्यपाल का यह नैतिक दायित्व नहीं हो जाता कि वह मुख्य मंत्री के साथ साथ राज्य के विरोधी पक्ष के नेताओं से भी परामर्श करे और साथ ही राष्ट्रपति के माध्यम से केन्द्रीय सरकार से भी सलाह ले। दूसरे जब बजट पर चर्चा चल रही हो तो राज्यपाल का पहला कर्त्तव्य यह है कि निश्चित समय के अन्दर बजट पास हो जाये। परन्तु राज्यपाल ने इसके विपरीत सभा का सत्रावसान कर दिया और सदस्यों को बजट पास करने से रोका। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति से परामर्श करने का अर्थ होता है, गृह मन्त्रालय की सलाह लेना। राज्यपाल को चाहिये था कि वह राष्ट्रपति को दिन प्रति दिन की स्थिति से अवगत कराता और राष्ट्रपति के माध्यम से गृह मन्त्रालय की सलाह लेता। मेरे विचार से राज्यपाल ने ऐसा किया होगा, परन्तु गृह मंत्रालय राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यपाल को संविधान के अनुसार सलाह देने में असफल रहा है। श्री मधु लिमये ने ठीक ही कहा है कि सदस्यों को फुसलाकर अपने पक्ष में करने के लिये कांग्रेसियों ने राज्यपाल से यह सत्रावसान कराया है। यदि विधान सभा के सदस्यों या संसद सदस्यों को

इसी प्रकार से प्रभावित किया जाता रहा तो हमारी स्वतन्त्रता और लोकतंत्र की अवश्य ही दुर्देशा होगी। यह भी सत्य है कि हमें परिपाटी बनानी चाहिये परन्तु वे ऐसी होनी चाहिये। जिनसे संविधान सशक्त हो, लोगों, विधायकों और मंत्रियों की स्वतन्त्रता बढ़े। वे ऐसी न हों जो संविधान की भावना के विपरीत हो। इस प्रकार की घटनाओं के लिये हम भी कुछ हद तक उत्तरदायी हैं परन्तु कांग्रेस इसके लिये सबसे अधिक जिम्मेदार है। राजस्थान में उसने ही पहल की है और अब यह राजनैतिक रोग एक से दूसरे राज्यों में फैलता जा रहा हैं। श्री द्वा० प्र० मिश्र का मुख्य मन्त्री के पद पर रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि कांग्रेस दल की प्रतिष्ठा। अतः मेरी यह अपील है कि 24 घंटे के अन्दर अन्दर सत्रावसान को रद्द किया जाये। विधान सभा का सत्र बुलाया जाये जिससे सब सदस्य मिलकर बैठे और अपना बहुमत का नेता चुने तथा उसे मन्त्रिमंडल बनाने दिया जाये ताकि बजट पास करने का काम तत्काल पूरा हो जाये और मध्य प्रदेश को उत्तम और ईमानदार प्रशासन प्राप्त हो जाये।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : जो कुछ मध्य प्रदेश में हुआ उससे मुझे दुख हो रहा है कि हम जनतन्त्र को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। देश में हिंसा का वातावरण पहले ही बना हुआ है। यदि ऐसी स्थिति में कानूनी दाव पेंचों के आधार पर सत्ता बनाये रखने की कोशिश की गई तो हम जनतन्त्र और राष्ट्र के लिये अहितकर कार्य कर रहे हैं। जनतन्त्र मुख्य रूप से नैतिक नियमों पर आधारित होता है और यदि नैतिक नियमों को त्याग दिया जाता है तो जनतन्त्र ही समाप्त हो जाता है।

मध्य प्रदेश का प्रश्न एक राजनैतिक प्रश्न नहीं है बल्कि यह मूल रूप से एक नैतिक प्रश्न है। जब विधान सभा को अगले दिन के लिये बुलाया गया था तो उस दिन उसे काम करने देते। परन्तु उस दिन का कार्य समाप्त होने से पहले ही विधान सभा का सत्रावसान घोषित कर दिया गया। उनका तर्क यह था कि कुछ सदस्यों को सभा में आने से बलात रोक लिया गया। पहले तो इसमें भी सत्तारूढ़ दल की कमी है कि उसके प्रशासन की पुलिस ने यह सब क्यों होने दिया। दूसरे यदि यह बात भी सत्य थी तो उस दिन सरकार को गिरने दिया जाता और नई सरकार बनने दी जाती। यदि कांग्रेस वस्तुतः बहुमत में थी तो नई सरकार को वह अगले दिन अविश्वास के प्रस्ताव पर उखाड़ सकती थी। इस पद्धति में भी कोई बात गलत या असंवैधानिक नहीं थी। यदि वरिष्ठ कांग्रेसी ठंडे दिल से सोचें तो वे स्वयं यह अनुभव करेंगे कि जो मध्य प्रदेश में हुआ वह कानून की दृष्टि से बेशक सही हो, नैतिक दृष्टि से वह बिलकुल अनुचित था। मै कांग्रेसियों की नैतिकता को अपील कर रहा है उनके कानूनी तर्क को नहीं। ऐसी स्थिति में कांग्रेसियों को अपने दल की बजाय राष्ट्र और जनतंत्र के प्रति अधिक वफादार होना चाहिये।

Shri Ram Kishan (Hoshiarpur) : I have attentively heard the opposition leaders like Prof. Ranga, Acharya Kripalani and Shri Madhu Limaye. They give precepts to others but they themselves do not follow what they preach to others. On 5th April in Punjab the Government of United Front was defeated on an amendment moved by the opposition i. e. the Congress. The Chief Minister did not accede the defeat and moreover the United Front Government got the House adjourned sine die for fear of defeat

they were likely to face at the hand of Congress in the following days. Similar thing happened in Haryana, when Rao Birendra Singh got the Legislative Assembly adjourned for about two months even before the conclusion of the discussion on a Motion of Thanks on Governors' Address. These cases are more serious in nature than that of Madhya Pradesh. The paper 'Tribune' has also expressed the similar opinion that "the defeat of Mr. Gurnanis Ministry on Wednesday was a notice to it to quit". It has been said that five congress Members have crossed the floor. But the fact is that they were bribed to cross the floor. They were given words that they would be made ministers in the Ministry of United Front. In this manner the public life is being corrupted.

Former rulers of States are again trying to regain their lost powers. They are trying their tactics to be rulers again in a different form. So I want to warn that the fate of States should not be decided in the palaces of ex-rulers. We will not allow these things to happen. We will fight against it.

With these words I oppose the Adjournment Motion, and want to emphasize that if morals are to be established we must formulate a code of conduct.

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : I appeal the Leader and Congress Members of the House that if they want us to maintain the decorum of the House they themselves should also do it. These days they are not maintaining the de corum.

We have got parliamentary democracy in our country. It should be will understood that parliamentary democracy cannot properly function in accordance with the latters of the Constitution. In fact it depends to a great extent on conventions. England has a successful democracy even without having the written constitution. It is due to the fact that there are well established conventions. I wonder at the speech of Law Minister who was talking of the laws ignoring the importance of conventions in the democracy.

In Madhya Pradesh the voting on demands for grants was to take place. For fear of defeat the congress did not allow it to happen and the Congress Government got the Lagislative Assembly prorogued by the Governor. I do not blame Shri D. P. Mishra, the Chief Minister there, but I blame the Governor, who prorogued the Assembly and the Central Government which failed in giving proper advice to the Governor. The Governor is a custodian of the Constitution. He should not have acted against the spirit of the constitution. He could have established a good convention by summoning the Assembly to meet. Then the voting could have taken place. If majority was with Shri D P. Mishra, there was no danger to the congress ministry. If majority was found with the opposition, they should have been given the chance to form the Ministry. It would have been the ideal example. and the Congress Party, which is enjoying the power for the last 20 years, is expected to set up such an example. But unfortunately the Congress Organisation is doing the reverse. Some hon. Members have quoted the instance of Punjab, but it was quite a different matter I asked the Jan Sang Minister of Punjab to resign when I came to know of the Punjab incident. They explained the position. They told me that the four Members who voted against the Government immediately declared that they were still with the Government and they had only voted favcur of an amendment dealing with the Punjabi language. Central leaders too should have shown such a courage to call Shri D. P. Mishra and advised him like this.

There are some elements which are encouraging undemocratic activities in the country and the Central Government is helping those elements. In these circumstances who will guard the democracy ? This people will lose confidence in democracy and I am afraid, it will go

to dogs. Still there is time to correct the mistake. Now the Central Govt. should issue the directions to the Governor to summon the Legislative Assembly so that voting may take place there in normal course. If Shri Mishra wins he should continue as Chief Minister and if he faces the defect, the opposition Leader should be given chance to form the ministry. It will add the success of democracy in our country.

Dr. Govind Das (Jabalpur) : Morality can only bo the basis of democracy. I have been a member of the Legislative Assemblies for the last forty four years, but I had never seen such an immorality before.

I am a little familiar with politics. Yesterday, my son who is also a member of the Madhya Pradesh Legislative Assembly, gave me a ring and told me that he had been kept in confinement throughout the night. He asked me what should he do in the present circumstances. I told him that it had been the practice of our family to stick to our words. In case of any differences from congress, he should resign from the Assembly seat and then from the Congress and then he may or may not fight as an independent candidate. It is his duty to remain in congress, so long as he has signed the Congress manifests and is the member of the Assembly.

When he talk of morality, we should take it from the point of view of the whole country and not from the point of view of a particular party. All the parties should see that such incidents of crossing the fioor may not happen again otherwise democracy will not function in this country.

श्री कन्डप्पन (मैट्टूर) : मुझे प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश विधान सभा के 36 सदस्यों ने कांग्रेस सत्ता को उखाड़ फेंका और नई सत्ता की स्थापना की। मैं इसका स्वागत करता हूं। माननीय गृह मन्त्री ने बताया कि प्रजातन्त्र के हित में ही सत्रावसान किया गया था। उनका यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता। सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये। बहुत से वक्ताओं जैसे आचार्य जी और रंगा जी ने बताया की इसके पीछे संवैधानिक संकट छिपा था। अदि सरकार यह कहती है कि यह उनकी जानकारी में नहीं था तो मैं कहूंगा कि सरकार को ऐसा आदेश नहीं देना चाहिये था। मुख्य मंत्री के परामर्श के तुरन्त बाद राज्यपाल ने विधान सभा के सत्रावसान की घोषणा की। अब वह कहते हैं कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का प्रशासनिक, संवैधानिक या कानूनी दायित्व नहीं है। हमें पता है केन्द्रीय सरकार अपना दायित्व नहीं निभाती।

यदि सरकार यह कहती है कि राज्यपाल ने इस बात का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है तो उसने केन्द्रीय सरकार के परामर्श के बिना अपनी जिम्मेदारी पर यह कार्यवाही की है, तब यही उपयुक्त समय है कि राज्यपालों की नियुक्ति से सम्बन्धित प्रक्रिया के सारे मामले पर अच्छी प्रकार विचार किया जाये। विपक्षी दलों के नेताओं से सलाह कर ऐसे संतोषजनक हल पर पहुंचा जाये जो सब दलों को स्वीकार हो क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री हनुमन्तय्या (बंगलौर) : भोपाल में रानीतिक स्थिति डाँवाडोल थी। हमें कहा गया कि हमें प्रजातन्त्र प्रणाली की सर्वमान्य परम्पराओं, प्रथाओं और उद्देश्यों का अनुसरण करना चाहिये। हमें संविधान का अनुसरण सच्ची लोकतंत्रात्मक भावना से करना चाहिये।

हमारे देश में राज्यपाल और राष्ट्रपति स्वतन्त्र रूप से कोई कार्यवाही नहीं करते। संविधान में यह उपबंध है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को, चाहे जैसा भी मामला हो, प्रधान मन्त्री तथा मुख्य मन्त्री के परामर्श पर ही कार्य करना होगा।

जब भी राष्ट्रपति या राज्यपाल अपनी मर्जी से कार्य करता है तो वह संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। जब भी राज्य में कोई राजनीतिक संकट या प्रशासनिक समस्या उत्पन्न होती है, तो प्रचलित सिद्धान्त यह है कि राज्यपाल को मुख्य मंत्री से सलाह लेनी होती है, वह स्वतन्त्र रूप से कुछ नहीं कर सकते।

हमारे देश में विभिन्न दलों की सरकारें हैं। हमारे देश ने प्रजातंत्र को अपनाया है। मुख्य मंत्री को यह पद संभालने से पूर्व दल का नेता होना आवश्यक है।

केन्द्रीय सरकार गैर कानूनी और असंवैधानिक घटनाओं के घटित होने पर केवल राज्यपाल द्वारा ही कार्य कर सकती है और सलाह दे सकती है। विधान सभा का अधिवेशन बुलाने या स्थगित करने के लिये संवैधानिक उपबंध हैं। इन मामलों में मुख्य मंत्री राज्यपाल को सलाह देता है। सत्रावसान का अभिप्राय यह नहीं है कि विधान सभा का विघटन कर दिया गया है और फिर वह समवेत नहीं होगी। विधान सभा का अधिवेशन अवश्य ही होना है और मुझे पता लगा है कि वह इस मास के दौरान समवेत हो रही है।

प्रत्येक दल के अपने नियम और आचार संहिता होती है चाहे वह जनसंघ हो या स्वतन्त्र दल।

बहुत से कांग्रेसी सदस्यों ने अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होकर या उससे इस्तीफा देकर अपने दिये गए वचनों का पालन नहीं किया है। वे कह रहे हैं कि हम प्रजातन्त्र का स्तर बनाये रखें। यदि जनसंघ और स्वतंत्र दल के अनुशासनों पर इस प्रकार प्रभाव डाला जाएगा तो यह दल किस प्रकार उन्नति करेंगे।

अत: मैं सब दल जो लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, से निवेदन करूंगा कि वे उचित तरीकों से सत्तारूढ़ हों, अनुचित तरीकों से नहीं।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : जहां तक संसदीय प्रक्रिया का सम्बन्ध है, मध्य प्रदेश की घटना न केवल अत्यन्त असाधारण है बल्कि बहुत ही विचित्र है।

अनुच्छेद 355 में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि यह सुनिश्चित करना केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा कि प्रत्येक राज्यों में सरकार संविधान के उपबन्धों के अनुसार चलाई जायें।

{ **श्री उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** }
{ **Mr. Deputy Speaker** *in the Chair* }

मेरे माननीय मित्र विधि मंत्री का यह विचार था कि राज्यपाल को मुख्य मंत्री की सलाह स्वीकार करना अनिवार्य है और यह मामला राज्य से सम्बन्धित है और हम इस

सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकते। हममें से कोई भी दल बदलने वालों के पक्ष में नहीं हैं। बजट सत्र में सभा को स्थगित कर सभा की कार्यवाही में बाधा डाली गई।

पंजाब का भी उल्लेख किया गया है। पंजाब में ऐसा हुआ था कि जिन लोगों ने सरकार के विरुद्ध मत दिये थे उन्होंने दल नहीं बदले थे और सार्वजनिक रूप से यह घोषणा नहीं की थी कि वह सरकार बदलना चाहते हैं। पंजाब में जो कुछ हुआ हम उसको न्यायोचित नही समझते।

मै गृह-कार्य मंत्री से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या राज्यपाल ने एक मात्र मुख्य मंत्री की सलाह से कार्यवाही की है और केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सूचना नही दी है। यह विश्वास करना कठिन है कि मध्य प्रदेश में राज्यपाल ने सत्रावसान करने से पहले, जो कि एक बहुत गम्भीर मामला है, केन्द्र से सलाह नहीं ली। यह जानते हुए भी कि विधान मंडल को निश्चित तारीख तक बजट पास करना है, सत्रावसान किया गया।

राज्यपाल द्वारा गृह-कार्य मंत्री ने हमें यह बताया कि केवल 30 सदस्यों ने कांग्रेस दल को छोड़ा है और उनमें से दो पर दबाव डाला गया।

यह कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल समाप्त हो गई है और विधायक ओर अन्य लोग स्वतंत्रता से इधर उधर नहीं जा सकते। मंत्री महोदय को यह बताना चाहिये कि क्या उन्हें राज्य के राज्यपाल से ऐसी सूचना मिली है। यदि ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है तो विधान सभा के सत्र का अवसान किया जाना संसदीय संस्थाओं के साथ मजाक करने से कम नहीं है। इस देश में राजनीतिक धोखा कभी भी सहन नहीं किया जा सकता। यदि संसदीय प्रणाली को छोड़कर ऐसा किया जाता है तो यह अच्छे राजनीतिक जीवन की आशाओं को समाप्त करना है।

जब तक हम संसदीय प्रणाली अपनाते हैं हमें नम्रता, प्रचलित प्रथाओं और नियमों का पालन करना पड़ेगा।

मध्य प्रदेश में संसद् के मुख्य उद्देश्यों और जनता के विरुद्ध कार्य किये जा रहे हैं। भारत सरकार अपने कर्तव्य में असफल रही है।

क्या यह भारत सरकार का कर्तव्य नहीं है कि राष्ट्रपति, जिन्हें प्रधान मंत्री द्वारा सलाह दी जाती है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल से रिपोर्ट देने के लिये कहें ताकि जो त्रुटि हो गई है उसे बिना विलम्ब ठीक किया जा सके।

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता–उत्तर–पश्चिम) : सरकारी शक्ति का प्रयोग कभी भी किसी दल या व्यक्ति के अपने लाभ के लिए नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया जाता है तो हममें से कोई भी इसका समर्थन नहीं करेगा।

हम स्थगन प्रस्ताव का विरोध करते हैं क्योकि हमें पक्का विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार या मध्य प्रदेश सरकार ने तोड़-फोड़ की कार्यवाही में कोई भाग नहीं लिया है। राज्यों के

पास स्वायतता है और संसद् उनको हर बार इस बात का आदेश नहीं दे सकती कि उनके लिये क्या करना उचित है और क्या नहीं। राज्य की सरकारी कार्यवाही का अन्तिम निर्णय विधान मंडल को देना चाहिये हमें नहीं। इस मुख्य तथ्य से प्रो० रंगा और हम सब सहमत हैं।

दूसरा सिद्धान्त यह है कि यदि राज्य की स्वायत्तता को बनाये रखना है और यदि राज्यपाल को संवैधानिक कार्यवाही करनी है तो राज्यपाल को अवश्य ही मुख्य मंत्री की सलाह से कार्यवाही करनी चाहिये। अब यदि राज्यपाल के मुख्य मंत्री की सलाह पर कार्यवाही करनी है तो इन्हें यह बताने वाले हम कौन होते हैं कि उन्हें दूसरे ढंग से कार्य करना चाहिये।

यदि सत्रावसान के पीछे उल्लेख की गई भावना का नीहित होना सिद्ध हो जाता है तो हम सबको दुख होगा। मुझे आशा है कि वह सब सच नहीं है। यह सच है कि बजट अधिवेशन के बीच ऐसा हुआ।

यदि बजट को पास करना है और सभा का कार्य चालू रखना है तो अचानक एक कुछ एक सदस्यों के बजट अधिवेशन के बीच दूसरे दल में शामिल होने से सभा के कार्य में बाधा होती है और यदि मुख्य मन्त्री का यह विचार है कि बजट अधिवेशन का कार्य सुविधा से चलाने के लिये कुछ और दिनों के लिये अधिवेशन स्थगित कर दिया जाये······(बाधाएं) मध्य प्रदेश में अभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई हैं जबकि कांग्रेस ने उन लोगों को पीटा हो जिन्होंने अपने दल बदल लिये हों।

श्री रंगा : बस्तर में क्या हुआ ? बस्तर के महाराजा की हत्या की गई।

श्री अ०कु० सेन : इसीलिये सभा से हमेशा यही कहा गया है कि किसी राज्य में वहां की सरकार के कार्य में वहां की विधान मंडल के अलावा किसी ओर का हस्तक्षेप करना खतरे से खाली नहीं है। सभा को फिर से बुलाकर सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का निर्णय विधान मंडल ही कर सकता है। यदि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार समाप्त हो जाती है।

ये लोकतंत्रात्मक प्रणाली के मुख्य सिद्धान्त हैं। श्री मधु लिमये का यह कर्तव्य है कि वे मुझे भी सुने। लोकतन्त्र उनका ही एकाधिकार नहीं है। यदि मैं लोकतन्त्रात्मक प्रणाली की रक्षा नहीं करता तो मैं अपने कर्तव्य में असफल हो जाऊंगा, चाहे वह कांग्रेस सरकार द्वारा चलाया जाये या श्री मधु लिमये के दल द्वारा।

मुझे स्मरण है कि जब केरल में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी तो हमने शिक्षा विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय में उसके विचार जानने के लिये सौंपा था जिस पर विपक्षी दल के सदस्यों ने सभा में इस आधार पर गम्भीर रोष प्रकट किया था कि ऐसा करना राज्य सरकार के क्षेत्र में हस्तक्षेप करना है। राज्य सरकार द्वारा किये कार्य की

वैधता का निर्णय करना वहां के विधान मण्डल का कार्य है हमारा नहीं। हम यहां केवल अपना नैतिक निर्णय दे सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यदि कल यह सिद्ध हो जाता है कि मुख्य मन्त्री ने यह निर्णय चालबाजी के प्रयोजन के लिये किया है तो मुझे दुख होगा। मैं इस स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटै) : मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ है उससे हमें जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ है। हमारा दल शुरू से कहता चला आ रहा है कि जब भी कांग्रेस के सामने ऐसी स्थिति आती है जब यह अपनी सत्ता को बनाये रखने में अपने आपको असमर्थ पाती है तो यह संविधान का उल्लंघन करने से नहीं हिचकिचाती। मध्य प्रदेश की घटना से हमारी यह धारणा और भी मजबूत हो गई है। माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कहा कि वहां संसदीय लोकतन्त्र को खतरा था। केरल में सात बार कांग्रेस सरकार ने दबाव डाल कर और निन्दाजनक तरीकों को अपना कर वहां की सरकार को पदमुक्त कर दिया था। उसने उड़ीसा में भी ऐसा ही किया था।

डा० गोविन्द दास और अन्य माननीय सदस्यों ने दल बदल की नैतिकता पर बड़ा उपदेश दिया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कांग्रेस दल ने ही हाल में इस बारे में सब प्रतिबन्ध हटाये हैं। यह भयानक स्थिति है जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश में पहली बार करोड़ों रुपये के बजट को एक अध्यादेश द्वारा पारित किया जा रहा है और इस पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपना मत व्यक्त नहीं कर सकते हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : नहीं, नहीं।

श्री उमानाथ : वे घृणास्पद तरीकों से सत्ता से चिमटे रहना चाहते हैं।

सत्रावसान से पहले जब यह घोषणा की गई कि विधान सभा के 34 सदस्यों ने दल बदल लिया तो श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र ने वक्तव्य दिया था मैं कल इसकी पड़ताल करूंगा और यदि यह सच हुआ तो मैं राज्यपाल को विधान सभा को विघटित करने की सलाह दे सकता हूं। परन्तु अब वह दूसरी स्थिति अपना रहे हैं। उनका ख्याल था कि उनकी इस धमकी से सदस्य डर जायेंगे और फिर उनके साथ मिल जायेंगे, परन्तु जब उन्हें इसमें सफलता मिलती दिखाई नहीं दी तो उन्होंने सत्रावसान की चाल को अपनाया कि इससे समय मिल जाएगा और उन 34 या 36 सदस्यों को खरीदा जा सकेगा।

संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 के अन्तर्गत स्थिति यह है कि जब उन्हें बहुमत ही प्राप्त नहीं है तो उन्हें शान्ति भी प्राप्त नहीं है।

यदि कांग्रेस दल में लोकतन्त्र की थोड़ी सी भी भावना है तो उसे विधान सभा को फिर से बुलाना चाहिये और श्री मिश्र को इस्तीफा देने के लिये विवश करना चाहिये।

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh) : These opposition parties have moral authority to fling mud on congress as they themselves are not of unimpeachable character. A pot should not call the cattle black. Shri Madhu Limaye, Shri Ram Sewak Yadav, Shri Ram Murti and Shri Umanath are putting fantastic interpretations to the Constitution.

Article 163(2) of the Constitution lays down in clear and unambiguous terms that if any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the Governor is by or under this constitution required to act in his discretion, the decision of the Governor in his discretion shall be final and the validity of anything done by the Governor shall not be called in question on the ground that ought or ought not to have acted in his discretion."

Again under Article 174(2) the Governor may (a) prorogue the House or either House; (b) dissolve the Legislative Assembly. Here the discretion of the Governor is final and cannot be challenged.

As a matter of fact this matter should not have been discussed here if we wanted to create healthy democratic traditions in our country. Here we have a written constitution and the powers of the Centre and the States are well defined. Hence if were better if this matter had not been brought here.

श्री दत्तात्रय कुंटे (कोलाबा) : हम निर्दलीय सदस्यों को भी बोलने के लिये पांच मिनट मिलने चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अध्यक्ष की हिदायतों का पालन कर रहा हूँ ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir, the Member belonging to the Independent Progressive Group should also be given some time.

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत अफसोस है ।

श्री ह० प० चटर्जी (कृष्ण नगर) : आपका विनिर्णय न्यायिक होना चाहिये, मनमाना नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझसे इस सम्बन्ध में बहस करने से कोई लाभ नहीं है । मेरा आपके दल की मान्यता से कोई सम्बन्ध नहीं है । पहले मैं श्री द्विवेदी को बुलाऊंगा और गृह-कार्य मंत्री को ।

(तब श्री दत्तात्रय कुन्टे, श्री ह० प० चटर्जी, श्री प्रकाशवीर शास्त्री और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये ।)

(Shri Dattatraya Kunte, Shri H. P. Chatterjee, Shri Prakash Vir Shastri and some other hon. Members then left the House.)

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : श्रीमान, यह लोक तन्त्र का आरम्भ है या अन्त कि हर एक माननीय सदस्य उठ कर जा रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया बैठ जायेंगे (व्यवधान) यह सभा के कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा ।

अन्तर्बाधाएं : * *

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : श्रीमान, में स्थगन प्रस्ताव पर

अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्तुत करने का कोई उपबन्ध नहीं है :

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : नियमों में ऐसी बात नहीं है ।

संविधान सभा के सत्रावसान के सम्बन्ध में विधि मंत्री ने तर्क दिया कि ऐसा करना संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल के अधिकार में था । परन्तु संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल को मुख्य मंत्री की सलाह न मानने का भी अधिकार प्राप्त है । अतः वास्तविक प्रश्न यह है कि राज्यपाल इस सावैधानिक अधिकार का प्रयोग किसी तरीके से करता है । विधान सभा के सत्रावसान के मामले में उन्होंने बहुत ही असंवैधानिक तरीके से कार्य किया है । यदि विधान सभा के अध्यक्ष विधान सभा की बैठक को यह कह कर 2 या 3 दिन के लिये स्थगित कर देते कि शासक दल की शान्ति के बारे में कुछ उलझन है, यद्यपि ऐसा करना भी आपत्ति जनक होता, फिर भी वह बात तो समझ में आ सकती थी । सभा का सत्रावसान तो केवल उसी समय किया जा सकता है जब सभा का सारा कार्य समाप्त हो चुका हो । परन्तु वहां तो अभी बजट की मांगों पर चर्चा और मतदान किया जाना बाकी था ।

जब यह पता लग गया उनको कि यदि विधान सभा बैठी तो वर्तमान सरकार गिर जायेगी तब यह षडयन्त्र रचा गया । ऐसी स्थिति में यदि राज्यपाल निष्पक्ष होते तो उन्हें विधानसभा का सत्रावसान न करके सभा को चलने देने चाहिये था और सरकार को इस स्थिति का सामना करने देने चाहिये था । एक घंटे पश्चात मतदान होना था । यदि सरकार के पास बहुमत हो तो वह बनी रह सकती थी । संविधान का उल्लंघन किया गया है । सदस्यों को खरीदने के लिये यह तरीका अपनाया गया है ताकि उनको कुछ समय मिल जाये ।

मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ है उससे राज्यपालों की नियुक्ति का प्रश्न भी सामने आ गया है । यदि हम लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार सांवैधानिक उपबन्धों की क्रियान्विति चाहते हैं, तो राज्यपालों की नियुक्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण नीति का पुनर्विलोकन करना होगा और किसी दल के व्यक्ति को वह पद स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

गृह-कार्य मंत्री श्री यशवन्त राव चह्वाण : श्री मधु लिमये के प्रस्ताव का मुख्य आधार यह है कि अनुच्छेद 355 के अन्तर्गत केन्द्र के लिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि राज्य का प्रशासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार चलाया जाये । इस काम में हम

* * सभा के कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया ।

* * Not Recorded.

कहां पर असफल रहे हैं मैं नहीं समझ पाया हूं। किसी कार्य के पीछे क्या भावना थी या उद्देश्य था इसका पता लगाने का कोई सही तरीका नहीं है।

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

राज्यपाल से आज शाम ही मैंने बातचीत की थी और इससे पहले कई सप्ताह से राज्यपाल से मेरी बातचीत नहीं हुई थी। सरकार को निदेश देने का कोई प्रश्न नहीं था। निश्चय ही कल मुख्य मंत्री से मेरी बातचीत हुई थी और उन्होंने मुझे बताया कि विधान सभा के सदस्यों के अपहरण के बारे में वह सदस्यों से नहीं मिल पाये हैं और यह कि उनका बहुमत है या नहीं इस बारे में उन्होंने अभी अनुमान लगाना था। कल जो कुछ हुआ वह राजनीतिक था और आज जो कुछ हुआ वह संवैधानिक है। पविधान के अनुच्छेद 239 (2), 200 और 356 के अन्तर्गत ही राज्यपाल राष्ट्रपति के एक अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। इन अनुच्छेदों को छोड़ कर रापज्यपाल संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करता है। यदि हम इस स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इस मामले में मुख्य मंत्री ने उनको जो सलाह दी क्या उन्हें वह सलाह देनी चाहिये थी ?

अब प्रश्न यह आता है कि जब मुख्य मन्त्री राज्यपाल को सलाह देता है तो क्या राज्यपाल के लिये उसकी सलाह को मानना अनिवार्य है या नहीं ? इस प्रश्न का मेरा उत्तर यह है कि राज्यपाल को मुख्य मंत्री की सलाह माननी ही पड़ती है। जहां तक वर्तमान मामले का सम्बन्ध है मुख्य मंत्री ने राज्यपाल को सलाह दी। उन्होंने राज्यपाल को कहा कि वहां पर (मध्य प्रदेश में) असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई है तनाव बहुत बढ़ गया है और ऐसी आशा की जाती है कि सामान्य स्थिति होने वाली है इसलिये मेरी यह राय है कि चूंकि सत्रावसान थोड़े ही समय के लिये हो रहा है इसलिये विधान सभा का सत्र शीघ्र ही बुलाया जाना चाहिये। यदि सत्र बुला लिया जायेगा तो इससे महीना समाप्त होने से पहले बजट पास किया जा सकेगा। राज्यपाल ने मुख्य मंत्री की इस सलाह को मान लिया ; अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जब राज्यपाल ने मुख्य मन्त्री की सलाह को मान लिया है तो क्या संसद इसपर कोई आपत्ति कर सकती है या नहीं ? यह मुख्य प्रश्न है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई है कि जब राज्यपाल ने संविधान के अनुसार मुख्य मंत्री की सलाह मान ली तो सदस्य यह क्यों चाहते हैं कि मैं हस्तक्षेप करूं। जब बंगाल का राज्यपाल यहां आता है तो यह कहा जाता है कि यह ठीक बात नहीं है और जब हम कांग्रेस सरकार में किसी के साथ बातचीत नहीं करते हैं तो यह खराब चीज समझी जाती हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि वे हमें किस मापदण्ड से हमें मापना चाहते हैं ? विभिन्न राज्यों के लिये अलग-अलग मापदण्ड नहीं होने चाहिये।

श्री कृपालानी ने नैतिकता का प्रश्न उठाया था मुख्य मंत्री पर यह आरोप लगाया गया था कि वह अपने साथियों को वापिस लेना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि इसमें उन्होंने क्या गलती की है। यह कोई अनुचित बात नहीं है। यदि मुख्य मंत्री ने उन

व्यक्तियों को, जिन्होंने उनके साथ लगातार कई वर्षों तक काम किया है, फिर से अपने दल में मिलाने और मतभेदों को दूर करने के लिये बातचीत की है तो उन्होंने यह कोई अनुचित बात नहीं की है।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या भारत सरकार अपने उत्तरदायित्व से पीछे हटी है। और यदि हां, तो कहां। इस बारे में सभी तर्क सुन चुका हूं और अब भी सुनने को तैयार हूं कि हम अपने उत्तरदायित्व में कहां पीछे हटे हैं। इस बारे में मेरा क्या उत्तरदायित्व था? क्या मेरा यह उत्तरदायित्व था कि मैं राज्यपाल को बुलाता और कहता कि वे मुख्य मंत्री की सलाह की बिल्कुल परवाह न करें। और एक बादशाह या सुल्तान की तरह व्यवहार करें।

क्या राज्यपाल का यही काम है? राज्यपाल का पद तो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और हमें राज्यपाल के कार्य के महत्व को कम नहीं करना चाहिये। इससे किसी भी दल को लाभ पहुंच सकता है। राज्यपाल को तो मुख्य मन्त्री की सलाह पर ही कार्यवाही करनी होती है चाहे वह मुख्य मंत्री कांग्रेस सरकार का हो अथवा गैर-कांग्रेसी सरकार का।

मुझे पूरी तरह से यकीन है कि हमने अपना उत्तरदायित्व संवैधानिक, राजनीतिक, प्रशासनिक अथवा किसी और रूप में पूरी तरह से निभाया है। उसमें असफल नहीं रहे हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, the debate that has been raised here is not on the point that the Chief Minister gave the advice to the Govarnment. Therefore all their Shrimati Tarkeshwari Sinha has said has no meaning here The debate has been raised on the issue as to what are the responsibilities of the Central Government in this regard and she has failed to fulfil them.

It has been said here that the Governor has a right under Article 174 to prorogue the session of the Assembly and this right has been exercised on the advice of the Chief Minister. I want to draw the attention of the House towards three Articles of the Constitution namely Article 355, Article 164 and Article 203, in which the duties of the Central Government have been clearly mentioned. Under Article 355 it is the responsibility of the Central Government to see that the Government of the States function according to the Constitutional provisions but she has failed to fulfil that responsibility. Similarly by proroguing the Assembly the Members of the Assembly had been deprived of their right to vote on the demands for grants.

Under Article 203 they had the right to assent or refuse to assent the demands. But that right had been unlawfully and unconstitutionally taken away from them.

Sir, the question of morality was also raised. As far as this question is concerned, the Congress had no right to raise it because they themselves are guilty of inducing the people to change the parties. Shri Prakashan was induced to become the Chief Minister and he left the Praja Socialist Party. Similarly there are many Members such as Shri Tulshidas Dadhar, Shri Rajendra Bama. Shri Jashwant Mehta etc. etc. who were previously in other parties and are not in the Congress Party.

Mention was also made about code of conduct. I remember that in 1961 Prof, D. R. Gadgil, who has now be come the Deputy Chairman of the Planning Commission, had convened a meeting of all political parties including Congress Party so that a code of conduct could be formed for all political parties to follow and frequent crossing of floor by Members of Legislatives, which was a fraud on the election, could be stopped. Then Shri Chavan had said one sentence as follows:-

"The political loyalties in Maharashtra are in a state of flux : I shall not accept this proposition before the Third General elections."

It had become evident later on in the General elections when the congress had a majority of only in the Maharashtra Assembly.

Now I would like to say that this is not the time to lay down code of conduct. Therefore we will be ready for the code of conduct when their monopoly of 20 years will come to an end. It is therefore useless to talk about morality. As far as the question to follow the constitution is concerned it is their duty to implement the same but they have not done so in the case of Madhya Pradesh. Therefore I have brought the Motion for Adjournment and appeal to pass the same.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि सभा अब स्थगित हो ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatired:

अनुदानों की मांगे—जारी

DEMANDS FOR GRANTS Contd.

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय जारी

अध्यक्ष महोदय : सभा अब औद्योगि विकास तथा समवाय कार्य मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेगी श्रीमती सुचेता कृपालानी ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : मैं औद्योगि विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने के लिये खड़ी होती हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण कल जारी कर सकती हैं ।

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 21 जुलाई 1967/30 आषाढ, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई :

The Loke Sabha then adjourned the Eleven of the clock on Friday, July, 21, 1967 Asadha 30, 1889 (Saka)